परम-आदरणीय,

माननीय श्रीमान् पं० एस. व्ही. गोखले

बी. ए, एल. एल. बी., एम. एल. ए,

वर्तमान शिक्षा मंत्री,

मध्यप्रान्त और बरार;

के

कर कमलों में

उन्हीं के

एक विनम्र आज्ञाकारी सेवक की यह कृति

सादर समर्पित ।

ग्रन्थकार

विषय-सूची

दूसरा भाग

चित्र-सूची

भूमिका

प्रस्तुत पुस्तक मध्यप्रदेश तथा वरार के नवीन शिक्षाक्रम के अनुसार हाँई-स्कूल की कक्षा ६ से ११ तक के लिये लिखी गई है। इस पुस्तक की कुछ विशेषताएँ ये हैं:—भाषा सरल और सुबोध है जो बालकों की समझ में जल्दी आवेगी। पाण्डित्य का प्रदर्शन किसी स्थान पर नहीं किया गया है।

लेखकजी विषयान्तर कहीं नहीं हुए हैं। कोई बात अनर्गल नहीं है। विषय का ज्ञान पूर्ण कराने के हेतु जो उदाहरण कहीं कहीं चुने गये हैं, वे बहुत ही उचित हैं। परिभाषाएँ स्पष्ट रीति से लिखी गई हैं। इन सब विशेषताओं का उद्देश विषय को मनोरंजन बनाने का ही नही, बल्कि उसे उपदेशपूर्ण बनाने का भी है और इस प्रयत्न में लेखकजी को पूर्ण सफलता मिली है।

अभ्यासार्थ जो प्रश्न अंत में दिये हैं उनसे भी बालकों को अधिक लाभ होगा। मेरी समझ में नागरिक-शास्त्र के सम्बन्ध में कोई पुस्तक शालाओं के विद्यार्थियों के लिये इतनी उपयोगी नहीं है जितनी कि यह और इस कार्य के लिये मैं श्री सिद्धनारायण जी को बधाई देता हूँ।

लल्लूराम तिवारी,
एम. ए., एल. टी., टी. डी., (लंदन)
हेडमास्टर,
गवर्नमेण्ट हाईस्कूल, सागर, सी. पी.

सागर
३१-८-३८

निवेदन।

मध्यप्रदेश और बरार के शिक्षा-विभाग ने हाईस्कूल की कक्षाओं के लिये भी पाठ्य-क्रम में नागरिक-शास्त्र (Civics) एक विषय निर्धारित किया है। विषय नया होने के कारण इस विषय पर अभी कोई ऐसी पुस्तक हिन्दी में नहीं है, जिसमें निर्धारित शिक्षा-क्रम के अनुसार सब विषयों का पूरा पूरा, विषयानुकूल, और अप-टू-डेट वर्णन मिलता हो।

पुस्तक के अभाव के कारण विद्यार्थियों और शिक्षकों दोनों को बहुत कठिनाई होती थी। इस कमी को दूर करने के लियेही इस पुस्तक की रचना की गई है। इसके लिये मैं मध्य-प्रान्त के शिक्षा-विभाग के डायरेक्टर-आफ-पब्लिक-इंस्ट्रक्शन को हृदय से धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मुझे हिन्दी में सिविक्स पर पुस्तक लिखने को आज्ञा प्रदान की।

नागरिक-शास्त्र, दर्शन-शास्त्र, राजनीति-शास्त्र, अर्थ-शास्त्र, विज्ञान, और गणित शास्त्र कुछ ऐसे शास्त्र हैं जिनका ज्ञान बिना गुरु के होना कठिन है। यह पुस्तक यदि शिक्षक के पढ़ाये पाठ को समझने और हृदयङ्गम करने में विद्यार्थियों को सहायक हो सकी, तो इसका उद्देश पूर्ण होजाता है।

पुस्तक तीन भागों में विभक्त की गई है और वे क्रमशः **नवीं, दशवीं** और **ग्यारवीं** कक्षाओं के लिये, निर्धारित-क्रम के अनुसार लिखी गयी है। प्रत्येक अध्याय के अन्त में कुछ अभ्यास के लिये प्रश्न, जिनमें नागपुर-बोर्ड के प्रश्न भी हैं, जिनसे विद्यार्थियों को पढ़े हुए पाठ की मुख्य-मुख्य बातों को एकबार फिर सोचना पड़े और परीक्षोपयोगी

भी होवें, जोड़ दिये गये हैं। किन्तु विद्यार्थियों को इन्हीं प्रश्नों पर ही बिलकुल निर्भर नहीं रहना चाहिये। द्वितीय भाग के अन्त में नागपुर बोर्ड के ३ साल के प्रश्न अलग से दे दिये गये हैं।

मैं अपने दयालु, उत्साही, उदार और शिक्षा-प्रेमी हेड मास्टर श्रीमान् पं० लल्लूराम जी तिवारी, एम. ए., एल. टी., टी. डी., (लंदन) के प्रति, जिन्होंने इस पुस्तक की भूमिका लिखने की कृपा की है, अपनी कृतज्ञता प्रकट करना अपना परम कर्तव्य समझता हूँ।

अन्त में मैं अपने उत्साही, शिक्षा-प्रेमी भाई सुन्दरलालजी गोखले के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ, जिन्होंने इस पुस्तक को अथक परिश्रम के साथ बहुत ही अल्प-काल में उत्तम छपाई और सफाई के साथ अपने "सुन्दर प्रेस सागर,' से मुद्रित कराया।

इस पुस्तक के लिखने में जिन-जिन ग्रंथों और पत्र-पत्रिकाओं से, जिनकी सूची अन्यत्र दी गई है, मुझे किसी रूप में सहायता मिली है, उनके लिये मैं अपनी कृतज्ञता उनके लेखकों के प्रति प्रकट करता हूँ।

यदि कोई अध्यापक महाशय इस पुस्तक को अधिक उपयोगी बनाने की दृष्टि से सुधार की बात लिख भेजने की कृपा करेंगे, तो मैं उनका अत्यन्त कृतज्ञ बनूँगा और दूसरे संस्करण के समय उन पर सहर्ष विचार करूँगा।

गोपालगञ्ज, सागर।
२० जून, सन् १९२९ ई०।

विनीत—
लेखक

दो शब्द

मध्यप्रान्त के शिक्षा-विभाग को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उसने हाई-स्कूलों के लिये भी "नागरिक-शास्त्र" का विषय पाठ्य-क्रम में निर्धारित कर दिया है।

यह पुस्तक हाई-स्कूल की दसवीं कक्षा के लिये नूतन शिक्षा-क्रम (सन् १९४० और १९४१) के अनुसार लिखी गई है। प्रथम और तीसरा भाग प्रकाशित हो चुके हैं।

पुस्तक विद्यार्थियों के लिये लिखी गई है, लेकिन यह सर्व-साधारण के लिये भी बहुत लाभदायक है, क्योंकि इसके विषय ऐसे हैं (फेडरेशन, प्रान्तीय स्वाराज्य, देशीरियासतें, कर, बन्दोबस्त, केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारों के आयके साधन, प्रान्तीय तथा केन्द्रीय धारा-सभाएँ इत्यादि) जो सामान रूप से प्रत्येक नागरिक के लिये अत्यन्त उपयोगी हैं।

लेखक महोदय के विषय में केवल इतना लिख देना पर्याप्त होगा कि आप इस प्रान्त के गवर्नमेन्ट हाईस्कूलों की दसवीं और ग्यारवीं कक्षाओं के विद्यार्थियों को अंग्रेजी, हिन्दी, इतिहास, और नागरिक-शास्त्र लगभग १९ वर्षों से पढ़ाते हैं और आप एडिनबर्ग युनिवर्सिटी, ग्रेट ब्रिटेन की टी. डी. (क्लास) के विद्यार्थी भी रह चुके हैं, किन्तु स्वास्थ खराब होने से सेशन पूर्ण होने के पूर्व ही भारत वापस आजाना पड़ा। आप अलीगढ़ युनिवर्सिटी के ला (क्लास) के विद्यार्थी भी रह चुके हैं।

प्रायः समस्त भारतवर्ष, स्कौटलैन्ड, इँग्लैण्ड, फ्रान्स, स्विटजरलैण्ड, इटली, कैरो, एडन इत्यादि देशों का आपने

भ्रमण भी किया है। देश के धुरन्धर विद्वानों से जैसे प्रो० यादूनाथ सरकार; प्रो० पी० शेशाद्री; बा. श्री प्रकाश, बार-एट-ला, एस. एल. ए. (केन्द्रीय); आचार्य कृपलानी; प्रो० ध्रुव; माननीय बाबू सम्पूर्णानन्द, वर्तमान शिक्षा मंत्री, यू० पी० इत्यादि से आपको शिक्षा प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।

इस पुस्तक के भूमिका लेखक गवर्नमेन्ट हाईस्कूल सागर के हेडमास्टर श्रीमान् पं० लल्लूराम जी तिवारी एम. ए., एल. टी., टी. डी., (लंदन) हैं। आपकी इस कृपा के लिये मैं बहुत ही आभारी हूँ।

सागर
२० जून, सन् १९३९

विनीत—
प्रकाशक

BOOK CONSULTED

1. Introduction to Political Science *by S. Leacock.*
2. Introduction to Political Science *by* R. G. *Gettel M. A.*
3. The State Woodrow Wilson, The State.
4. Elementary Politics *by Thomas Raleigh.*
5. India in 1934–35
6. Govt. of India Act, 1935.
7. Indian Administration *by M. R. Palande M. A.*
8. Indian Administration *by G. N. Joshi., M. A. LL. B.*
9. British Administration in India *by G. Anderson, M. A , C. I. E.*
10. The Indian Constitution, *by S. K. Lahiri* and *B. N. Banerjee.*
11. An Introduction to the Principles of Civics, *by S. K. Lahiri* and *B. Banerjee.*
12. Elements of Civics *by M. K. Sen M. A.*
13. The Ground Work of Civics, *by Prof.* B. *Bhattacharya* M. A., B. L.
14. Elements of Civics *by H. S. Chatterjee M. A.*
15. A First Course of Civics *by R. Sanyal, M. A.*
16. A Course in Indian Civics *by G. R. Bhatnagar.*
17. Elementary Civics & Administration *by M. Mohan* M.A. and *N. C. Daruwala* M. A.
18. Introduction to Civics *by R. P. Pandeya, M. A.*
19. Students' Guide in Civics *by Ajoy Shanker Prasad.*
20. राज्य–विज्ञान *by Gopal Damodar Tamaskar.* M. A. L. T.
21. भारतीय शासन–विकास *by Dr. R. Pd. Tripathi M. A., D. Sc. (London)*

22. भारत की साम्पत्तिक अवस्था *by Prof. Radha Krishna Jha, M. A.*

23. भारतीय-अर्थ शास्त्र *by Bhagwan Dass Kela*

24. धन की उत्पत्ति *by D. S. Dubey* M. A. LL. B.
and *Bhagwan Dass Kela.*

25. नागरिक-शास्त्र *by Bhagwan Dass Kela.*

26. नागरिक-शास्त्र *by Dr. Beni Pd.* M. A., *Ph. D. D.Sc.(London)*

27. अर्थ-शास्त्र *by Prof. Balkrishna, M. A.*

28. सरस्वती, माधुरी और अर्जुन, देशदूत और हिन्दुस्तान की कुछ प्रतियाँ ।

29. District Council, Municipal and Village Panchayat Acts.
Book Circulars of the Govt. of the Central Provinces.
C. P. Public Health Manual.

30. The Commercial and General Directory of C. P. and Berar, 1938.

31. India's New constitution *by J. P. Eddy* and *F. H. Lawton 1938.*

32. Citizenship *by E J. S. Lay. 1933*

33. Elementary Economics *by G. B. Jathar, M. A.* and *S. G. Beri, M. A. 1938.*

34. अर्थ-शास्त्र के प्रारम्भिक नियम—
लेखक—प्रोफेसर प्रेमचन्द, बी. ए. (कैन्टब) १९३८.

35. The League of Nations *by Hall & Sen.*

36 Elements of Civice *by Prof. A, Correia Fernandez* M.A

37. Govt. of the Central Provinces & Berar Budget Estimate for 1939-40.

38. How India is Governed *by L. R. & R. N. Nair.*

39. Indian Administration *by Prof. B. G. Kale.*

40. Indian Constitution & Administration
by B. L. Sapre, M. A.

41. The Indian Constitution and its actual working
by D. N. Banerjee, M. A.

Syllabus of courses in civics for Class X

1941.

(1) The Provincial Government—The Governor and his Council; division of port-folios, reserved and transferred departments, Executive Councillors and Ministers. The Secretariat Heads of Departments.

(2) Government of India—Governor-General and Viceroy His Executive Council. Distinction between the Central and Provincial Departments—e. g. the foreign, the Post and Telegraphs, the Railways, Income-tax, etc.

(3) The Native States of India and their relation with the paramount British Government. The Political Agent.

(4) The Secretary of State and the control of Indian Government by the British Parliament.

(5) Problems of Civic Life—

(i) Legislation—The need of deliberative and popular body for law-making and the growth of Indian legislature with reference to Indian Constitution.

(ii) Taxation: How to meet the expenses of adminstration ? Those who benefit by the civic life must pay for it. Some principles of a sound and equitable taxation. Central and Provincial taxes. Direct and Indirect taxes. The chief sources of Indian revenue. Public debts—their use for nation-building purposes—

(a) Land Revenue; the systems of land tenure in India—their main types.

(b) Other important sources of revenue—Customs, Excise, Railways, Posts and Telegraphs, Income-tax, etc.

Changes made by the Syllabus of 1941

(1) The Provincial Executive. The Governor and and his council of Ministers. The Secretariat, Heads of Departments.

(2) The Central or Federal Executive. The Governor-General and his Ministers, his "Special responsibilities" and "Reserved Functions". Dyarchial nature of the Federal Executive.

(3) The Native States of India and their relattion with the paramount British Government. Federation and Accession of Indian States

The rest is the same as per printed Syllabus for 1940.

नागरिक-शास्त्र

प्रथम अध्याय

प्रान्तीय-शासन

(सन् १९१९ ई० के ऐक्ट के अनुसार)

हिन्दुस्तान शासन के सुभीते के लिये १५ प्रान्तों में विभक्त किया गया है और उनके नाम इस प्रकार हैं:—

(१) बंगाल, (२) मद्रास, (३) बम्बई, (४) संयुक्तप्रान्त आगरा और अवध, (५) पंजाब, (६) बिहार और उड़ीसा, (७) मध्यप्रदेश और बरार, (८) बर्मा, (९) पश्चिमोत्तर प्रदेश, (१०) दिल्ली, (११) ब्रिटिश-बलुचिस्तान (१२) अजमेर-मेरवाड़ा, (१३) कुर्ग, (१४) अन्डमान और निकोबार, (१५) आसाम।

इन प्रान्तों को शासन की दृष्टि से तीन भागों में विभक्त किया गया है:—

(अ) गवर्नर के मातहत के प्रान्त:—(१) बंगाल, (२) मद्रास, (३) बम्बई, (४) संयुक्तप्रदेश, (५) पंजाब, (६) बिहार और उड़ीसा, (७) मध्यप्रदेश और बरार, (८) बर्मा, (सन् १९२२ ई० में हुआ) और (९) आसाम।

(ब) चीफ़ कमिश्नरों के मातहत के प्रान्तः—

(१) पश्चिमोत्तर प्रदेश, (२) ब्रिटिश बलुचिस्तान, (३) दिल्ली, (४) अजमेर-मेरवाड़ा, (५) कुर्ग, और (६) अन्डमान द्वीप।

(स) सन् १६२२ ई० से बर्मा एक गवर्नर का प्रान्त बन गया और इसके पूर्व वह लेफ्टिनेन्ट-गवर्नर के मातहत में था।

गवर्नरों की नियुक्तिः—बंगाल, मद्रास और बम्बई को अहाता कहते हैं। यहाँ के गवर्नरों के पद तथा अधिकार दूसरे गवर्नरों से अधिक हैं।

मध्यप्रान्त और बरार के वर्तमान गवर्नर।

इनकी नियुक्ति सम्राट द्वारा भारत-सचिव की सिफारिश पर होती है (By warrant under the Royal sign Manual)। दूसरे प्रान्तों के गवर्नर बादशाह द्वारा नियुक्त किये जाते हैं, किन्तु उनकी नियुक्ति गवर्नर-जनरल की राय से की जाती है और ये लोग इण्डियन सिविल सर्विस के कर्मचारी होते हैं। बंगाल, मद्रास और बम्बई के गवर्नरों की तनख्वाह अधिक रहती है। इन अहातों के गवर्नरों को सीधे भारत-सचिव के साथ पत्र व्यवहार करने की अनुमति है। वे गवर्नर-जनरल के हुक्म के खिलाफ भारत-सचिव के पास अपील कर सकते हैं। जब गवर्नर-

जनरल का स्थान थोड़े समय के लिये खाली होता है, तब प्रेसीडेन्सी के गवर्नर इस स्थान पर नियुक्त किये जाते हैं। कानूनन गवर्नरों का कार्य-काल निर्धारित नहीं है, किन्तु ये पांच वर्ष के लिये नियुक्त होते हैं। प्रेसीडेंसियों के गवर्नर "इण्डियन सिविल सर्विस" के कर्मचारी नहीं होते। ये इँग्लैण्ड के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ या राजनैतिक दल के सदस्य होते हैं।

प्रत्येक गवर्नर के प्रान्त में एक धारा-सभा होती है तथा एक प्रबन्ध-कारिणी-सभा। प्रबन्ध-कारिणी सभा के सदस्य भी बादशाह द्वारा, गवर्नर-जनरल की सिफारिश पर, नियुक्त किये जाते हैं। चीफ-कमिश्नर, सपरिषद्-गवर्नर-जनरल द्वारा नियत किये जाते हैं। इनको गवर्नर-जनरल के हुक्म के अनुसार शासन करना पड़ता है। इनके प्रान्तों के शासन की जिम्मेदारी गवर्नर-जनरल पर है। चीफ़कमिश्नर तो एजेन्ट मात्र हैं। कुर्ग में धारा-सभा है। पश्चिमोत्तर प्रान्त में एक मंत्री और एक एक्ज़ीक्यूटिव मेम्बर की व्यवस्था की गई है। पश्चिमोत्तर प्रान्त गवर्नर का प्रान्त सन् १९३२ ई० में बना और बर्मा सन् १९२२ ई० में।

लेफ्टिनेंट-गवर्नर सिर्फ बर्मा में था, किन्तु सन् १९२२ ई० में वह भी गवर्नर का प्रान्त बना दिया गया।

लेफ्टिनेंट-गवर्नर की नियुक्ति सपरिषद्-गवर्नर-जनरल बादशाह की स्वीकृति से करते हैं। इस पद पर नियुक्ति के लिये १० साल की पूर्व नौकरी होनी चाहिये। इनकी सहायता के लिये प्रबन्ध कारिणी सभा होती है और इन सभासदों की नियुक्ति गवर्नर-जनरल बादशाह की स्वीकृति से करते हैं। सपरिषद्-गवर्नर-जनरल को सपरिषद्-भारत-सचिव की पूर्व स्वीकृति से प्रान्तों की सीमा में रद्दोबदल करने का अधिकार है।

ब्रिटिश बलुचिस्तान:—यह प्रान्त सन् १८८७ ई० में बना है और यहाँ का शासन प्रबन्ध ब्रिटिश-बलुचिस्तान के 'एजेन्ट-टू-दी-गवर्नर-जनरल' द्वारा होता है।

कुर्ग:—कुर्ग सन् १८३४ ई० से ब्रिटिश-सरकार के मातहत में है। यहाँ का शासन-प्रबन्ध भारत सरकार के विदेशी तथा राजनैतिक मुहकमें के अधिकार में है। मैसूर के रेजीडेन्ट द्वारा इसका शासन होता है। इस तरह से वह यहाँ का चीफ-कमिश्नर कहलाता है।

अजमेर-मेरवाड़ा:—यहाँ का शासन एजेन्ट-टू-दी-गवर्नर-जनरल राजपूताना द्वारा होता है और अजमेर इनकी राजधानी है। इस प्रान्त में यह चीफ-कमिश्नर की हैसियत से शासन करते हैं।

अण्डमान का उपनिवेश:—सन् १८१८ ई० से लम्बी सजा के कैदी यहाँ भेजे जाते हैं। यहाँ का शासन भारत-सरकार के गृह-विभाग द्वारा होता है। पोर्टब्लेयर का सुपरिन्टेडेंट (Superintendent of Penal Settlement) यहाँ का शासक होता है। हाल ही में इसे बन्द करने का प्रस्ताव बड़ी धारा-सभा में उपस्थित हुआ था, किन्तु गवर्नर-जनरल द्वारा वह प्रस्ताव नामंजूर कर दिया गया।

गवर्नर तथा उनकी कार्यकारिणी सभा:—प्रत्येक गवर्नर की सहायता के लिये एक कार्यकारिणी सभा रहती है। कार्यकारिणी सभा के मेंबरों की संख्या कोई निश्चित नहीं है। भारत-सचिव इनकी संख्या निश्चित करते हैं, किन्तु इसकी संख्या चार से अधिक नहीं होती। नियुक्ति इनकी पाँच वर्ष के लिये सम्राट द्वारा होती है। ये अपने कार्यों के लिये

भारत-सचिव द्वारा पार्लिमेन्ट के समक्ष जिम्मेदार होते हैं। इनकी सभा का सभापति गवर्नर या गवर्नर द्वारा निर्धारित कोई मेंबर होता है। इनके जिम्मे शासन के कुछ विभाग होते हैं। कानून में ऐसी कोई शर्त नही जिसके अनुसार हिन्दुस्तानी सदस्य का होना अनिवार्य हो, किन्तु लोकाचार में आधे मेम्बर हिन्दुस्तानी होते हैं।

गवर्नर और कार्य-कारिणी सभा के सदस्यों के संबंधः—

गवर्नर और कार्यकारिणी सभा के सदस्यों को मिलाकर सपरिषद-गवर्नर कहते हैं। गवर्नर को बहुमत के निर्णय को मानना पड़ता है और यदि दोनों पक्ष में मेम्बरों की संख्या बराबर हो, तो गवर्नरों को अतिरिक्त वोट देने का (Casting Vote) अधिकार प्राप्त है। किन्तु आवश्यकता पड़ने पर खास खास मौकों पर गवर्नर उनकी राय के अनुसार कार्य करने के लिये बाध्य नहीं है। गवर्नर तथा सदस्यों के कामों पर गवर्नर-जनरल को नियंत्रण, निरीक्षण और सलाह देने का पूर्ण अधिकार है।

द्वैध शासन (Dyarchy) का आरम्भ

सन् १९१९ ई० के सुधार-ऐक्ट के अनुसार प्रांतीय विषय दो भागों में विभाजित किये गये हैं:—

(१) रक्षित विषय (Reserved Subjects) और
(२) हस्तान्तरित विषय (Transfered Subjects)।

रक्षित विषयों का शासन गवर्नर कार्य-कारिणी सभा के सदस्यों की सहायता से करता है और हस्तान्तरित विषयों का प्रबन्ध मंत्रियों की सहायता से करता है। प्रान्तों में

मंत्रियों की संख्या निश्चित नहीं की गई है, किन्तु बड़े प्रान्तों में ३ और छोटे प्रान्तों में २ मंत्री नियुक्त किये गये हैं। मंत्रीगण गवर्नर द्वारा प्राँतीय धारा-सभा के चुने हुए मेंबरों में से चुने जाते हैं। यदि मंत्री धारा-सभा का मेंबर नहीं है, तो उसे छः माह के अंदर किसी निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हो जाना चाहिये, नहीं तो वह मंत्री नहीं रह सकता। मंत्री की अवधि गवर्नर की इच्छा पर निर्भर रहती है। इनका वेतन उतना ही होता है जितना कि कार्यकारिणी सभा के सदस्य का। इनको गवर्नर और धारा-सभा दोनों को प्रसन्न रखना पड़ता है। हस्तान्तरित विषयों में गवर्नर उनकी राय के अनुसार कार्य करता है, किन्तु इनकी राय को मानने के लिये वह बाध्य नहीं। इनकी स्थिति एक प्रकार से सलाहगीर के अनुसार है। उनकी सलाह मानी जाय या नहीं यह गवर्नर पर निर्भर है। इस प्रकार के प्राँतीय शासन प्रणाली को 'द्वैध-शासन' (Dyarchy) कहते हैं। इस प्रकार सन् १९१९ ई० के सुधार ऐक्ट के अनुसार कुछ परिमाण में प्राँतों में उत्तरदायित्व पूर्ण शासन स्थापित हुआ। वास्तविक उत्तरदायित्व इसी बात में है कि मंत्रीगण चुने हुए सदस्यों में से ही हो सकते हैं। इनकी नियुक्ति गवर्नर द्वारा होती है तथा उसके द्वारा ये लोग अपने पद से हटाये भी जा सकते हैं। मंत्रियों का वेतन असेम्बली निश्चित करती है और फिर यह वेतन मंत्री के कार्य-काल में घट बढ़ नहीं सकता। [असेम्बली के निर्णय के अनुसार सदस्यों को अब वेतन मिलता है। नये विधान के अनुसार]

इनके वेतन में कमी करने का अधिकार धारा-सभा को प्राप्त है। प्रत्येक मिनिस्टर के मातहत कुछ विषय शासन के लिये

रक्खे जाते हैं। प्रत्येक मिनिस्टर सिर्फ अपने विभाग के कार्य के लिये उत्तरदायी होता है। संयुक्त उत्तरदायित्व नहीं है।

मंत्रियों की स्थितिः—मंत्रियों की स्थिति सदैव डावाँडोल रहती है, क्योंकि इनको दो मालिकों को खुश करना पड़ता है, जो कि बहुत कठिन है। गवर्नर जब चाहे तब उनको पद से हटा सकता है। यदि मंत्री अपने पद पर बना रहना चाहता है, तो उसे गवर्नर को सदैव प्रसन्न रखना चाहिये। यदि मिनिस्टर्स दबंग हुए, तो उनको अपनी योग्यता का परिचय देने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि उनकी राय गवर्नर से नहीं मिलती। उनके अधिकार परिमित हैं। वे अपने अधिकारों का धनाभाव के कारण सदुपयोग नहीं कर सकते और धारा-सभा के अन्य सदस्यों को प्रसन्न नहीं कर सकते। धारा-सभा को उनके वेतन में कमी करने तथा उन पर अविश्वास का प्रस्ताव पास करने का अधिकार है।

मंत्रियों और कार्य-कारिणी-सभा के सदस्यों में समानता तथा असमानताः--

इन दोनों में नियुक्ति, कार्यकाल, वेतन गवर्नर से संबंध तथा धारा-सभा के साथ के संबंधों में, भिन्नता पाई जाती है।

नियुक्तिः—कार्यकारिणी-सभा के सदस्य गवर्नर-जनरल की सिफारिश पर सम्राट द्वारा नियुक्त किये जाते हैं।

कार्यकालः— कार्यकारिणी-सभा के सदस्य पांच वर्ष के लिये होते हैं और मंत्री सिर्फ तीन वर्ष के लिये। यदि वे गवर्नर तथा धारा-सभा को बराबर प्रसन्न रख सकें तो, अन्यथा नहीं।

वेतन—कार्यकारिणी सभा के सदस्यों का वेतन भारत-सचिव द्वारा निश्चित किया जाता है और इसके लिये धारा-सभा की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है, किन्तु मिनिस्टर्स के वेतन में कमी करने का अधिकार धारा-सभा को है।

उत्तरदायित्व—कार्य-कारिणी-सभा के सदस्य अपने कार्य के लिये भारत-सचिव के प्रति जिम्मेदार होते हैं और मंत्री गवर्नर और धारा-सभा दोनों के प्रति। मंत्रियों की कोई सभा नहीं होती। वे अपने विभाग के लिये ही उत्तरदायी होते हैं। संयुक्त उत्तरदायित्व का बिलकुल अभाव है। मंत्रियों का एक राजनैतिक दल का होना आवश्यक नहीं है। हस्तान्तरित विषयों के शासन का उत्तरदायित्व गवर्नर पर है और रक्षित विषयों के शासन का उत्तरदायित्व भारत-सरकार के ऊपर अवलम्बित है।

विषयों का विभाजन

सन् १९१९ ई० के सुधार ऐक्ट के अनुसार शासन संबंधी विषय दो भागों में बांटे गये हैं (१) केन्द्रीय विषय और (२) प्रान्तीय विषय। प्रान्तीय विषय दो भागों में विभक्त हैं (१) रक्षित विषय और (२) हस्तान्तरित विषय। कुल प्रान्तीय विषय ५२ हैं। इनमें कुछ रक्षित हैं तथा कुछ हस्तान्तरित। नये विधान में विषय तीन भागों में बाँटे गये हैं। (१) संघीय विषय, (२) संयुक्त विषय और (३) प्रांतीय विषय। संघ सरकार संघीय विषयों पर, प्रान्तीय सरकार प्रान्तीय विषयों पर, और संयुक्त विषयों पर दोनों में से कोई भी कानून बना सकती है। (उनकी सूची आगे दी गई है)

कुछ महत्वपूर्ण विषय इस प्रकार हैं:—

रक्षित विषय।	हस्तान्तरित विषय।
१. पुलिस।	१. स्थानीय स्वराज्य संस्थाएँ।
२. जेल	२. हिन्दुस्तानियों की शिक्षा।
३. न्याय विभाग।	३. व्यवसाय की उन्नति।
४. आर्थिक विषय और लोकल आडिट।	४. सार्वजनिक स्वास्थ्य और सफाई।
५. लगान संबंधी व्यवस्था।	५. दवादारू का प्रबन्ध।
६. फैक्टरियों की देखरेख।	६. पब्लिक वर्क्स।
७. यूरोपियनों की शिक्षा।	७. कृषि तथा मछलियों से लाभ होने के स्थानों का प्रबन्ध।
८. अकाल निवारण।	८. सहायक साख समितियाँ।
९. सिंचाई और नहरें।	९. रजिस्ट्रेशन।
१०. जंगल।	१०. आबकारी।

प्रान्तीय धारासभाओं के सदस्यों की संख्या सन् १९१९ ई० के सुधार-ऐक्ट के अनुसार इस प्रकार है:—

१. बंगाल = १४५	२. मद्रास = १
३. बम्बई = १११	४. संयुक्तप्रांत= ११८
५. बर्मा = १०३	६. बिहार उडीसा=९८
७. पंजाब = ८३	८. मध्यप्रदेश = ७०
९. आसाम = ५३	१०. पश्चिमोत्तर प्रांत=४०

विभाग

वर्तमानकाल में राष्ट्रों के प्रधान कर्तव्य निम्नलिखित समझे जाते हैं:—सार्वजनिक शिक्षा, आर्थिक उन्नति, आवागमन के साधन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, समाजिक सुधार, व्यवस्था, रक्षा, न्याय, अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और देश रक्षा।

(डाक्टर बेनीप्रसाद)

प्रत्येक प्रान्तीय सरकार अपने कार्यों को कई विभागों में विभक्त करती है और एक या कई विभाग एक मिनिस्टर के जिम्मे सौंपा जाता है। सन् १९१९ ई० के सुधार-ऐक्ट के अनुसार केवल हस्तान्तरित विषय मंत्रियों के जिम्मे सौंपे गये हैं और रक्षित विषय गवर्नर की कार्य-कारिणी-सभा के सदस्यों के जिम्मे। प्रत्येक विभाग का सर्वोच्च सरकारी कर्मचारी अलग रहता है। शिक्षा का डाइरेक्टर-ऑफ-पब्लिक-इन्स्ट्रक्शन; कृषि का डाइरेक्टर-ऑफ-कृषि; इन्सपेक्टर-जनरल-ऑफ-पुलिस; डायरेक्टर ऑफ इन्डस्ट्रीज; इन्सपेक्टर-जनरल-ऑफ-सिविल हास्पिटल, डायरेक्टर-ऑफ-पब्लिक-हेल्थ, चीफ-इंजीनियर इत्यादि।

प्रत्येक प्रान्त की राजधानी में एक विशाल दफ्तर रहता है, जिसे "सेक्रेटरियट" कहते हैं। प्रत्येक विभाग का सबसे बड़ा दफ्तर इसी विशाल इमारत में रहता है। प्रत्येक विभाग का सर्वोच्च कर्मचारी प्रान्तीय सरकार का सेक्रेटरी होता है और उसकी सहायता के लिये कई सहायक कर्मचारी और क्लर्क रहते हैं। नये विधान (१९३७ ई०) के अनुसार गवर्नर अपने वैयक्तिक विवेक द्वारा अपने सेक्रेटरियट स्टाफ को नियुक्त करेंगे।

वर्तमान-काल में मध्यप्रान्त के भिन्न भिन्न विभाग निम्न लिखित पांच मंत्रियों में विभक्त किये गये हैं:—

(१) *माननीय पं० रविशंकर शुक्ल प्रधान मंत्री*—ग्रह-कार्य, नियुक्ति, आम शासन, पोलिस और फौज ।

(२) *माननीय पं० दुर्गाशंकर महता मंत्री*—माल, कानून, जगल, असेम्बली विभाग, न्याय और जेल ।

(३) *माननीय पं० एस. वी. गोखले मंत्री*—शिक्षा, सर्वे, बन्दोवस्त, लैंडरिकार्ड ।

(४) *माननीय पं० द्वारकाप्रसाद मिश्र मंत्री*—स्थानीय स्वराज्य सँस्थाएं, स्वास्थ्य, सफाई, समाचारपत्र और प्रकाशन विभाग ।

(५) *माननीय मि० सी. जे. भारुका मंत्री*—वाणिज्य, व्यवसाय, कृषि, आबकारी, पी. डब्लू. डी ।

कानूनन मंत्री अपने विभाग का सर्वोच्च कर्मचारी है, किन्तु उसके मातहत के सेक्रेटरी जो प्रायः अखिल भारत-वर्षीय नौकरियों के पुराने कर्मचारी हुआ करते हैं, अपनी तरक्की इत्यादि के लिये भारत-सचिव के प्रति उत्तरदाई होते हैं । इन लोगों के अधिकार अपरिमित हैं । कभी भी गवर्नर के पास जाकर अपने विभाग की सारी बातें बता सकते हैं और सरकारी नीति निर्धारित करा सकते हैं ।

अभ्यास के लिये प्रश्न—

(१) प्रान्तीय शासन प्रणाली (डायर्की) का वर्णन लिखो। इसको डायर्की क्यों कहते हैं?

(२) कुछ रक्षित और हस्तान्तरित विषयों के नाम लिखो।

(३) मंत्रियों और गवर्नर की कार्य-कारिणी-सभा के सदस्यों के अधिकारों, वेतन तथा नौकरी की स्थिरता में क्या अन्तर है?

(४) सन् १९१९ ई० के सुधार-ऐक्ट के अनुसार मंत्रियों के पद का वर्णन करो।

(५) सन् १९१९ ई० के सुधार-ऐक्ट की विशेषताओं का वर्णन करो।

(६) प्रान्तीय गवर्नरों के अधिकारों का वर्णन करो।

(७) कुछ प्रान्तीय विभागों के नाम लिखो।

(८) सेक्रेटेरियट किसे कहते हैं? सेक्रेटरियों के अधिकारों का वर्णन करो।

दूसरा अध्याय

प्रान्तीय सरकार ।

नये सुधार ऐक्ट के अनुसार (१९३५ ई०) प्रांतों के शासन में निम्न लिखित परिवर्तन हुए:—

गवर्नरों के प्रांतों की संख्या अब दो और बढ़ा दी गई है । सिन्ध और उड़ीसा दो नये प्रांत बना दिये गये हैं और बर्मा हिन्दुस्तान से अलग कर दिया गया । एक नयी चीफ-कमिश्नरी बनाई गई है । पंथपिप्लोदा का क्षेत्र । इस प्रकार हिन्दुस्तान में अब ११ गवर्नरों के प्रान्त बन गये हैं:—

(१) बंगाल, (२) मद्रास, (३) बम्बई, (४) संयुक्तप्रान्त, (५) पंजाब, (६) मध्यप्रान्त और बरार, (७) उड़ीसा, (८) बिहार, (९) आसाम, (१०) सिन्ध, (११) और पश्चिमोत्तर सीमाप्रांत ।

चीफ-कमिश्नरियाँ:—

(१) देहली, (२) बलुचिस्तान, (३) अजमेर-मेरवाड़ा, (४) कुर्ग (५) अन्डमान और निकोबार (६) और पंथपिप्लोदा का क्षेत्र ।

प्रान्तों में उत्तरदायित्वपूर्ण शासन:—

सन् १९१९ ई० के ऐक्ट के अनुसार प्रान्तों में द्विविध शासन स्थापित हुआ । उसके अनुसार कुछ विषयों का शासन

गवर्नर कार्यकारिणी सभा के मेंबरों की सलाह से करता था तथा कुछ विषयों का शासन वह प्रान्तीय-धारा-सभा के निर्वाचित सदस्यों में से चुने हुए मंत्रियों द्वारा करता था। किन्तु सुधार ऐक्ट के अनुसार डायर्की का प्रान्तों में अन्त होगया है और सारे विषयों (कुछ को छोड़कर) का शासन मंत्रियों द्वारा होता है। इस प्रकार रक्षित और हस्तान्तरित विषयों का भेदभाव मिट गया। कार्यकारिणी-सभा का अन्त होगया। अब प्रत्येक प्रान्त आन्तरिक विषयों में स्वाधीन सा होगया, किन्तु उनको ऐसे नियम बनाने के अधिकार नहीं हैं जिनसे केन्द्रिय शासन की स्थिति या विधानों में बाधा पड़े। सन १९३५ ई० के ऐक्ट के अनुसार मंत्री नामज़द सदस्यों में से भी चुना जा सकता है। मंत्रियों को गवर्नर अलग कर सकता है, किन्तु उनका धारा-सभा के प्रति उत्तरदायी होने के कारण उनकी अवधि धारा-सभा पर निर्भर रहती है। इनकी संख्या कानून द्वारा निश्चित नहीं की गई है।

निम्न लिखित विषयों के शासन का भार गवर्नर के ही ऊपर रहेगा:—

१. अल्प-संख्यक जातियों के हितों की रक्षा।
२. सरकारी कर्मचारियों (भूतपूर्व तथा वर्तमान दोनों) के अधिकारों और हितों की रक्षा करना।
३. देशी राज्यों के अधिकारों की रक्षा।
४. अंशतः पृथक किये गये क्षेत्रों का शासन।
५. व्यापारिक या जाति-गत भेदभावों के कानूनों को रोकना।

इन विशेषाधिकारों के विषय में गवर्नर भारत-सचिव के प्रति जिम्मेदार रहेगा। इन विषयों पर भारत-सचिव का

नियंत्रण गवर्नर-जनरल द्वारा होगा। प्रान्तों में सम्राट का प्रतिनिधि अब गवर्नर रहेगा। इस प्रकार प्राँतों को प्राँतीय स्वतंत्रता अधिक प्राप्त होगई। गवर्नर-जनरल और भारत-सचिव का नियंत्रण कम हो गया।

प्रान्तीय स्वतंत्रता किसे कहते हैं:—नये शासनविधान में प्राय: सभी प्रांतीय विषयों के शासन का भार मंत्रियों के हाथ में सौंपा गया है। मंत्रिगण संयुक्त-रूप से उत्तरदायी हो ऐसा प्रयत्न किया गया है। शासकगण और धारा-सभाओं के अधिकार स्पष्ट रूप से विधान में निश्चित कर दिये गये हैं और उन क्षेत्रों में वे भारत-सचिव और गवर्नर-जनरल के नियंत्रण से बिलकुल स्वतंत्र हैं। इस प्रकार के प्रान्तीय-शासन को प्रान्तीय-स्वराज्य कहते हैं। किन्तु नये शासन विधान में गवर्नरों को इतने विशेष अधिकार दिये गये हैं कि जिनसे प्रान्तीय स्वराज्य नाम-मात्र का रह जाता है।

प्रान्तीय स्वराज्य की विशेषताएँ इस प्रकार हैं:—

(१) द्विविध शासन का अन्त हो जाना और प्राय: सभी प्रान्तीय विषयों का सम्पादन मिनिस्टरों द्वारा होना जो कि संयुक्त रूप से अपने कार्यों के लिये धारा-सभा के प्रति उत्तरदायी होंगे।

२) मिनिस्टरों के हाथ में सारे सामाजिक उन्नति के कार्य जैसे:—बाल-विवाह का बन्द करना, अस्पृश्यता को मिटाना, स्त्रियों के अधिकारों को दिलाने का प्रयत्न करना इत्यादि महत्वपूर्ण अधिकार उन्हें मिले।

(३) न्याय और व्यवस्था के कार्य का सम्पादन करना और न्यायपूर्ण शासन चलाने के लिये सर्वदा तत्पर रहना इत्यादि प्रान्तीय स्वराज्य के अन्तर्गत आते हैं।

इस प्रकार प्रान्तीय स्वराज्य का अर्थ है कि प्रान्त कानून और आर्थिक बातों में बाहरी शक्तियों से बिलकुल मुक्त है।

गवर्नर:— इनकी नियुक्ति सम्राट द्वारा होती है। गवर्नर-जनरल के समान इनके भी विशेषाधिकार रहेंगे। वह प्रान्तों में सम्राट का प्रतिनिधि रहेगा और शासन किस प्रकार चलाना चाहिये, इसके लिये उन्हें बादशाह से नसीहतनामा (Instrument of Instructions) दिये जाँयगे। साधारणतः मंत्रियों की सलाह से शासन चलाया जावेगा, परन्तु उन कार्यों के सम्पादन का भार उसी के ऊपर रहेगा जो कि उनकी खास जिम्मेदारी के विषय निश्चित किये गये हैं। वह चाहे तो मंत्रियों की सभा के सभापतित्व का आसन ग्रहण कर सकता है। प्रान्त के लिये गवर्नर-ऐडवोकेट-जनरल (Advocate General) नियुक्त करेंगे।

गवर्नरों के वार्षिक वेतन:—

(१)	गवर्नर मद्रास।	१२०,०००)
(२)	गवर्नर बम्बई।	१२०,०००)
(३)	गवर्नर-बंगाल।	१२०,०००)
(४)	संयुक्त प्रान्त के गवर्नर।	१२०,०००)
(५)	गवर्नर पंजाब।	१००,०००)
(६)	गवर्नर बिहार।	१०० ०००)
(७)	मध्यप्रान्त और बरार के गवर्नर।	७२,०००)
(८)	आसाम का गवर्नर।	६६,०००)
(९)	पश्चिमोत्तर प्रदेश के गवर्नर।	६६,०००)
(१०)	उड़ीसा का गवर्न	६६,०००)
(११)	सिन्ध का गवर्नर।	६६,०००)
	गवर्नर-जनरल का वार्षिक वेतन।	२५०,८००)

मंत्रियों की सभा (The Council of Ministers):—

श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित
(प्रथम भारतीय महिला–मंत्री)

मंत्रियों की सभा प्रत्येक गवर्नर के प्रान्त में होगी, किन्तु उनकी संख्या कानूनन निश्चित नहीं है। मंत्रियों का चुनाव गवर्नर स्वतः करेंगे। उन्हें प्रान्तीय-धारा-सभा का सदस्य होना चाहिये, यदि नहीं हैं तो छः महिने के अन्दर निर्वाचित हो जाना चाहिये। सन् १९३५ ई० के ऐक्ट के अनुसार अब स्त्रियाँ भी मंत्री हो सकती हैं।

गवर्नरों का मंत्रियों के साथ संबंध:—प्रान्तों का शासन सम्राट के नाम पर गवर्नर द्वारा होगा। प्रान्त के वास्तविक प्रबंधक मंत्री लोग होंगे जो अपने कार्यों के लिये लेजिस्–लेटिव–असेम्बली के प्रति उत्तरदायी होंगे। गवर्नर मंत्रियों को कार्य बाँटेंगे। मंत्रियों और सेक्रेटरी को गवर्नर के ध्यान में यह बात लानी होगी कि कौन विषय उनके विशेष

उत्तरदायित्व के हैं। गवर्नर मंत्रियों से उन विषयों में परामर्श लेंगे, किन्तु उनको उनकी राय मानना आवश्यक नहीं है। यह प्रथा केवल उन राष्ट्रों में प्रचलित रहती है, जहाँ उत्तरदायित्व-पूर्ण-शासन अभी पूर्ण-रूप से स्थापित नहीं है। मंत्रियों का चुनाव गवर्नर, पार्टी के नेता की राय से करेगा और उनकी अवधि कानूनन गवर्नर की रुचि पर निर्भर है; किन्तु साधारणतः लेजिस्लेटिव असेम्बली का बहुमत जब तक उनके साथ है, तब तक वे मंत्री बने रहेंगे। पार्टीनेता प्रधान-मंत्री और दूसरे मंत्री कहलायेंगे। वे संयुक्त रूप से अपने कार्य के लिये लेजिस्लेटिव-असेम्बली के प्रति उत्तरदायी रहेंगे तथा इनकी नीति और शासन का तरीका पूर्णरूप से असेम्बली के आधीन रहेगा।

मंत्रियों का वेतन असेम्बली के कानून द्वारा निश्चित होगा और यह वेतन मंत्री के कार्यकाल में घट-बढ़ नहीं सकेगा। मेम्बरों को अब तनख्वाह असेम्बली के निर्णय के अनुसार मिलेगी।

गवर्नरों के व्यक्तिगत अधिकारः—ऐसे विषयों के लिये गवर्नर, गवर्नर-जनरल तथा भारत-सचिव के द्वारा, ब्रिटिश पार्लमेंट के प्रति उत्तरदायी रहेंगे।

व्यक्तिगत निर्णय (Individual Judgment):—गवर्नर मंत्रियों की सलाह पर विचार करेंगे और फिर जैसा उचित समझेंगे वैसी राय देंगे। मंत्रियों की राय मानने के लिये वे बाध्य नहीं हैं।

नये शासन-विधान के अनुसार गवर्नर को संरक्षण और विशेषाधिकार दिये गये हैं। वे इस प्रकार हैं:—

शासन सम्बन्धी अधिकार

विशेष उत्तरदायित्व के कार्यः—प्रान्त में शान्ति रक्षा के लिये, अल्पसंख्यक जाति के उचित हितों की रक्षा, पुलिस विभाग के कर्मचारियों की रक्षा, व्यापारिक भेदभाव, देशी रजवाड़ों के अधिकारों की रक्षा, अंशतः पृथक किये गये क्षेत्रों की रक्षा तथा गवर्नर-जनरल द्वारा प्राप्त आज्ञाओं का पालन इत्यादि हैं। इन विपयों के लिये वह सब कार्य कर सकते हैं।

व्यक्तिगत निर्णय के अनुसार कार्यः—पूर्ण पृथक किये हुए क्षेत्रों के शासन के लिये गवर्नर स्वतंत्र है। विधान भंग होने की संभावना होने पर शासन की सारी जिम्मेदारी गवर्नर पर रहती है। इन विषयों में मंत्रियों को गवर्नर को राय देने का अधिकार प्राप्त नहीं है।

पुलिस कर्मचारियों की रक्षाः—(अ) बिना गवर्नर के पूर्व स्वीकृति के पुलिस-ऐक्ट में न कोई संशोधन हो सकता है और न वह रद्द किया जा सकता है।

(ब) खुफिया विभाग के सारे कागजात या साधन जिनसे गुप्त षड़यंत्रों का पता चलता है, सिर्फ I. G. को या उनके द्वारा बतलाये हुए व्यक्तियों को ही बताये जा सकते हैं।

(स) संगीन षड़यंत्रकारियों के उत्पात से प्राँत की रक्षा करने के लिये या प्राँत में शान्ति कायम करने के लिये गवर्नर विशेष उपायों को काम में लाने के लिये स्वतंत्र हैं।

(ड) शासन-विधान भंग होने पर गवर्नर घोषणा द्वारा प्राँत का सारा शासन हाथ में ले सकता है, किन्तु इसकी

सूचना भारत-सचिव के पास भेजना पड़ती है और इस प्रकार छः मास तक गवर्नर के हाथ में शासन-भार रह सकता है। यह अधिकार बढ़ाया जा सकता है, किन्तु ३ वर्ष से अधिक यह अधिकार नहीं दिया जा सकता है।

कानून सम्बन्धी अधिकार

(अ) प्रान्त में पास हुए बिलों को स्वीकृति देना, न देना, स्वीकृति देने में देर करना तथा बिलकुल न देना, गवर्नर के अधिकार में है। इन विषयों में यदि वह चाहें तो मंत्रियों से पूछ सकते हैं, किन्तु कानून की दृष्टि से उनको राय देने का अधिकार नहीं है।

(ब) गवर्नर के कानून:—गवर्नरों को अपनी जिम्मेदारी पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। इसके लिये उसे धारा-सभा के समक्ष प्रस्ताव रखना पड़ता है कि एक माह के बाद बिल कानूनी रूप धारण कर लेगा। ऐसे कानूनों के लिये धारा-सभा की स्वीकृति आवश्यक नहीं है।

सन् १९१९ ई० के ऐक्ट के अनुसार गवर्नर किसी भी बिल को तसदीक (Certify) कर सकता था। वह धारा-सभा का कानून समझा जाता है और यह गवर्नर का कानून।

(स) आर्डिनेंस:—आर्डिनेंस अब दो प्रकार के होंगे:— (१) गवर्नर का आर्डिनेंस और (२) मंत्रियों की राय से बनाया आर्डिनेंस। किसी भी समय जब कि धारा-सभा की मीटिंग न होती हो गवर्नर प्रांत की रक्षा के लिये कानून बना सकता है, यदि मिनिस्टर्स इसके औचित्य से सहमत हों।

ऐसे आर्डिनेंस की जिम्मेदारी मिनिस्टर्स पर होगी न कि गवर्नर पर। धारा--सभा के प्रारम्भ होने के छः सप्ताह बाद यह विशेष नियम रद्द हो जाता है।

गवर्नर के बनाये हुए आर्डिनेंस:—गवर्नर अपने व्यक्तिगत निर्णय और विशेषाधिकार के लिये आर्डिनेंस बना सकते हैं जो कि छः माह तक कानून के समान उपयोगी और प्रभावशाली रहेंगे।

(ड) गवर्नर किसी भी कानून की कार्यवाही को, यदि वह समझता है कि ऐसे नियम के पास होने पर उसके व्यक्तिगत तथा विशेषाधिकारों को धक्का पहुँचेगा, रोक सकता है।

(ई) गवर्नर सम्राट के प्रतिनिधि के नाते किसी भी बिल को स्वीकृति देने से इन्कार कर सकता है या गवर्नर-जनरल के विचारार्थ रोक सकता है।

आर्थिक अधिकार

(अ) बिना गवर्नर की मँजूरी के खर्च के लिये कोई माँग सभा के सन्मुख उपस्थित नहीं की जा सकती।

(ब) वह किसी मद के खर्च को, जो धारा--सभा द्वारा स्वीकृत नहीं हुआ है, स्वीकृति दे सकता है।

(स) निश्चित दिनों में आय-व्यय की माँग अलग-अलग अर्थ-मंत्री धारा-सभा की स्वीकृति के लिये उपस्थित करता है। जिन विषयों पर मत लेना आवश्यक है, प्रायः वे ही विषय मँजूरी के लिये उपस्थित किये जाते हैं। जिन विषयों पर वोट देने का अधिकार नहीं है वे मदें स्वीकृत मान ली जाती हैं।

यदि सभी विषयों पर बहस की जावे, तो महीनें इसी में खर्च हो जायं। अर्थ-मंत्री इसलिये धारा-सभा के भिन्न-भिन्न दलों के नेताओं से पूछ लेता है कि वे किन-किन विषयों पर बहस करना चाहते हैं, उन्हीं विषयों पर समयानुसार बहस होती है। यदि कोई माँग धारा-सभा द्वारा अस्वीकृत हो जाय तो या तो अर्थ मंत्री उसे मान ले या गवर्नर से स्वीकृति देने की प्रार्थना करे। यदि गवर्नर उचित समझता है तो अपनी स्वीकृति दे देता है। इसकी सूचना धारा-सभाओं को दे दी जाती है। इस प्रकार बजट पास होने पर काम चलता है।

(२) बजट के मदों पर खर्च करने की मँजूरी लेजिस्लेटिव-असेम्बली से मांगी जाती है। बिना उसकी स्वीकृति के वह बजट स्वीकृत नहीं समझा जाता।

उत्तरदायी-शासन-प्रणाली में मतदाताओं की संख्या:-
लेजिस्लेटिव असेम्बली में सदस्य धर्म और जाति के अनुसार चुने जाते हैं—जैसे मुसलमान, सिख, देशी ईसाई, एङ्गलो-इण्डियन, यूरोपियन, दलित समुदाय इत्यादि। लेजिसलेटिव कौंसिल में मेम्बरों की संख्या कम होने के कारण सब [illegible] के प्रतिनिधियों का पहुंचना कठिन है। इसलिये गवर्नर-जनरल को अधिकार दिया गया है कि वह मत विशेष [illegible] की पूर्ति के लिये कुछ सदस्य नामजद करें। [illegible] को भी स्थान दिया जायगा।

सन [illegible] ई० के ऐक्ट के अनुसार लगभग ७३ लाख [illegible] को मत देने का अधिकार मिला था। इसमें [illegible] स्त्रियां भी थीं। सन १९३५ ई० के ऐक्ट के

अनुसार मतदाताओं की संख्या तीन करोड़ पचास लाख होगई जिसमें साठ लाख स्त्रियाँ भी शामिल हैं ।

प्रत्येक प्रान्त में वोटरों के नियम एकसे नहीं हैं, किन्तु वे जो चुनाव में भाग ले नहीं सकते, इनके नियम सब प्रान्तो में एकसे हैं ।

निम्नलिखित व्यक्ति चुनाव में भाग नहीं ले सकतेः—

(१) जो ब्रिटिश भारत के निवासी न हों ।
(२) जो सरकारी अदालत द्वारा पागल ठहराये गये हों ।
(३) जिन्हें फौजदारी जुर्म के अपराध में छः माह या इससे अधिक सजा मिली हो (वे पांच वर्ष तक मत नहीं दे सकते) ।
(४) स्त्रियाँ सन् १९१९ ई० के ऐक्ट के अनुसार ।
(५) २२ वर्ष की आयु से कम के व्यक्ति ।

धारा-सभाओं को, स्त्रियों तथा जो बिटिश भारत के निवासी नहीं हैं, उनको वोटर बनाने का नियम निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है । अब प्रायः सब प्रान्तों में स्त्रियाँ मत देने का अधिकार पा गई हैं । केन्द्रीय धारा-सभाओं में मत देने का अधिकार भी स्त्रियों को प्राप्त है । सन् १९३५ ई० के ऐक्ट के अनुसार स्त्री मतदाताओं की संख्या २० गुनी बढ़ गई है । इस विधान में अब उन स्त्रियों को मत देने का अधिकार मिला है जिनके पास या तो स्वतः की जायदाद है या जो जायदाद वालों की सधवा अथवा विधवा स्त्रियाँ हैं या जो शिक्षित हैं, या जो फौजी या पुलिस के अफसरों की स्त्रियाँ या माताएँ हैं ।

अभ्यास के लिये प्रश्न—

(१) नये शासन-विधान के अनुसार प्रान्त के शासन की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? उसकी नियुक्ति, पद और वेतन के बारे में क्या जानते हो?

(२) नये विधान के अनुसार प्रान्तों के शासन में कौन-कौन से परिवर्तन हुए हैं? उनका वर्णन संक्षेप में करो।

(३) मंत्रियों की संख्या, अधिकार और वेतन के विषय में जो कुछ जानते हो लिखो।

(४) गवर्नर के विशेष उत्तरदायित्व के कार्य कौन-कौन से हैं?

(५) मंत्रियों का सम्बन्ध धारा-सभा के प्रति किस प्रकार रहेगा?

(६) गवर्नरों के शासन, कानून और आर्थिक अधिकारों का वर्णन नये विधान के अनुसार करो।

(७) प्रथम भारतीय महिला मंत्री का नाम लिखो।

तीसरा अध्याय

प्रान्तीय धारा-सभा

(सन् १९३५ ई० के ऐक्ट के अनुसार)

नये विधान के अनुसार ११ गवर्नरों के प्रान्तों में से ६ प्रान्तों में दो धारा-सभाएँ स्थापित हुई हैं और ५ में एक ही धारा-सभा की व्यवस्था की गई है। निम्न लिखित प्रान्तों में दो धारा सभाएँ स्थापित हुई हैं:—

(१) बंगाल। (२) मद्रास। (३) बम्बई।
(४) संयुक्त-प्रान्त। (५) बिहार। (६) आसाम।

अन्य गवर्नरों के प्रान्तों में सिर्फ एक ही धारा-सभा है। जिन प्रान्तों में दो धारा-सभाएँ स्थापित हुई हैं, वहाँ की बड़ी धारा-सभा को (Legislative Council) और छोटी धारा-सभा को (Legislative Assembly) कहते हैं।

संगठन:—छोटी धारा-सभा में (Legislative-Assembly) अब नामज़द सदस्य नहीं होंगे और बड़ी धारा-सभा में थोड़े से नामज़द सदस्य रहेंगे। बड़ी धारा-सभा का आकार ६५ से (बंगाल) २२ (आसाम) तक है।

बंगाल और बिहार में (२७ और १२) सदस्य लेजिस्लेटिव असेम्बली द्वारा चुने जाते हैं और मद्रास, बम्बई संयुक्त-प्रदेश और आसाम की बड़ी धारा-सभा के लिये वहाँ की

लेजिस्लेटिव असेम्बली द्वारा एक भी सदस्य नहीं चुने जाते। अन्य सदस्य भिन्न-भिन्न निर्वाचन संघों के द्वारा चुने जाते हैं।

लेजिस्लेटिव-असेम्बली के सभी सदस्य चुने हुए होंगे। सदस्यों की संख्या इस प्रकार है:—

(१) बंगाल २५०, (२) विहार १५२, (३) आसाम १०८, (४) बम्बई १७५, (५) पंजाब १७५, (६) संयुक्त प्रान्त २२८, (७) मद्रास २१५, (८) मध्यप्रदेश और बरार ११२, (९) पश्चिमोत्तर प्रान्त ५०, (१०) उड़ीसा ६०, (११) सिन्ध ६०।

सन् १९३५ ई० के ऐक्ट के अनुसार प्रान्तीय धारा-सभाएँ

सूबों के नाम	Legislative Assembly प्रांतीय धारासभा	Legislative Council धारा-परिषद इससे कम नहीं	Legislative Council धारा-परिषद इससे ज्यादा नहीं
१ मद्रास	२१५	५४	५६
२ बम्बई	१७५	२९	३०
३ बंगाल	२५०	६३	६५
४ संयुक्त-प्रान्त	२२८	५८	६०
५ विहार	१५२	२९	३०
६ आसाम	१०८	२१	२२
७ पंजाब	१७५	×	×
८ मध्यप्रदेश-बरार	११२	×	×
९ पश्चि० सीमाप्रान्त	५०	×	×
१० उड़ीसा	६०	×	×
११ सिन्ध	६०	×	×

छोटी धारा-सभा की आयु:—छोटी सभा (Legislative Assembly) की आयु ५ वर्ष है। बड़ी धारा-सभा (Legislative Council) स्थायी संस्था रहेगी। हाँ प्रति तीसरे वर्ष ⅓ सदस्य अलग होते जावेंगे और उनकी जगहें दूसरे सदस्यों से भर दी जायँगी।

धारा-सभाओं की बैठक साल में कम से कम एकबार होना ही चाहिये। गवर्नर को सभाओं को बुलाने और उनकी आयु बढ़ाने या सभा तोड़ने का पूर्ण अधिकार है। गवर्नर को सभाओं के सन्मुख भाषण देने का अधिकार है और वह चाहे तो उनके पास सन्देशा भी भेज सकता है। प्रत्येक मिनिस्टर और ऐडवो-केट-जनरल को धारा-सभा के कार्य में भाग लेने का अधिकार है। किन्तु यदि वे सदस्य नहीं हैं, तो उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होगा।

स्पीकर:—प्रत्येक लेजिस्लेटिव-असेम्बली अपने सदस्यों में से एक प्रेसीडेण्ट चुनेगी जो स्पीकर (Speaker of the House) कहलायेगा। एक डिप्टी-स्पीकर भी चुना जायगा। दोनों स्पीकर (Speaker) और डिप्टी-स्पीकर (Deputy Speaker) धारा-सभा के द्वारा चुने हुए सदस्य होंगे। बड़ी धारा-सभा (Legislative Council) के लिये एक प्रेसीडेण्ट और एक डिप्टी-प्रेसीडेण्ट (Deputy President) चुना जायगा। उनके वेतन कौंसिल के ऐक्ट के अनुसार निश्चित होंगे। स्पीकर और प्रेसीडेण्ट को अतिरिक्त मत (Casting Vote) के अधिकार प्राप्त हैं।

कोरम:—लेजिस्लेटिव-असेम्बली के लिये सदस्यों की कुल संख्या का ⅙ और लेजिस्लेटिव कौंसिल के लिये १०

श्री घनश्याम दास गुप्त
(मध्य-प्रान्त के स्पीकर)

श्रीमती अनसूयाबाई काले
(मध्य-प्रान्त के डिप्टी-स्पीकर)

मेम्बर सभा के कार्य प्रारम्भ करने के लिये पर्याप्त समझे जावेंगे । इनका निर्णय सबके लिये मान्य होगा । प्रान्तीय असेम्बली के सदस्यों की आयु २५ वर्ष की और प्रान्तीय कौंसिल के सदस्यों की आयु ३० वर्ष की होनी चाहिये ।

प्रत्येक सदस्य को राजशपथ लेना पड़ती है और तब वह सभा-भवन में बहैसियत सदस्य के बैठ सकता है । सदस्य इस्तीफा दे सकते हैं । यदि कोई सदस्य ६० दिन तक सभा में सभा की मंजूरी बिना गैरहाजिर रहे, तो वह धारा-सभा का सदस्य नहीं रह जाता ।

सदस्यों के अधिकार:—सभा द्वारा निर्धारित वेतन और भत्ता प्रत्येक सदस्य को मिलेगा । मेम्बरों को कौंसिल हाल में बोलने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी । प्रश्न और पूरक प्रश्न पूछने, प्रस्ताव पेश करने, और कानून बनाने लिये मसविदा पेश करने के अधिकार प्राप्त हैं ।

सदस्यता के लिये अयोग्यताएँ:—यदि वह सरकारी नौकर है, मिनिस्टरों को छोड़कर ।

(२) यदि वह अदालत द्वारा पागल ठहराया गया है ।

(३) यदि वह अदालत द्वारा दिवालिया करार कर दिया गया है ।

(४) यदि वह चुनाव सम्बन्धी मामलों के अपराध में अपराधी साबित हो चुका है ।

(५) यदि उसे कालेपानी की सजा हो चुकी हो या २ वर्ष से अधिक की सजा पा चुका हो ।

(६) जिसकी आयु २१ वर्ष से कम हो । ऊपर लिखे हुए व्यक्ति मतदाता नहीं हो सकते ।

प्रान्तीय धारा-सभा के अधिकार:—कोई मसविदा (Bill) जब दोनों सभाओं द्वारा पास हो चुका हो और उस पर गवर्नर अपनी स्वीकृति दे चुका हो और वह सरकारी गजट में प्रकाशित हो चुका हो, तब कहीं वह कानून के रूप में काम में लाया जायगा। यदि किसी बिल पर दोनों सभाओं में मत भेद हो और १२ माह के अन्दर मत-भेद दूर न हुआ हो, तो गवर्नर दोनों सभाओं की संयुक्त बैठक बुलायेंगे और संयुक्त बैठक में बहुमत द्वारा जो तय होगा वह ठीक माना जायगा। गवर्नर किसी बिल पर अपनी स्वीकृति दे सकता है। स्वीकृति देने से इन्कार कर सकता है या गवर्नर-जनरल के विचारार्थ रोक सकता है या धारा-सभा के पास पुनः विचार के लिये भेज सकता है। सम्राट को किसी भी ऐक्ट को १२ माह के अन्दर रद्द करने का अधिकार है। गवर्नर किसी भी ऐसे बिल को रोक सकता है जो उसके विशेष उत्तरदायित्व के विषय से सम्बन्ध रखता हो। हाईकोर्ट या फेडरल-कोर्ट के जजों के कार्यों की आलोचना धारा-सभा में नहीं की जा सकती।

आर्थिक विषयों पर नियंत्रण:—अर्थ सम्बन्धी बिल (कर लगाने के, खर्च करने या कर्ज लेने के) केवल छोटी-सभा में गवर्नर की सिफारिश से ही उपस्थित किये जा सकते हैं और बड़ी सभा (Legislative Council) को किसी विषय में खर्च के लिये रुपया मँजूर करने का अधिकार नहीं है। लेजिस्लेटिव-असेम्बली को मँजूर करने, इनकार करने, या कम करने के लिये मँजूरी देने का अधिकार है। गवर्नर अपने अधिकार से उस रकम को

मँजूर कर सकता है जो असेम्बली के द्वारा अस्वीकृत किया गया है ।

बजटः—प्रति वर्ष गवर्नर सभा के सन्मुख आय-व्यय का हिसाब उपस्थित करेगा । यह चिट्ठा मार्च के महीने में अर्थ-सचिव (Finance Member) छोटी धारा-सभा के सन्मुख उपस्थित करते हुए एक व्याख्यान देता है, जिसमें वार्षिक आय-व्यय की आलोचना और उन कारणों एवं सिद्धान्तों की विवेचना होती है जिनके आधार पर खर्च या आमदनी के साधन बढ़ाने के प्रस्ताव किये गये हैं । यह स्पीच (भाषण) बड़े महत्व का होता है । इसी वक्तव्य को "बजट स्पीच" कहते हैं । इस वक्तव्य के बाद धारा-सभा में साधारण बहस होती है । बजट-शेसन के समय कार्य किस प्रकार होता है, उसका वर्णन इसी पुस्तक के दूसरे स्थान में किया गया है ।

नया शासनः—नये विधान के अनुसार जहाँ लेजिस्लेटिव-असेम्बलियों के वोटरों का मताधिकार बहुत व्यापक कर दिया गया है; वहाँ लेजिस्लेटिव कौंसिलों के वोटरों का मताधिकार अत्यन्त सीमित कर दिया गया है । लेजिस्लेटिव असेम्बलियों के लिये तो प्रति ८ व्यक्तियों पीछे १ मतदाता बन गया है, परन्तु कौंसिलों का मतदाता सहस्रों पीछे एक बन सकता है । इससे लेजिस्लेटिव कौंसिलों में केवल समृद्ध तथा सम्पन्न श्रेणियों के प्रतिनिधि ही पहुँच सकगे । प्रायः सब प्रस्ताव और बिल लेजिस्लेटिव असेम्बलियों में पास होजाने पर लेजिस्लेटिव कौंसिलों में जाया करेंगे और वहाँ पास होजाने पर और गवर्नर की स्वीकृति प्राप्त होजाने पर वे कानून का रूप धारण कर सकेंगे ।

जिस प्रस्ताव अथवा बिल पर दोनों हाउसों में मतभेद होगा, उस पर दोनों की सम्मिलित बैठक में विचार होगा।

प्रान्तों का उत्तरदायित्व-पूर्ण शासनः—सन १९१९ ई० के ऐक्ट के अनुसार प्रान्तों में द्विविध शासन या डायर्की (Dyarchy) स्थापित हुआ और कुछ विषयों का शासन गवर्नर कार्य-कारिणी-सभा के मेम्बरों की सलाह से करता था और कुछ विषयों का शासन गवर्नर प्रान्तीय धारा-सभा के निर्वाचित सदस्यों में से चुने हुए मंत्रियों द्वारा करता था। किन्तु अब डायर्की का प्रान्तों से अन्त होगया और सारे विषयों (कुछ को छोड़कर) का शासन मंत्रियों के द्वारा होता है और हस्तान्तरित और रक्षित विषयों का भेद भाव मिट गया। कार्य-कारिणी-सभा का अन्त होगया। अब प्रत्येक प्रान्त आंतरिक विषयों में स्वाधीन सा होगया है। किन्तु उनको ऐसे नियम बनाने के अधिकार नहीं हैं, जिनसे केन्द्रीय-शासन की रीति या विधानों में बाधा पड़े।

सन् १९१९ ई० के अनुसार मंत्री नामज़द सदस्यों में से भी चुना जा सकता है। मंत्रियों को गवर्नर अलग कर सकता है, किन्तु वे धारा-सभा के प्रति उत्तरदायी होने के कारण उनकी अवधि धारा-सभा के प्रभाव पर निर्भर रहती है। इनकी संख्या कानून द्वारा निश्चित नहीं की गई है। प्रान्त में गवर्नर सम्राट का प्रतिनिधि है।

नये विधान के अनुसार अब सब विषय तीन श्रेणियों में विभक्त किये गये हैं। कुछ विषय प्रान्तीय, कुछ केन्द्रीय और कुछ ऐसे हैं, जिन पर दोनों संघीय तथा प्रान्तीय सरकारें कानून बना सकती हैं। अभी हाल में लार्ड-सभा में लार्ड जेटलैंड द्वारा नवीन-विधान में कुछ संशोधन हुआ

है। जिसके अनुसार आवश्यकता पड़ने पर (खास कर लड़ाई के अवसर पर) संघीय सरकार प्रान्तीय विषयों पर भी कानून बना सकती है। इस पर हिन्दुस्तान में बहुत क्षोभ प्रकट किया गया है। [The House of Lords has passed without a division the New Government of India Act Amendment Bill which gives power to the Central Government to legislate on provincial subjects if necessary. (25/4/39 London)]

प्रान्तीय धारा-सभाएँ प्रान्त के लिये कानून बनाती हैं, किन्तु नये विधान के अनुसार आवश्यकता उपस्थित होने पर गवर्नरों को अस्थायी कानून जारी करने और कानून बनाने के अधिकार भी दिये गये हैं। अस्थायी कानून दो प्रकार के होंगे।

(१) धारा-सभा के अवकाश के समय, मिनिस्टरों के कहने पर, नाजुक स्थिति उत्पन्न होने पर, वह (गवर्नर) अस्थायी कानून बना सकता है। इसका पालन कानून के अनुसार होगा। धारा-सभा की बैठक शुरू होने पर इस प्रकार का आर्डिनेंस उसके सामने पेश किया जायगा। इस प्रकार का आर्डिनेंस धारा-सभा की बैठक से ६ हफ्ते तक लागू रहता है। धारा-सभाओं के प्रस्ताव पास करने पर, गवर्नर या सम्राट द्वारा आर्डिनेंस अपनी आयु से पूर्व भी वापिस लिया जा सकता है। इस प्रकार के आर्डिनेंसों की जिम्मेदारी मंत्रियों पर रहेगी।

(२) अपने उत्तरदायित्व पूर्ण विषयों के लिये आवश्यकता उत्पन्न होने पर अपनी जिम्मेदारी पर भी वह 'आर्डिनेंस' बना सकता है। इस प्रकार के 'आर्डिनेंस'

की आयु ६ माह की होती है और जरूरत होने पर इसकी आयु ६ माह के लिये और बढ़ाई जा सकती है। इस प्रकार के आर्डिनेंस निकालने के पूर्व गवर्नर को गवर्नर-जनरल की स्वीकृति लेना आवश्यक है। ऐसे आर्डिनेंस को सम्राट रद्द कर सकता है, गवर्नर वापिस ले सकता है और गवर्नर-जनरल गवर्नर को वापिस लेने के लिये आज्ञा दे सकता है। आर्डिनेंस, जिसकी आयु बढ़ाई गई है, गवर्नर-जनरल के मारफत भारत-सचिव के पास भेजा जाता है और वह उसको पार्लिमेंट के सामने पेश करता है। उसका निर्णय अन्तिम समझा जाता है।

गवर्नर के ऐक्ट:—कुछ दशाओं में गवर्नर, गवर्नर-जनरल की राय से, स्थायी कानून भी बना सकता है। इस प्रकार का कानून गवर्नर के उत्तरदायित्व पूर्ण विषयों के लिये ही बनाया जा सकता है। गवर्नर मशविदे को (Bill) धारा-सभा के पास भेजता है और नये कानून की आवश्यकता को दर्शाता है। एक माह के बाद वह कानून बन जाता है, धारा-सभा स्वीकृति दे अथवा न दे। इस प्रकार का ऐक्ट भारत-सचिव के पास भेजा जाता है और वह पार्लिमेण्ट के सामने पेश करता है। नये विधान के अनुसार यह नया अधिकार गवर्नर को मिला है।

चीफ कमिश्नर के प्रान्त:—चीफ कमिश्नर के प्रान्तों का शासन-चीफ कमिश्नर द्वारा होता है। इनकी नियुक्ति गवर्नर-जनरल अपनी मर्जी के (Discretion) अनुसार करता है। निम्न लिखित प्रान्त चीफ कमिश्नरों के मातहत में हैं:—(१) ब्रिटिश-बलुचिस्तान; (२) देहली; (३) अजमेर

मेरवाड़ा, (४) कुर्ग (५) अन्डमान और निकोबार, और पंथ-पिप्लोदा। केवल कुर्ग में धारा-सभा है। इन प्रान्तों के शासन की सारी जिम्मेदारी गवर्नर-जनरल के जिम्मे है। चीफ़ कमिश्नर तो केवल भारत के एजेन्ट मात्र हैं। संघ सरकार का अधिकार सब प्रान्तों के लिये समान रूप से लागू होता है, किन्तु ब्रिटिश-बलुचिस्तान का शासन गवर्नर-जनरल अपनी मर्जी के अनुसार करेंगे। संघ सरकार का कोई भी ऐक्ट ब्रिटिश-बलुचिस्तान को बिना गवर्नर-जनरल की स्वीकृति के लागू न होगा। अन्डमान और निकोबार के लिये गवर्नर-जनरल रेग्यूलेशन बना सकता है जैसा कि ब्रिटिश बलुचिस्तान के लिये।

गवर्नर के प्रान्तों के लिये पुलिस, खास खास अपराधों के लिये (राजद्रोह इत्यादि), और सरकारी रिकार्डों को सर्व साधारण को मालूम न होने के लिये जो जो नियम बने हैं, वे सब नियम इन प्रान्तों के लिये भी लागू होंगे। इन प्रान्तों में से किसी भी प्रान्त का गवर्नर का प्रान्त बनाया जा सकता है।

मध्यप्रदेश और बरार की लेजिस्लेटिव असेम्बली के सदस्य होने के लिये योग्यता:—प्रान्तीय धारा-सभाओं के सदस्य होने के लिये भिन्न-भिन्न प्रान्तों में भिन्न-भिन्न योग्यता निश्चित की गई है। साधारण तौर से योग्यता निवास (Residence), कर (Taxation), सम्पत्ति (Property) शिक्षा और नौकरी के आधार पर स्थिर की गई है। स्त्रियों के लिये अधिक सुविधाएँ दी गई हैं। प्रत्येक प्रान्त के लिये योग्यता किस प्रकार की है, इसके लिये गवर्नमेंट

(इ) वह व्यक्ति जो वतनदार पटैल या वतनदार पटवारी है या रजिस्टर्ड देशमुख या देशपाण्डे अथवा लम्बदार है।

शिक्षा सम्बन्धी योग्यताः—जो मैट्रीक्यूलेशन या इसके बराबरी का कोई और परीक्षा पास किये है और जो नागपुर विश्वविद्यालय की डिग्री पाने के लिये भर्ती किया जा सकता है या जो कम से कम फाइनल-मिडिल-स्कूल परीक्षा पास किये हो। बरार के निर्वाचन क्षेत्र के लिये निज़ाम सरकार की ऐसी ही कोई परीक्षा पास किये हुए लोग भी मतदाता बन सकते हैं।

नौकरी सम्बन्धी योग्यताः—पेन्शन पानेवाले, नौकरी से अलग किये गये और सम्राट की सेना के सिपाही भी मत दे सकते हैं। बरार के किसी निर्वाचन क्षेत्र के लिये निज़ाम सरकार से पेन्शन पानेवाले, नौकरी से अलग किये गये (Discharged) निज़ाम सरकार की सेना और पुलिस का सिपाही भी मतदाता बन सकता है।

स्त्रियों की योग्यताः—प्रान्तीय निर्वाचन संघ के लिये स्त्रियाँ मतदाता बन सकती हैं, यदि उनमें निम्न लिखित योग्यता पाई जावें:—

(अ) यदि उसका पति आवश्यक योग्यता रखता है।

(ब) फौजी या पुलिस की नौकरी करनेवाले आदमियों की पेन्शन पानेवाली बेवाएँ या माताएँ।

(स) पढ़ी लिखी औरतें और ऐसी औरतें जिनके पास प्रायमरी स्कूल सर्टिफिकेट हों।

(ङ) बरार के निर्वाचन क्षेत्रों के लिये फौजी या पुलिस की नौकरी करनेवाले आदमियों की पेन्शन पानेवाली बेवाएँ और माताएँ भी मत दे सकेंगी।

हीन जाति के लिये विशेष योग्यता:—कोटवार, जगलिया या गाँव का महार भी मत दे सकेंगे।

नये विधान के अनुसार किस प्रान्त में कितने सदस्य किस निर्वाचन क्षेत्र से चुने जाते हैं, इसके लिये बतलाये हुए नक्शा देखना चाहिये:—

प्रान्तीय लेजिस्लेटिव कौंसिल के कुछ सदस्य गवर्नर द्वारा नामजद होते हैं और कहीं-कहीं कुछ सदस्य प्रान्तीय असेम्बली द्वारा चुने जाते हैं। अन्य सदस्य भिन्न भिन्न निर्वाचन संघों द्वारा चुने जाते हैं। साधारण निर्वाचन संघ के लिये अलग नियम बने हैं। अधिक जानकारी के लिये गवर्नमेण्ट ऑफ इण्डिया ऐक्ट को (२४२ सफा से २४४ सफा तक) पढ़ना चाहिये।

सन् १९३५ ई० के ऐक्ट के अनुसार प्रान्तीय व्यवस्थापक सभाएँ।

प्रान्त	साधारण	पिछड़े हुए क्षेत्र और जातिया	सिख	मुसलमान	ऐंग्लो इण्डियन	यूरोपियन	भारतीय ईसाई	व्यापार उद्योग और खनिज	जमीदार	विश्व-विद्यालय	श्रमजीवी या मजदूर	स्त्रियाँ: साधारण	स्त्रियाँ: सिख	स्त्रियाँ: मुसलमान	स्त्रियाँ: ऐंग्लो-इण्डियन	स्त्रियाँ: भारतीय ईसाई	योग
मद्रास	१४६	१	×	२८	२	३	८	६	६	१	६	६	×	१	×	१	२१५
बम्बई	११४	१	×	२९	२	३	३	७	२	१	७	५	×	१	×	×	१७५
बंगाल	७८	×	×	११७	३	११	२	१९	५	२	८	२	×	२	१	×	२५०
संयुक्तप्रान्त	१४०	×	×	६४	१	२	२	३	६	१	३	४	×	२	×	×	२२८
पंजाब	४२	×	३१	८४	१	१	२	१	५	१	३	१	१	२	×	×	१७५
बिहार	८६	७	×	३९	१	×	१	४	४	१	३	३	×	१	×	×	१५२
मध्यप्रांत वरार	८४	१	×	१४	१	१	×	२	३	१	२	३	×	×	×	×	११२
आसाम	४७	९	×	३४	×	१	१	११	×	×	४	१	×	×	×	×	१०८
प० सीमाप्रांत	९	×	३	३६	×	×	×	×	२	×	×	×	×	×	×	×	५०
उड़ीसा	४४	५	×	४	×	×	१	१	२	×	१	२	×	×	×	×	६०
सिन्ध	१८	×	×	३३	×	×	×	२	२	×	१	१	×	१	×	×	६०

सिंध और पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त को छोड़कर अन्य प्रान्तों में हरिजनों के लिये कुछ स्थान सुरक्षित हैं। वे स्थान साधारण सदस्यों की सख्या में सम्मिलित हैं। मद्रास मे ३०, बंबई १५, बगाल ३०, सयुक्त प्रान्त २०, पंजाब ८, बिहार १५, मध्यप्रान्त वरार २०, आसाम ७, उड़ीसा ६, बंबई में साधारण जगहों मे ७ जगह मराठों के लिये सुरक्षित हैं।

सन् १९३५ ई० के ऐक्ट के अनुसार प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषदें

प्रान्त	साधारण	मुसलमान	यूरोपियन	भारतीय ईसाई	व्यवस्थापक सभा	गवर्नर द्वारा नामजद	योग
मद्रास	३५	७	१	३	...	८ से कम नहीं १० से अधिक नहीं	५४ से कम नहीं ५६ से अधिक नहीं
बम्बई	२०	५	१	...	...	३ से कम नहीं ४ से अधिक नहीं	२९ से कम नहीं ३० से अधिक नहीं
बंगाल	१०	१७	३	...	२७	६ से कम नहीं ८ से अधिक नहीं	६३ से कम नहीं ६५ से अधिक नहीं
संयुक्तप्रान्त	३४	१७	१	...	...	६ से कम नहीं ८ से अधिक नहीं	५८ से कम नहीं ६० से अधिक नहीं
बिहार	९	४	१	...	१२	३ से कम नहीं ४ से अधिक नहीं	२९ से कम नहीं ३० से अधिक नहीं
आसाम	१०	६	२	...	...	३ से कम नहीं ४ से अधिक नहीं	२१ से कम नहीं २२ से अधिक नहीं

अभ्यास के लिये प्रश्न—

(१) नये विधान के अनुसार प्रान्तीय शासन में कौन कौन से परिवर्तन हुये है ?

(२) नये विधान के अनुसार मंत्रियों के अधिकार और वेतन के विषय में जो कुछ जानते हो लिखो ।

(३) गवर्नरों के अधिकारों का स्पष्टीकरण करो ।

(४) गवर्नर और मत्रियों के पारस्परिक संबध का वर्णन करो ।

(५) नये विधान के अनुसार प्रान्तीय गवर्नरों को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है ? क्या कब और कौन-कौन से ।

(६) प्रान्तीय स्वराज्य से तुम क्या जानते हो ?

(७) जिन प्रान्तों का शासन चीफ-कमिश्नरों द्वारा होता है, उनके नाम लिखो और यह भी बताओ कि उनके शासन तथा गवर्नरों के प्रान्तों के शासन में क्या भेद है ?

(८) (अ) तुम्हारे प्रान्त की धारा-सभा में आजकल कितने सदस्य हैं ?
(ब) इसमें कौन कौन से समुदाय के प्रतिनिधि हैं ?
(स) इस धारा-सभा की पार्टियों के नाम लिखो।
(ड) धारा-सभा के सम्मेलन के समय अध्यक्ष कौन होता है ?
(क) धारा-सभा की अवधि क्या है ?
(ख) M. L. A. से तुम क्या समझते हो ?
(ग) अपने प्रान्त की धारा-सभा के वर्तमान अध्यक्ष का नाम लिखो।

(९) प्रान्तीय असेम्बली और प्रान्तीय कौंसिल में क्या अन्तर है ?

(१०) क्या नये विधान के अनुसार भारत के सभी प्रान्तों में दो धारा-सभाएँ स्थापित की गई हैं ? उन प्रान्तों के नाम लिखो जहाँ दो धारा-सभाएँ हैं ?

(११) अपने प्रान्त के लेजिस्लेटिव असेम्बली के सदस्यों की योग्यताओं का वर्णन करो ।

चौथा अध्याय

(अ)

नये विधान के अनुसार प्रान्तीय विषय

प्रान्तीय विषय कुल ५४ हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं:—

(१) सार्वजनिक शान्ति (सेना छोड़कर) अदालतों का संगठन और फीस (संघ न्यायालय छोड़कर)। (२) संघ न्यायालय को छोड़कर अन्य न्यायालयों का इस सूची के विषयों के संबंध में निर्णय देने का अधिकार; माल की अदालतों की कार्य पद्धति। (३) पुलिस, (४) जेल, (५) प्रान्त का सार्वजनिक ऋण, (६) प्रान्तीय सरकारी नौकरियाँ, नौकरी कमीशन। (७) प्रान्तीय पेन्शन (८) प्रान्तीय निर्माण कार्य, भूमि और इमारतें, (९) सरकारी तौर से भूमि प्राप्त करना, (१०) पुस्तकालय तथा अजायब घर, (११) प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल का चुनाव। (१२) प्रान्तीय मंत्रियों तथा व्यवस्थापक सभाओं और परिषदों के सभापति, उपसभापति और सदस्यों को वेतन और भत्ता, (१३) स्थानीय स्वराज्य संस्थाएँ, (१४) सार्वजनिक स्वास्थ्य और सफाई, अस्पताल, जन्म और मृत्यु का लेखा (१५) तीर्थयात्रा, (१६) कब्रस्तान, (१७) शिक्षा (१८) सड़कें, पुल, घाट और आवागमन के अन्य साधन (बड़ी रेलों को छोड़कर), (१९) जल प्रबन्ध, आबपाशी, नहर,

बांध, तालाब और जल से उत्पन्न होने वाली शक्ति, (२०) कृषि, कृषि शिक्षा और अनुसंधान, पशु चिकित्सा तथा काँजी-हाउस, (२१) भूमि, मालगुजारों और किसानों के पारस्परिक संबंध, (२२) जंगल (२३) खान, तेल के कुओं का नियंत्रण और खनिज उन्नति, (२४) मछलियों का व्यवसाय, (२५) जंगली पशुओं की रक्षा. (२६) गैस और गैस के कारखाने, (२७) प्रान्त के अन्दर का व्यापार वाणिज्य, मेले, तमाशे साहूकारी और साहूकार, (२८) शराब (२६) उद्योग धन्धों की उन्नति, माल-की उत्पत्ति. पूर्ति और वितरण, (३०) खाद्य-पदार्थों आदि में मिलावट, तौल और माप, (३१) शराब और अन्य मादक वस्तुओं संबंधी क्रय-विक्रय और व्यापार (अफीम की उत्पत्ति छोड़कर), (३२) गरीबों का कष्ट निवारण, बेकारी (३३) कारपोरेशनों का संगठन, संचालन और समाप्ति, अन्य व्यापारिक साहित्यिक, वैज्ञानिक, धार्मिक आदि संस्थाएँ, सहकारी समितियाँ (३४) दान और दान देनेवाली संस्थाएँ, (३५) नाटक, थियेटर और सिनेमा, (३६) जुआ और सट्टा, (३७) प्रान्तीय विषयों संबंधी कानूनों के विरुद्ध होनेवाले अपराध (३८) प्रान्त के काम के लिये आँकड़े तैयार करना, (३६) भूमि का लगान और मालगुजारी संबंधी पैमाइश, (४०) आबकारी, शराब, गाँजा, अफीम आदि पर कर (४१) कृषि संबंधी आय पर कर, (४२) भूमि इमारतों पर कर, (४३) कृषि भूमि के उत्तराधिकार संबंधी कर, (४४) खणिज अधि-कारों पर कर, (४५) व्यक्ति कर, (४६) व्यापार, पेशे, धंधे पर कर, (४७) पशुओं और किश्तियों पर कर, (४८) माल की विक्री और विज्ञापनों पर कर, (४६) चुङ्गी, (५०) विलासिता की वस्तुओं पर कर इसमें दावत, मनोरंजन, जुए, सट्टे पर के कर सम्मिलित हैं (५१) स्टाम्प, (५२) प्रान्त के भीतर के जल-

मार्गों में जानेवाले माल और यात्रियों पर कर, (५३) मार्ग कर (टोल), (५४) अदालती फीस को छोड़कर किसी प्रान्तीय विषय संबंधी फीस।

(व)

नये विधान के अनुसार

संयुक्त विषयों की सूची:—संयुक्त विषयों पर संघीय धारा-सभा कानून बना सकती है। यदि न बनाये तो प्रान्तीय धारा-सभा कानून बना सकती है। संयुक्त विषय दो भागों में विभक्त किये गये हैं। प्रथम भाग में २५ विषय हैं और द्वितीय भाग में ११ हैं। **प्रथम भाग के कुछ मुख्य विषय** इस प्रकार हैं:—

(१) फौजदारी कानून और कार्य पद्धति।
(२) एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त के कैदियों का निर्वासन
(३) विवाह, तलाक, गोद लेना, असहाय और नाबालिग।
(४) ट्रस्ट और उसके सदस्य।
(५) वसीहत, ठेका, दिवाला।
(६) कानूनी, डाक्टरी तथा दीगर पेशे।
(७) समाचार पत्र, किताबें, और छापेखाने।
(८) विष तथा अन्य विषैले पदार्थ।
(९) पशु पीड़ा निवारक, मोटर आदि।

दूसरे भाग के कुछ विषय इस प्रकार हैं:—

(१) श्रमजीवियों का कुशल क्षेम।
(२) ट्रेड यूनीयन, मजदूर संघ।

(३) इलेक्ट्रि-सिटी।
(४) सिनेमा के फिल्मों का प्रदर्शन।
(५) वेकारी का वीमा।
(६) छूत की वीमारियों को रोकना आदि ।

जो विषय तीनों विषयों में नहीं आये हैं, उन पर गवर्नर-जनरल अपनी मर्जी के अनुसार संघोय या धारा-सभा को कानून वनाने का अधिकार दे सकता है।

(स)

संघीय विषय

नये विधान में शासन सम्बन्धी विभिन्न विषय तीन श्रेणियों में विभक्त किये गये हैं—संघीय विषय, प्रांतीय विषय और संयुक्त विषय (Concurrent Legislative List)। संघीय विषय वे होंगे, जिनके लिये कानून संघोय धारा-सभाएँ वनायेंगी। इस तरह कुल संघीय विषय ५९ हैं। उनमें से कुछ विषय इस प्रकार हैं:—

(१) सेना (नाविक सेना, स्थल सेना, वायु सेना जो हिन्दुस्तान के लिये रक्खी गई हों,) केन्द्रीय खुफिया विभाग, परराष्ट्र से सम्बन्ध रखनेवाले विषय।

(२) नाविक, सैनिक और वायुयानों के लिये सार्वजनिक कार्य, कैन्टोनमेंट के अन्दर स्वायत्व शासन संस्थाओं के लिये कानून बनाना।

(३) ईसाई धर्म और उनके कब्रस्तानों की रक्षा।

(४) मुद्रा और टकसाल।

(५) संघ सरकार का सार्वजनिक ऋण।

(६) डाक, तार, टेलीफोन, बेतार का तार, ब्राडकास्टिङ्ग, पोस्ट आफिस, सेविंग्ज बैंक।

(७) संघीय नौकरियाँ और संघीय पब्लिक सर्विस कमीशन।

(८) इम्पीरियल पुस्तकालय, इण्डियन अजायबघर, इम्पीरियल वार म्यूजियम। विक्टोरिया मेमोरियल तथा या अन्य संस्थाएँ जिनकी देखरेख और मरम्मत संघीय कोष से होती है।

(९) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय और अलीगढ़ मुसलिम विश्वविद्यालय।

(१०) बड़े बड़े बन्दरगाह और उनका प्रबन्ध।

(११) बड़ी बड़ी संघीय रेलवे।

(१२) हवाई जहाज और उनके स्टेशन इत्यादि।

(१३) लाईट हाउस, कापी राईट, आविष्कार व्यापारिक चिह्न।

(१४) अस्त्र-शस्त्र गोला-बारूद तथा अन्य विस्फोटक पदार्थ। अफीम।

(१५) पेट्रोलियम।

(१६) बीमा कम्पनी।

(१७) कारपोरेशन टैक्स।

(१८) नमक।

(१९) नागरिक-करण (Naturalisation)।

(२०) मापतौल।

(२१) राँची का यूरोपियन मेन्टल हास्पिटल।

(२२) आयकर, निर्यातकर, उत्तराधिकार कर।

(२३) समुद्र यात्रा।

अभ्यास के लिये प्रश्नः—

(१) सन् १९१९ ई० के ऐक्ट के अनुसार शासन संबंधी विषय कितने भागों में विभक्त थे? कुछ मुख्य-मुख्य विषयों के नाम लिखो।

(२) सन् १९३५ ई० के ऐक्ट के अनुसार कुल प्रान्तीय विषय कितने हैं? कुछ प्रसिद्ध प्रातीय करों के नाम लिखो।

(३) संयुक्त विषय [Concurrent Legislative List] किसे कहते हैं?

(४) संयुक्त विषय के अन्तर्गत कुल कितने विषय हैं? कुछ संयुक्त विषयों के नाम लिखो।

(५) वे विषय जो तीनों श्रेणियों में नहीं आते हैं उनके लिये कानून कौन बनाएगा?

(६) नये विधान के अनुसार सारे विषय कितने भागों में विभक्त किये गये हैं? उनके नाम लिखों।

(७) संघीय विषयों मे से कुछ विषयों के नाम लिखो।

पांचवाँ अध्याय

(अ)

भारत-सरकार

(सन् १९१९ ई० के ऐक्ट के अनुसार)

गवर्नर-जनरलः—भारतवर्ष में ब्रिटिश सरकार का सर्वोच्च अधिकारी गवर्नर-जनरल है। रेग्यूलेटिङ्ग ऐक्ट (सन १७७३ ई०) के अनुसार इस पद का निर्माण हुआ और सन १८३३ ई० के चार्टर ऐक्ट के बाद से वह गवर्नर जनरल-ऑफ-इण्डिया कहे जाने लगे। सन् १८५३ ई० तक इनको बंगाल के शासन का काम भी करना पड़ता था; किन्तु सन् १८५३ ई० में बंगाल के लिये एक लेफ्टिनेन्ट-गवर्नर नियुक्त हुआ और तब से प्रान्त के शासन का कार्य इनसे अलग कर दिया गया।

सन् १८५७ ई० के गदर के बाद ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन का अन्त हुआ और हिन्दुस्तान के शासन की बागडोर इँग्लैंड की सरकार के हाथ में चली गई, तब से यह वायसराय भी कहलाने लगे। वायसराय का अर्थ होता है "बादशाह का प्रतिनिधि" (Latin-Vice, in place of; and Rex-a king). गवर्नर-जनरल की नियुक्ति पांच साल के लिये होती है। इस पद पर इँग्लैंड के

उच्च तथा कुलीन लार्ड वंश के योग्य, अनुभवी, प्रभावशाली एवं राजनीतिज्ञ व्यक्ति ही प्रधान मंत्री की सिफारिश पर सम्राट द्वारा नियुक्त होता है। हिन्दुस्तान में आने के पूर्व इन्हें सम्राट कोई भारी उपाधि प्रदान करते हैं। ये लोग सरकारी नौकर नहीं होते हैं और प्रायः हिन्दुस्तान में इसके पूर्व कभी नहीं आये रहते हैं। ये लोग हिन्दुस्तान में स्वतंत्र विचार लेकर आते हैं। इनको २,५६,००० रुपया वार्षिक वेतन मिलता है। इसके अलावा इन्हें और भी कई प्रकार के भत्ते मिलते हैं।

गवर्नर-जनरल के अधिकार:—भारतीय शासन विधान में इनका स्थान बहुत ही ऊँचा है। सन् १९१५ ई० के ऐक्ट के अनुसार भारत के सभी दीवानी तथा फौजी अधिकार सपरिषद् गवर्नर-जनरल को सौंपे गये हैं और भारत-सचिव के प्रत्येक हुक्म का पालन करना इनके लिये आवश्यक है। भारत-सरकार, ब्रिटिश सरकार के, जो कि ६,००० मील दूर है, आधीन है। फिर भी गवर्नर-जनरल हिन्दुस्तान में सम्राट के प्रतिनिधि स्वरूप हैं और इन पर सरकारी काम के लिये, कोई मुकदमा हाईकोर्ट द्वारा नहीं चलाया जा सकता और न ये गिरफ्तार या कैद किये जा सकते हैं। ये किसी भी अपराधी को, जिसने किसी भी हाईकोर्ट द्वारा फौजदारी मुकदमे में प्राणदण्ड की सजा पाई हो, क्षमा प्रदान कर सकते हैं। लावेल महोदय (Lawell) गवर्नर-जनरल के अधिकार की तुलना रूस के भूतपूर्व जार के साथ करते हैं, किन्तु इसमें बहुत अधिक अत्युक्ति है। इनको दो प्रति बन्धनों के अन्तर्गत कार्य करना पड़ता है। वे इस प्रकार हैं:—(१) भारत-सचिव

तथा (२) खुद की कार्य-कारिणी-सभा। लार्ड कर्जन ने कहा है कि हम लोगों को यह भूल नहीं जाना चाहिये कि भारत का शासन कमिटी द्वारा होता है न कि किसी एक व्यक्ति विशेष द्वारा। उनके सारे अधिकार कानून पर अवलम्बित हैं। उनके कार्यों को हम तीन श्रेणियों में बाँट सकते हैं:—

(१) शासन सम्बन्धी अधिकार।
(२) आर्थिक अधिकार।
(३) कानून सम्बन्धी अधिकार।

शासन सम्बन्धी अधिकार

(१) नियुक्ति सम्बन्धी अधिकार:—गवर्नर-जनरल को कई उच्च कर्म-चारियों को नियुक्त करने का अधिकार है, जैसे—कार्य-कारिणी-सभा के उप-सभापति, राज्य-परिषद् के सभापति की नियुक्ति, कौंसिल-सेक्रेटरी, लेफ्टिनेन्ट-गवर्नर, बंगाल, मद्रास और बम्बई के गवर्नरों को छोड़ अन्य की नियुक्ति इनकी सिफारिश पर होती है।

(२) कार्य-कारिणी-सभा के निर्णय को रद्द करने का अधिकार:—साधारणतः कार्य-कारिणी-सभा के बहुमत के निर्णय के अनुसार इन्हें कार्य करना पड़ता है, किन्तु यदि गवर्नर-जनरल समझते हैं कि किसी निर्णय के अनुसार कार्य करने पर देश की रक्षा, शान्ति या ब्रिटिश हितों की रक्षा में बाधा पड़ती है, तो वे अपने निज के निर्णय के अनुसार कार्य कर सकते हैं। हाँ, ऐसे समय में कार्य कारिणी-सभा के दो सदस्य चाहें, तो सारे कागजात भारत-सचिव के पास विचारार्थ भेज सकते हैं।

(३) **आम चुनाव तथा धारा-सभाओं को निमंत्रित करने का अधिकारः**—इनको कार्य-कारिणी-सभा को किसी भी स्थान पर बुलाने, धारा-सभा की बैठक कराने, धारा-सभा को बर्खास्त करने या उसकी आयु बढ़ाने और फिर से आम चुनाव कराने का अधिकार प्राप्त है।

(४) **क्षमा प्रदान करने का अधिकारः**— हिन्दुस्तान के किसी भी फौजदारी अदालत द्वारा दी गई प्राण दण्ड की सजा के अपराधी को क्षमा प्रदान कर सकते हैं।

(५) **विदेशी तथा देशी रजवाड़ों के साथ इनका सम्बन्धः**—रियासतों के साथ इनका प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहता है और वैदेशिक तथा देशी रियासतों के साथ की नीति इनके द्वारा निर्धारित होती है। ब्रिटिश साम्राज्य की "एशियाई नीति", इनकी राय से निश्चित की जाती है।

आर्थिक अधिकार

(१) हिन्दुस्तान के कोष का रुपया खर्च करने के लिये प्रस्ताव उपस्थित करने के पूर्व इनकी स्वीकृति का होना आवश्यक है।

(२) भारतीय धारा-सभा द्वारा किसी भी मनी-बिल के अस्वीकृत किये जाने पर वह अपनी जिम्मेदारी पर यह बतलाकर कि इस रकम का खर्च किया जाना आवश्यक है, तसदीक (Certify) कर सकते हैं। किसी माँग के अस्वीकृत होने पर या माँगी रकम में कम मँजूरी होने पर वह उस रकम को अपनी जिम्मेदारी पर रेस्टोर (Restore) कर सकते हैं। इस प्रकार धारा-सभा के खिलाफ रहते हुए भी कर लगाया जा सकता है।

(५) प्रान्तीय धारा-सभाओं में कुछ विषयों पर कानून बनाने के लिये गवर्नर-जनरल की पूर्व स्वीकृति होना आवश्यक है।

(६) प्रान्तीय धारा-सभा द्वारा पास किये हुए बिल को आप रद्द कर सकते हैं।

(७) प्रान्तीय धारा-सभा द्वारा पास किये हुए कानून को जब तक गवर्नर-जनरल की स्वीकृति प्राप्त न हो, तब तक कानून नहीं कह सकते।

कभी कभी प्रान्तीय धारा-सभा द्वारा पास हुए कानून को प्रान्त का गवर्नर, गवर्नर-जनरल की स्वीकृति के लिये रख लेता है। गवर्नर-जनरल उस कानून पर अपनी स्वीकृति दे सकता है अथवा इन्कार कर सकता है।

कभी कभी गवर्नर-जनरल प्रान्तीय धारा-सभा द्वारा पास हुए कानून को सम्राट की स्वीकृति के लिये रख लेता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि गवर्नर-जनरल के कानूनी अधिकार ही उसको सर्व शक्तिमान बना देते हैं।

गवर्नर-जनरल की कार्य-कारिणी सभा:—शुरू से ही अर्थात् सन १७७३ ई० के रेग्यूलेटिंग ऐक्ट के अनुसार ४ मेम्बरों की एक सभा इनकी सहायता के लिये बनाई गई। पिट्स इण्डिया ऐक्ट के अनुसार (सन् १७८४ ई०) मेम्बरों की संख्या ४ से ३ कर दी गई। सन् १८३३ ई० में एक नया कानूनी सदस्य उसमें जोड़ा गया। सन् १८६१ ई० में एक अर्थ सदस्य इसमें और जोड़ा गया। सन् १८८४ ई० में मुहकमा इमारत के लिये एक नया सदस्य जोड़ा

का नम्बर आता है। गवर्नर-जनरल को अतिरिक्त मत (Casting Vote) देने का अधिकार है। यदि किसी विषय पर दो पक्ष के मत बराबर हों, तो गवर्नर-जनरल (सभापति) जिस तरफ अपना मत प्रकट करेगा उसी के अनुसार कार्य होगा।

कार्य विभागः— आजकल भारत-सरकार के कार्य आठ विभागों में बँटे हैं:—

(१) विदेश और राजनैतिक विभाग (Foreign and Political Departments) वायसराय के जिम्मे है।

(२) सेना (Army and Defence) जङ्गी-लाट या कमान्डर-इन-चीफ़ के जिम्मे है।

(३) स्वदेश (Home) विभाग:—गृह-सचिव सदस्य के जिम्मे है।

(४) अर्थ विभाग (Finance) अर्थ सदस्य के जिम्मे।

(५) रेल, वाणिज्य और ईसाई धर्म:—रेलवे, वाणिज्य सदस्य के जिम्मे।

(६) कानून (Law):— कानूनी सदस्य के जिम्मे कानून विभाग है।

(७) शिक्षा, स्वास्थ्य और भूमि विभाग:—शिक्षा, स्वास्थ्य और भूमि सदस्य के जिम्मे है।

(८) उद्योग तथा श्रम (Industry and labour) विभाग:—वाणिज्य सदस्य के जिम्मे है।

(१) विदेश और राजनैतिक विभागः— विदेश और राजनैतिक विभाग के अध्यक्ष स्वतः वायसराय होते हैं।

इस विभाग का मुख्य कार्य भारत सरकार तथा देशी एवं एशिया के कुछ अन्य राज्यों के साथ के सम्बन्ध का निरीक्षण करना है। इस कार्य में सहायता करने के लिये दो सेक्रेटरी होते हैं। (१) विदेशी सेक्रेटरी (Foreign Secretary) जो कि सीमाप्रांत के देशों से सम्बन्ध रखने वाले विषयों पर सलाह देता है और (२) राजनैतिक सेक्रेटरी (Political Secretary)। भारतवर्ष की देशी रियासतों से सम्बन्ध रखनेवाले मामलों में सहायता पहुँचाता है। इस विभाग की ओर से देशी रियासतों में रेजीडेण्ट या पोलिटिकल एजेन्ट्स कार्य करते हैं। राजकुमार कालिजों का कार्य, देशी रियासतों की फौज की देखरेख, विदेशी वाणिज्य, दूतों का स्वागत, अजमेर-मेरवाड़ा और ब्रिटिश बलुचिस्तान के शासन का नियंत्रण, राजनैतिक कैदी, पेन्शन, उपाधियों का वितरण इत्यादि कार्य इस विभाग के अन्दर हैं।

(२) सेना विभागः—यह विभाग जङ्गी-लाट के जिम्मे रहता है। इनका पद वायसराय के पद से नीचा है। आप वायसराय की कार्यकारिणी-सभा के असाधारण सदस्य कहलाते हैं। सेना सम्बन्धी सभी कार्य, भारत सरकार की सेना के कर्मचारियों को निर्धारित करना, सेना के प्रत्येक अंग को सुव्यवस्थित रखना, हिन्दुस्तान में लड़ाई-झगड़ा, हो तो उसका उत्तम रीति से संचालन करना इत्यादि कार्य आपके आधीन हैं। आप सैनिक मामलों में भारत सरकार के एकमात्र सलाहगीर समझे जाते हैं।

(३) स्वदेश विभागः—यह विभाग गृह-मेम्बर के आधीन रहता है और इस विभाग के जिम्मे देश के भीतरी

शासन सम्बन्धी निरीक्षण का काम रहता है। इण्डियन सिविल सर्विस, कानून, न्याय, पुलिस, जेल, कालापानी, भारत सरकार के दफ्तर तथा इम्पीरिल लायब्रेरी का प्रबन्ध, सरकारी शासन और नीति सम्बन्धी सूचनाएँ एवं रिपोर्टें इसी विभाग में तय होती हैं। इनमें से अधिकांश विषय प्रान्तीय विषय स्थिर किये गये हैं। अतएव इस मुहकमे का काम प्रांतीय सरकारों के रक्षित विषयों के शासन की देखरेख, निरीक्षण तथा उन्हें उचित सलाह देना ही रह गया है।

(४) अर्थ विभागः—यह विभाग अर्थ-सचिव के जिम्मे रहता है। इस विभाग का काम बड़े महत्व का है। इस विभाग का कुशलता पर आर्थिक प्रबन्ध की स्थिरता निर्भर रहती है। केन्द्रीय सरकार का बजट तैयार करना, सरकारी आय-व्यय का हिसाब रखना, देशी रजवाड़ों के नजराने, सरकारी कर्मचारियों के वेतन, उनकी छुट्टी, भत्ता, पेन्शन, अफीम, चुंगी, सिक्का और टकसाल कुछ हद तक प्रांतीय अर्थ का निरीक्षण, बैंकिंग, सार्वजनिक कर्ज इत्यादि विषय इसके जिम्मे हैं। इस विभाग की एक शाखा सैनिक खर्च का भी प्रबन्ध करती है। इस विभाग की एक शाखा के जिम्मे आयात-निर्यात कर, नमक, अफीम, आबकारी और स्टाम्प का कार्य होता है। अर्थ सदस्य सार्वजनिक कोष का मालिक है। शासन चक्र के पहिया के लिये यह विभाग धुरी के समान है, क्योंकि सभी विभागों को रुपये की जरूरत पड़ती है।

(५) रेल और वाणिज्यः—इस विभाग के अन्तर्गत रेल, जहाजों द्वारा व्यापार, अन्य वाणिज्य और निर्यात

सम्बन्धी नियम का बनाना तथा जिन्दगी का बीमा इत्यादि काम सौंपे गये हैं। रेलवे-बोर्ड की देखरेख भी इसके मेम्बर द्वारा होती है।

(६) कानून विभाग:—इस विभाग के सदस्य को कानूनी सदस्य कहते हैं। इस सदस्य का मुख्य कार्य सरकारी बिलों का मसौदा बनाना तथा सरकार को कानूनी विषयों में सलाह देना रहता है। केन्द्रीय धारा-सभा के सभी सिलेक्ट समिति (Select Committee) के कार्यवाही में वे भाग लेते हैं। इस विभाग का निर्माण लार्ड विलियम बेंटिक के समय में हुआ और लार्ड मैकाले इसके सर्व प्रथम मेम्बर हुए हैं। सन् १९०६ ई० में लार्ड सिनहा इस पद पर नियुक्त किये गये। अभी तक (सन् १६०९ ई०) किसी हिन्दुस्तानी को वायसराय के कार्यकारिणी-सभा का सदस्य बनने का मौका नहीं मिला था।

(७) शिक्षा, स्वास्थ्य और भूमि विभाग:—इस विभाग का सदस्य शिक्षा सदस्य कहलाता है और शिक्षा, स्वास्थ्य तथा भूमि सम्बन्धी विषयों की देखरेख करना तथा सरकारी नीति निर्धारित करना इसका कार्य है। शिक्षा, भूमि कर, अकाल, भोजन, पदार्थों की देखरेख, हिन्दुस्तान की सर्वे, मेडिकल सर्विस, स्वास्थ्य विभाग, स्वायत्व शासन संस्थाओं की देखरेख, पुस्तकालयों, सरकारी रिकार्डों, मुहकमा इमारत, अजायबघरों इत्यादि से यह विभाग सम्बन्ध रखता है।

(८) उद्योग तथा श्रम विभाग:—इस विभाग को निम्न लिखित कार्य सौंपे गये हैं।

श्रम सम्बन्धी कानून बनाना, अन्तर्प्रान्तीय प्रवास, फैक्ट्री ऐक्ट्स, अन्तर्राष्ट्रीय-श्रम-विभाग के साथ सम्बन्ध, पेटेन्ट्स, डिजाइन, कापीराइट, खदान, जमाबन्दी, छापाखाना, सिविल हवाई सर्विस, उद्योग, पोस्ट और टेलिग्राफ मुहकमा, इमारत, आबपाशी विभागों की देखरेख। इस प्रकार भारत सरकार का कार्य सम्पादन होता है।

केन्द्रीय सेक्रेटरियट:—प्रत्येक विभाग एक सदस्य के आधीन रहता है और उनकी सहायता के लिये कई अन्य अधिकारी रहते हैं। जैसे:—सेक्रेटरी, अन्डर-सेक्रेटरी, असिस्टेण्ट सेक्रेटरी, सुपरिन्टेन्डेण्ट तथा क्लर्क्स इत्यादि। मुहकमों का सेक्रेटरी इण्डियन सिविल सर्विस का मेम्बर होता है और इनकी नियुक्ति वायसराय द्वारा तीन वर्ष के लिये होती है और प्राय: दो भारतीय धारा-सभाओं में से किसी एक का सदस्य होता है। सेक्रेटरी अपने विभाग के कागजात अपनी राय सहित मुहकमों के सदस्य या गवर्नर-जनरल के सन्मुख पेश करता है। वह कार्य-कारिणी-सभा की बैठक के समय यदि उसके मुहकमे का विषय पेश हो, तो वहाँ उपस्थित रहता है। सेक्रेटरी यद्यपि मुहकमें के सदस्य के आधीन रहता है तथापि वह चाहे, तो सीधे गवर्नर-जनरल के पास जाकर किसी भी विषय पर उनका हुक्म प्राप्त कर सकता है। इसका कारण यह है कि सेक्रेटरी भारत सरकार के मातहत रहता है न कि मुहकमें के सदस्य के मातहत में। यदि किसी विषय पर मुहकमें के सदस्य और उस मुहकमें के सेक्रेटरी में भिन्नता पाई जावे, तो सेक्रेटरी को उस विषय को वायसराय के सन्मुख विचारार्थ रखने का पूर्ण अधिकार है। इस तरह हम

देखते हैं कि हिन्दुस्तान के सेक्रेटरी का पद इँग्लैंड के स्थायी अन्डर-सेक्रेटरी से कहीं ऊँचा है। क्योंकि वहाँ के स्थायी-अन्डर-सेक्रेटरी को न तो कैबिनेट मीटिंग में उपस्थित होने का अधिकार है और न सीधे प्रधान-मंत्री के पास ही पहुंचने का।

गवर्नर-जनरल यदि चाहें तो भारतीय-धारा-सभा के सदस्यों में से चाहे वे नामजद किये गये हों या निर्वाचित, कुछ को सेक्रेटरी नियुक्त कर सकते हैं और ये कौंसिल सेक्रेटरी कहलाते हैं। इनका वेतन धारा-सभा द्वारा निश्चित होता है। इनका पदों पर रहना उस समय तक निश्चित है, जब तक कि गवर्नर-जनरल चाहें।

सब सेक्रेटरियों का एक महान कार्यालय (सेक्रेटरियट) देहली में है और सेक्रेटरियों को देहली या शिमला में आवश्यकतानुसार रहना पड़ता है। भारत सरकार के आधीन कइ डायरेक्टर-जनरल और इन्सपेक्टर-जनरल रहते हैं जो भारतीय सरकार और प्रान्तीय सरकारों के भिन्न भिन्न मुहकमों के कार्य की निगरानी रखते हैं और उन्हें उचित सलाह देते हैं।

शासन विषय:—हिन्दुस्तान में शासन के सुभीते की दृष्टि से दो प्रकार की सरकारें हैं:—

(१) केन्द्रीय सरकार जिसका सर्वोच्च कर्मचारी गवर्नर-जनरल है और जिसका कार्य दिल्ली या शिमला से होता है। (२) दूसरे प्रान्तीय सरकारें।

केन्द्रीय या भारत सरकार के जिम्मे भारतवर्षीय विषय और प्रान्तीय सरकारों के जिम्मे प्रांतीय विषय रहते हैं।

सन् १९१९ ई० के ऐक्ट ने सभी विषयों को दो भागों में विभक्त किया है।

(१) केन्द्रीय विषय और (२) प्रान्तीय विषय।

केन्द्रीय विषयों में से कुछ मुख्य विषय इस प्रकार हैं:—

(१) देश रक्षा। (२) अन्य देशों तथा देशी रियासतों के साथ का सम्बन्ध। (३) डाक, तार, टेलीफोन, बेतार का तार। (४) रेल और हवाई डाक। (५) जहाजों के आने जाने और ठहरने का प्रबन्ध। (६) बड़े बड़े बन्दरगाह। (७) वाणिज्य, बैंक और बीमा। (८) आयात निर्यात कर, रुई पर कर आयात-कर नमक और अखिल-भारत-वर्षीय आय के अन्य साधन। (९) सिक्का, नोट आदि। (१०) भारत वर्ष का सरकारी ऋण। (११) सेविंग बैंक। (१२) भारत वर्ष का हिसाब परीक्षण विभाग। (१३) मर्दुमशुमारी और आँकड़े (Statistics)। (१४) अखिल भारतवर्षीय सर्विस। (१५) पब्लिक सर्विस कमीशन। (१६) अफीम की पैदावार, खपत और निर्यात का नियंत्रण। (१७) प्रांतों की सीमा। (१८) मजदूर सम्बन्धी नियंत्रण। (१९) दीवानी और फौजदारी कानून तथा उनके कार्य विधान। (२०) हथियार और युद्ध सामग्री का नियंत्रण। (२१) कापी राइट। इत्यादि। केन्द्रीय विभागों के नाम लिखे जा चुके हैं, और प्रांतीय शासन के विभाग के नाम प्रांतीय शासन के अध्याय में दिये गये हैं।

भारत सरकार का प्रान्तीय सरकारों के साथ सम्बन्ध:—

केन्द्रीय विषय का संचालन भारत सरकार करती है और प्रांतीय विषयों का प्रांतीय सरकार। प्रांतीय गवर्नरों को अपने प्रांत के शासन के साथ साथ भारत सरकार के

आदेशों का पालन करना पड़ता है और उन्हें प्रत्येक महत्व पूर्ण विषय का विवरण भारत सरकार के पास भेजना पड़ता है और जो रिपोर्ट मांगी जाय उसे भी भेजना पड़ती है।

सन् १६१६ ई० के पूर्व केन्द्रीय नियंत्रण प्रांत के प्राय: प्रत्येक विषय पर जिसका सम्बन्ध प्रबन्ध, कानून और आर्थिक नीति से रहता था अधिक था, किन्तु सन् १६१६ ई० के सुधार ऐक्ट के बाद मे प्राय: प्रत्येक विषय पर नियंत्रण कम कर दिया गया। इस ऐक्ट के अनुसार प्रांतों में द्विविध शासन प्रणाली (Dyarchy) स्थापित हुई और रक्षित विषयों पर केंद्रीय सरकार का नियंत्रण अधिक रहता है और हस्तांतरित विषयों पर बहुत ही कम। भारत सरकार को हिन्दुस्तान के सभी मुल्की तथा फौजी विषयों का नियंत्रण, निरीक्षण और शासन का पूर्ण अधिकार है। देश-रक्षा, शांति और व्यवस्था ! पूर्ण अधिकार उसी को है, इसलिये आवश्यकता पड़ने पर जब चाहे तब प्रांतीय विषयों में भारत सरकार हस्तक्षेप कर सकती है।

जिस प्रांतीय विषय पर प्रांतीय सरकार तथा धारा-सभा सहमत हों उन विषयों पर भारत सरकार हस्तक्षेप नहीं करती। प्रान्तीय धारा-सभा द्वारा पास हुआ कानून जब तक गवर्नर-जनरल की स्वीकृति प्राप्त न करले, तब तक वह कानून का अधिकार नहीं रखता। प्रान्तीय सरकारों को अब कर्ज लेने का अधिकार है और कर्ज के व्याज की दर इत्यादि की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा होती है। बम्बई, मद्रास, और बंगाल के गवर्नरों के शासन प्रबन्ध में भारत सरकार कम हस्तक्षेप करती है। ब्रिटिश सरकार

की नीति प्रान्तीय स्वराज्य देना है इसलिये भारत सरकार को प्रान्तीय सरकार के शासन में जहाँ तक हो सके कम हस्तक्षेप करने का आदेश दिया गया है। हिन्दुस्तान एक विशाल देश है और सर्वत्र शासन ठीक-ठीक रहे तथा प्रान्त में वैमनस्य न होने पावे, इसलिये हिन्दुस्तान को एक मजबूत केन्द्रीय सरकार की जरूरत सदा बनी रहेगी।

भारत-सरकार और भारत-सचिव के साथ सम्बन्धः—

विधान के अनुसार भारत सरकार ब्रिटिश पार्लियामेंट के आधीन है और पार्लियामेंट का नियंत्रण भारत-सचिव द्वारा होता है। भारत-सचिव के जिम्मे भारत का शासन प्रबन्ध निरीक्षण और नियंत्रण सौंपा गया है। भारत-सचिव की प्रत्येक आज्ञा का पालन करना भारत-सरकार के लिये अनिवार्य है। लड़ाई, सन्धि या किसी भी महत्वपूर्ण योजना को कार्य में लाने के पूर्व भारत-सचिव की स्वीकृति आवश्यक है।

प्रतिवर्ष भारत-सरकार को पार्लियामेंट के सन्मुख हिन्दुस्तान की राजनैतिक, सामाजिक और नैतिक उन्नति की रिपोर्ट भेजना पड़ती है। सन् १९१९ ई० के पूर्व भारत-सचिव का नियंत्रण कड़ा था, किन्तु इसके बाद कम हो गया है। उन विषयों में जिन पर भारत सरकार और भारतीय-धारा-सभा के सदस्यों के मत एक से होते हैं, उन विषयों पर भारत-सचिव बहुत कम हस्तक्षेप करते हैं। व्यवहार में दोनों मिल जुलकर और सहयोग के साथ काम करते हैं और भारत-सचिव बहुत कम हस्तक्षेप करते हैं। यदि गवर्नर-जनरल दबंग हुआ, तो भारत-सचिव को उनके कहने के अनुसार कार्य करना पड़ता है।

गवर्नर-जनरल के स्थल पर के कर्मचारी होने के कारण उनकी राय को विशेष महत्व देना पड़ता है और वह अपने कार्यक्षेत्र में एक सेनापति के सदृश आवश्यकतानुसार कार्य करने को स्वतंत्र हैं। अतएव हिन्दुस्तान का शासन बहुत कुछ गवर्नर-जनरल की रुचि के अनुसार होता है। हिन्दुस्तान को औपनिवेशिक स्वराज्य देना ब्रिटिश पार्लियामेण्ट का प्रधान ध्येय है इसलिये भारत-सचिव का नियंत्रण कम होता जा रहा है।

अवस्था-परिवर्तन-कालिक व्यवस्था (Transitional Provisions of the Act.1935.):—सन् १९३५ ई० के ऐक्ट के अनुसार १ अप्रैल सन् १९३७ ई० से हिन्दुस्तान के ११ प्रांतों में प्रांतीय स्वराज्य की स्थापना हुई है और समस्त भारतवर्ष के लिये संघ सरकार (Federal Government) की व्यवस्था की गई है। प्रांतीय स्वराज्य और संघ सरकार की स्थापना एक साथ नहीं हुई है, इसलिये अवस्था-परिवर्तन-कालिक व्यवस्था की गई है।

संघ सरकार कायम होने तक वर्तमान भारतीय धारा-सभाएँ ब्रिटिश भारत के लिये कानून बनायेंगी। संघ सरकार के कार्य सपरिषद्-गवर्नर-जनरल करेंगे और संघ सरकार कायम होजाने पर जो कार्य गवर्नर-जनरल अपनी मर्जी के (In his discretion) द्वारा करने के अधिकारी होंगे, वे कार्य ब्रिटिश-भारत के लिये गवर्नर-जनरल स्वतः करेंगे। केन्द्रीय सरकार का प्रान्तों के कानून और व्यवस्था पर अब नियंत्रण नहीं रहा। केन्द्रीय सरकार के निरीक्षण, नियंत्रण और आदेश के अधिकार कुछ विषयों को (व्यापारिक झगड़ा) छोड़कर बिल्कुल निकल गये।

विधान में बताये गये गवर्नर-जनरल के विशेष उत्तरदायित्व के कार्यों की जिम्मेदारी गवर्नर-जनरल पर रहेगी।

गवर्नर-जनरल और सपरिषद्-गवर्नर-जनरल सभी विषयों में भारत-सचिव के आधीन होंगे। भारत-सरकार की रकम को खर्च करने के लिये भारत-सचिव को अपने सलाहकारों का बहुमत होना चाहिये। संघ सरकार कायम होने तक सलाहकारों की संख्या ८ से १२ तक होगी। संघ सरकार कायम होजाने पर सलाहकारों की संख्या ३ से ६ तक होजायगी।

डा० ई० राघवेन्द्र राव बार-एट-ला

नये ऐक्ट के अनुसार भारत-सचिव के सलाहकारों (Advisers) का वार्षिक वेतन १,३५० पौंड होगा और हिन्दुस्तानी सलाहकारों को ६०० पौंड और मिलेगा। अभी हाल में मध्यप्रान्त के डा० ई० राघवेन्द्रराव भारतसचिव के परामर्श-दाता नियुक्त हुए हैं।

जब तक संघ सरकार कायम नहीं होती, तब तक सपरिषद् गवर्नर-जनरल विदेशों से भारतवर्ष के लिये ऋण नहीं

ले सकते । भारत सरकार की तरफ से आवश्यकता पड़ने पर भारत-सचिव अपने सलाहकारों के बहुमत से कर्ज ले सकते हैं। सपरिषद्-गवर्नर-जनरल के कर्ज लेने के अधिकार को भारतीय- धारा-सभा सीमित नहीं कर सकती । फेडरल रेलवे अथारिटी, फेडरल पब्लिक कमीशन, और फेडरल कोर्ट की स्थापना, संघ शासन स्थापित होने के पूर्व, साथ साथ, या प्रान्तीय स्वराज्य स्थापित होजाने के बाद भी की जा सकती हैं। फेडरल कोर्ट की स्थापना १ अक्टूबर १९३७ ई० से दिल्ली में हुई है और अभी इसमें एक चीफ-जस्टिस, जो हिन्दुस्तान के चीफ जस्टिस कहलाते हैं, और दो साधारण जज नियुक्त हुए हैं।

अभी हाल ही में भारत के चीफ-जस्टिस सर मारिस ग्वायर ने राजकोट के ठाकुर साहेब के मामले में निष्पक्ष निर्णय देकर अच्छी ख्याति पाई है और आपका निर्णय "ग्वायर निर्णय" के नाम से प्रसिद्ध है ।

सर मारिस ग्वायर

राजकोट के मामले को सुलझाने के लिये (राजकोट की जन संख्या ७५, ५४० है । महात्मा गान्धी का राजकोट

और इसके राजपरिवार से निकट का सम्पर्क है। उनका लालन-पालन राजकोट में हुआ है। उनके पिता ने दीवान रहकर राज्य की सेवा की है) महात्मा गान्धी ने मर्णान्त उपवास आरम्भ किया था; किन्तु वर्तमान वायसराय के हस्तक्षेप से महात्मा जी ने उपवास तोड़ दिया।

कानून बनाने के अधिकारों में भी परिवर्तन हुए हैं। सरकारी सम्पत्ति में भी नया विभाजन हुआ है। संघ सरकार की और प्रान्तीय सरकार की सम्पत्ति अलग अलग कर दी है। निमेयर रिपोर्ट (Niomeyar Report) के अनुसार भारतीय और प्रान्तीय आय व्यय के साधन भी निश्चित कर दिये गये हैं। संघ सरकार और प्रान्तीय सरकार अपने अपने

महात्मा गान्धी

राजकोट के ठाकुर साहिब

कार्यों के लिये भारत-सचिव और हाई कमिश्नर को आवश्यक रकम देंगी ।

केन्द्रीय सरकार की आय के मुख्य मुख्य साधन इस प्रकार हैं:—(१) आयात-निर्यात कर, (२) आय-कर, (३) नमक कर, (४) अफीम कर, (५) रेलवे, (६) पोस्ट और तार, (७) मिन्ट और (८) देशी राज्यों से कर ।

प्रान्तीय सरकार की आयके मुख्य साधन इस प्रकार हैं:—भूमिकर, स्टाम्प, रजिस्ट्री, आवपाशी, जंगल, न्याय, आवकारी तथा अन्य विभागों से ।

कुछ प्रान्तों को केन्द्रीय सरकार कुछ रकमें देंगी वह इस प्रकार हैं:— (१) संयुक्तप्रांत को २५ लाख रुपया प्रति वर्ष ५ साल तक दिया जावेगा ।

(२) आसाम को ३० लाख रुपया प्रतिवर्ष मिलेगा ।

(३) पश्चिमोत्तर सीमाप्रांत को एक करोड़ रुपया प्रतिवर्ष दिया जावेगा ।

(४) उड़ीसा को प्रथम वर्ष ४७ लाख रुपया और फिर ४ वर्ष तक ४३ लाख और फिर उसके बाद ४० लाख प्रतिवर्ष दिया जावेगा ।

(५) सिन्ध को प्रथम वर्ष एक करोड़ दस लाख रुपया मिलेगा और फिर थोड़ा कम होता जायगा और ४५ वर्ष के बाद ५५ लाख प्रतिवर्ष मिलेगा । तारीख १-४-१९३७ से यह रकम उसे मिलने लगी है ।

इन परिवर्तनों को छोड़कर केन्द्रीय सरकार का सारा कार्य पूर्ववत चलेगा, जब तक संघ-सरकार कायम न होगी ।

अभ्यास के लिये प्रश्नः—

(१) भारत सरकार से तुम क्या समझते हो ?

(२) गवर्नर-जनरल और वायसराय के अधिकारों का वर्णन करो ।

(३) गवर्नर-जनरल के कार्य-कारिणी-सभा के सगठन और कार्यो का वर्णन करो ।

(४) केन्द्रीय और प्रान्तीय विभागों के कार्यों मे भिन्नता क्यों पाई जाती है ? किन-किन बातों का ध्यान रखकर विषयों को केन्द्रीय और प्रान्तीय विभागों मे विभक्त करते हैं ?

(५) आयकर, पोष्ट और टेलीग्राफ, और रेलवे, परराष्ट्र विभागों मे कौन-कौन से विभाग केन्द्रीय और कौन-कौन से विभाग प्रान्तीय है ?

(६) केन्द्रीय सेक्रेटरियट के विषय मे जो कुछ जानते हो, लिखो ।

(७) गवर्नर-जनरल का सम्बन्ध भारत--सचिव और प्रान्त के गवर्नर के साथ किस तरह का है ?

(८) भारत--सरकार के विभागों का नाम लिखो और प्रत्येक विभाग के जिम्मे कौन-कौन से कार्य सौंपे गये है ? उनका वर्णन करो ।

(९) संघ-सरकार कायम होने तक भारत-सरकार का कार्य किस तरह चलेगा ?

(१०) केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारों की आमदनी के साधनों के नाम लिखो ? (नये ऐक्ट के अनुसार) ।

(११) संघ--सरकार कायम होने तक भारत--सचिव और भारत--सरकार के सम्बन्ध किस प्रकार के रहेंगे ?

(१२) संघ--सरकार कायम होने तक और संघ--सरकार कायम हो जाने पर भारत--सचिव के परामर्श--दाताओं की सख्या कितनी रहेगी ?

(१३) वर्तमान चीफ--जस्टिस आफ इण्डिया के नाम लिखो । ग्वायर निर्णय को समझाओ ?

अध्याय पांचवाँ
(ब)
भारत सरकार (भारत की संघ सरकार)
(सन् १९३५ ई० के ऐक्ट के अनुसार)

सन् १६३५ ई० के ऐक्ट के अनुसार १ अप्रैल सन् १६३७ ई० से हिन्दुस्तान के ११ प्रान्तों में प्रांतीय स्वराज्य की (Provincial Autonomy) स्थापना होगई और भारतवर्ष के लिये संघ सरकार स्थापित करने की व्यवस्था की गई है। इस संघ सरकार में ब्रिटिश भारत के गवर्नरों और चीफ कमिश्नरों के प्रान्त और देशी रियासतें भी सम्मिलित होंगी। देशी राज्यों का संघ में सम्मिलित होना या न होना रियासतों के राजाओं की मर्जी पर छोड़ दिया गया है। देशी राज्यों को शर्तनामा (Instrument of Accession) की शर्तों को स्वीकार करना पड़ेगा।

संघ सरकार की स्थापना:— संघ सरकार की स्थापना सरदार सभा (House of Lords) और जन-सभा (House of Commons) के अलग-अलग प्रार्थना करने पर सम्राट घोषणा द्वारा करेंगे। संघ सरकार तब स्थापित होगी, जब इतने देशी रजवाड़े, जिनको कम से कम ५२ सदस्य "राज्य परिषद" (Council of State) के लिये चुनने का अधिकार हो और जिनके राज्यों की जनसंख्या

कुल देशी राज्यों की जन संख्या कम से कम आधी हो, संघ में सम्मिलित होने की इच्छा प्रकट करें।

गवर्नर-जनरल और वायसराय:—गवर्नर-जनरल की नियुक्ति कमीशन से रायल-साइन-मैन्यूअल (The Royal Sign Manual) के अनुसार, सम्राट द्वारा होती है नये ऐक्ट में गवर्नर-जनरल और वायसराय के कार्य अलग-अलग कर दिये गये हैं। किन्तु दोनों पदों के अधिकार एक ही व्यक्ति को दिये जा सकते हैं। संघ सरकार का सर्वोच्च-अधिकारी गवर्नर-जनरल होगा और जब वह बादशाह के प्रतिनिधि की हैसियत से देशी रजवाड़ों के साथ सम्राट के अधिकारों का प्रयोग करेंगे और जब वह संघ सरकार के अधिकार के बाहर के कार्यों को करेंगे, तब वह केवल "वायसराय" कहलायेंगे।

लार्ड लिनलिथगो (अप्रैल सन् १९३६ से)

इस विधान के अनुसार केन्द्रीय सरकार में द्विविध शासन प्रणाली (Dyarchy) स्थापित होगी। संघीय विषय दो विभागों में विभक्त किये गये हैं:—(१) संरक्षित विषय

और (२) संघीय विषय। रक्षित विषयों का संचालन गवर्नर-जनरल द्वारा तीन सलाहगीरों (Counsellors) की राय से और संघीय विषयों का सम्पादन गवर्नर-जनरल अपने चुने हुए मन्त्रियों की राय से करेंगे। मंत्रियों की संख्या १० से अधिक न होगी।

सलाहगीरों की संख्या (Counsellors) तीन से अधिक न हो सकेगी। इनका वेतन तथा नौकरी की अन्य शर्तें सम्राट अपनी कौंसिल की राय से निश्चित करेंगे।

आर्थिक सलाहकारः—गवर्नर-जनरल यदि चाहें तो एक आर्थिक सलाहकार (Financial-adviser) नियुक्त कर सकते हैं जो संघ सरकार की आर्थिक स्थिरता और साख कायम रखने में उनको सलाह देगा। वह संघ सरकार को आर्थिक विषयों पर सलाह देगा। उसका वेतन तथा उसके सहायकों की संख्या गवर्नर-जनरल द्वारा निश्चित होगी। प्रथम नियुक्ति को छोड़कर दूसरी नियुक्ति के समय वह अपने मंत्रियों से राय लेंगे। इनका कार्यकाल गवर्नर-जनरल निश्चित करेंगे।

ऐडवोकेट जनरलः—गवर्नर-जनरल एक एडवोकेट-जनरल को नियुक्त करेगा, जो फेडरल कोर्ट के जज होने की योग्यता रखता है। कानूनी विषयों में संघ सरकार को सलाह देना तथा अन्य कानूनी काम जो उनको सौंपा जाय, उनका करना उसका काम होगा। इनका कार्य-काल और वेतन गवर्नर-जनरल द्वारा निश्चित होगा।

हस्तान्तरित विषयों के लिये गवर्नर-जनरल मंत्रियों की सभा (Council of Ministers) की राय लेंगे। गवर्नर-

जनरल चाहें, तो इन मंत्रियों की सभा का सभापतित्व भी ग्रहण कर सकता है। मंत्रियों का चुनाव, शपथ लेना और पद पर कायम रहना गवर्नर-जनरल की मर्जी पर रहता है। मंत्री को ६ मास के अन्दर दोनों में से किसी एक सभा का सदस्य हो जाना चाहिये अन्यथा उसे अपने पद से अलग होना पड़ेगा।

मंत्रियों का वेतन संघीय धारा-सभा द्वारा निश्चित होगा और जब तक न हो, तब तक गवर्नर-जनरल निश्चित करेंगे। किन्तु एक वार वेतन निश्चित होजाने पर वह मंत्री के कार्यकाल में घटाया या वढ़ाया न जायगा। मंत्रियों का चुनना, वुलाना, वेतन तथा बर्खास्त करना गवर्नर-जनरल अपने वैयक्तिक निर्णय (In his discretion) के अधिकार पर करेंगे।

मंत्रियों के चुनाव करते समय गवर्नर-जनरल को अल्प जातीय तथा देशी राज्यों के प्रतिनिधियों में से भी मंत्री चुनना चाहिये। मंत्रियों के चुनाव के सम्बन्ध में (Draft Instrument of Instructions to the G. G.) में लिखा गया है कि गवर्नर-जनरल मंत्रियों का चुनाव धारा सभा के वहुमत वाले पार्टी के नेता की राय से करेंगे जिससे मंत्रि-मण्डल स्थायी वन सके। मंत्री लोग अपने कार्यों के लिये धारा-सभा के प्रति उत्तरदायी रहेंगे। इसके अलावा संघीय व्यवस्थापिका सभाएँ भी रहेंगी, जिसमें सम्राट का प्रतिनिधि गवर्नर-जनरल और दो धारा-सभाएँ होंगी:—
(१) संघीय राज्य परिषद और संघीय व्यवस्थापिका सभा (The House of Assembly).

एक संघ न्यायालय भी स्थापित होगा, जिसमें संघ के मुकदमें तय होंगे। इसका वर्णन तीसरे भाग में किया गया है।

रक्षित विषय:—नये विधान के अनुसार शासन के सुभीते के अनुसार शासन सम्बन्धी विषय तीन भागों में विभक्त किये गये हैं।

(१) संघीय विषय। (२) प्रांतीय विषय।

(३) संयुक्त विषय जिनपर संघीय तथा प्रांतीय सरकारें दोनों में से कोई भी कानून बना सकेंगीं। विषयों का वर्णन चतुर्थ अध्याय में किया गया है।

संघीय विषयों में से निम्न लिखित विषय रक्षित करार दिये गये हैं और इनके शासन की जिम्मेदारी गवर्नर-जनरल के ऊपर रहेगी। हाँ, इन विषयों में इनको सहायता देने के लिये तीन सलाहकारों (Counsellors) की एक सभा होगी। ये सलाहकार अपने कार्य के लिये गवर्नर-जनरल के प्रति ही उत्तरदायी रहेंगे न कि संघीय-धारा-सभा के प्रति। सलाहकार धारा-सभा में उपस्थित हो सकते हैं और उसकी कार्यवाही को देख सकेंगे, किन्तु इनको वोट देने का अधिकार न होगा। इनके प्रति निन्दा का प्रस्ताव भी पास न हो सकेगा।

कुछ रक्षित विषय इस प्रकार हैं:—

(१) देश-रक्षा (Defence)।

(२) परराष्ट्र सम्बन्धी विषय (अन्य राष्ट्रों के साथ डोमिनीयनों को छोड़कर)।

(३) धर्म (ईसाई मत) [Ecclesiastical affairs]

(४) जंगली जातियों के क्षेत्रों के शासन की जिम्मेदारी।

उपरोक्त रक्षित विषयों में गवर्नर-जनरल अपनी मर्जी के अनुसार (In his discretion) कार्य करेंगे।

निम्न लिखित विषयों के लिये **गवर्नर-जनरल विशेष रूप से उत्तरदायी रहेंगे**:— (Special resposibilities of the Governor-General):—

(१) सम्पूर्ण हिन्दुस्तान या उसके किसी एक भागमें शान्ति-भंग के निवारण के लिये।

(२) संघ सरकार की आर्थिक स्थिरता (Financial stability) और साख (Credit) की सुरक्षा के लिये।

(३) अल्प संख्यक जातियों के उचित हितों की रक्षा के लिये।

(४) ऐसे कार्यों को रोकना, जिनसे इँगलैण्ड या वर्मा से हिन्दुस्तान में आने वाले माल के सम्बन्ध में भेद-नीति का व्यवहार होता हो।

(५) सार्वजनिक नौकरों के अधिकारों को दिलवाना जो [illegible] के अनुसार उन्हें मिल सकते हैं।

(६) देशी रजवाड़ों के हितों की रक्षा।

(७) [illegible] विषयों के प्रबन्ध के लिये।

(८) किसी ऐसे कानून को बनने से रोकना जिससे [illegible] और [illegible] विषयों में पक्षपात होता हो।

[illegible] के अनुसार गवर्नर-जनरल की कार्यकारिणी [illegible] जायगा।

भारत सरकार तथा प्रांतीय सरकार का सम्बन्धः—अब प्रांतीय सरकारों पर भारत सरकार का नियंत्रण बहुत ही कम हो जायगा और वह भी विशेष दशा में होगा। वे अपने प्रांतों में बहुत कुछ स्वाधीन होंगी। प्रांतीय गर्वनरों के उन कार्यों पर जो कि वे अपने विशेषाधिकार के अनुसार करेंगे, भारत सरकार का नियंत्रण गर्वनर-जनरल द्वारा होगा।

गवर्नर-जनरल के अधिकार तीन विभागोंमें बाँट सकते हैं:-

(१) कानूनी अधिकारः— गर्वनर-जनरल अस्थायी कानून [Ordinance] धारा-सभा के अवकाश के समय में आवश्यकता उपस्थित होने पर (जब संघीय-धारा-सभा की बैठक न हो रही हो,) अपने मंत्री मंडल की सलाह से बना सकता है; किन्तु यह अस्थायी कानून धारा-सभा की बैठक शुरू होने के ६ सप्ताह के बाद रद्द हो जाता है।

(२) गवर्नर जनरल के अस्थायी कानून[Ordinance]:— **कुछ विशेष विषयों से सम्बन्ध रखने वाले** गवर्नर-जनरल अपने विशेष उत्तरदायित्व-पूर्ण विषयों से सम्बन्ध रखने वाले विषयों पर स्वतः के निर्णय के अनुसार आवश्यकता उपस्थित हो जाने पर ६ माह के लिये अस्थायी कानून बना सकता है और आवश्यकतानुसार ६ माह के लिये आयु और बढ़ायी जा सकती है।

(क) ये अस्थायी कानून सम्राट द्वारा अन्य कानूनों की नाईं अस्वीकृत किये जा सकते हैं।

(ख) वह अस्थायी कानून जिसकी अवधि ६ माह के लिये फिर बढ़ाई गई है, उसकी सूचना फौरन भारत-सचिव को देनी पड़ती है।

(ग) किसी भी समय गवर्नर-जनरल उनको वापिस ले सकते हैं।

(३) गवर्नर जनरल के कानून [Governor-General's Acts]:—यदि गवर्नर-जनरल को कभी किसी नये कानून की आवश्यकता प्रतीत हो तो वह इसकी सूचना संघीय धारा सभाओं को इस भावी कानून के मसविदा के साथ भेज देता है। यदि एक माह के अन्दर धारा सभा इस विषय का कानून नहीं बनाती, तो गवर्नर-जनरल स्वतः इस विषय का कानून बना लेगा और इसकी सूचना भारत-मंत्री के पास भेज दी जायगी। वह ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रत्येक हाउस के सन्मुख पेश करेगा। इस प्रकार के बने हुए कानून को "गवर्नर-जनरल का कानून" कहते हैं। इसके पूर्व गवर्नर-जनरल को सर्टीफिकेशन के अधिकार प्राप्त थे [Powers of certification]। किन्तु इस प्रकार के कानून को भारतीय-धारा-सभा द्वारा बनाया हुआ कानून कहते हैं और नये विधान के अनुसार बने हुए कानून को "गवर्नर-जनरल का ऐक्ट" कहते हैं।

आर्थिक अधिकार

संघीय धारा सभामें कोईभी रुपयों की मांग बिना गवर्नर-जनरल की स्वीकृति के पेश नहीं की जा सकती। अपने रक्षित विषयों के लिये या विशेष उत्तरदायित्व पूर्ण विषयों की मांगों की अस्वीकृति होने पर वह उन्हें मंजूर [Restore] कर सकते हैं। बिना इनकी स्वीकृति के कोई भी नया कर लगाने का बिल या संघीय सरकार के आय की रकम में खर्च करने के या कर्ज लेने के लिये प्रस्ताव धारा-सभा में

उपस्थित नहीं किया जा सकता है। उन विषयों के शासन की जिम्मेदारी इनके ऊपर रहेगी और उनके लिये धारा-सभा के मत की आवश्यकता नही है [Nonvotable Heads of Expenditure]। सम्पूर्ण केन्द्रीय वार्षिक खर्च का ८५ फीसदी खर्च इनकी मर्जी [Discretion] के अनुसार होगा।

शासन सम्बन्धी अधिकार:—(क) विधान के भंग होने की संभावना उपस्थित होने पर गवर्नर-जनरल घोषणा द्वारा संघ सरकार के कुछ या पूरे अधिकार अपने हाथ में ले सकते हैं। इस प्रकार की घोषणा की सूचना तुरन्त भारत-सचिव को भेज दी जायगी और भारत-सचिव उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रत्येक हाउस के समक्ष उपस्थित करेंगे। इस प्रकार की घोषणा ६ माह तक कायम रहेगी। यदि इस घोषणा का समर्थन दोनों हाउसों द्वारा हो जाय, तो वह घोषणा एक वर्ष और कायम रह सकती है। घोषणा तीन वर्ष तक लगातार लागू रहने के बाद उसका कानूनी अधिकार जाता रहता है। फेडरल कोर्ट के अधिकार से सम्बन्धित विषय गवर्नर-जनरलके अधिकार क्षेत्रसे बाहर हैं।

(२) **विशेष उत्तरदायित्व-पूर्ण विषय सम्बन्धी अधिकार:**—इन विषयों में गवर्नर-जनरल अपने मंत्रि-मंडल और धारा-सभाओं के मत की अवहेलना कर सकते हैं। वे विषय इस प्रकार हैं:-रक्षा और शांति, आर्थिक स्थिरता की रक्षा, अल्प संख्यक जातियों के उचित हितोंकी रक्षा, सार्वजनिक नौकरियों की रक्षा, व्यापारिक तथा जाति-गत भेद-भाव की नीति, देशी राज्यों की रक्षा तथा उनके रजवाड़ों की मानमर्यादा की रक्षा इत्यादि।

(३) रक्षित विषयों के लिये (देश रक्षा या सेना), परराष्ट्र सम्बन्ध, धर्म (ईसाई मत), जंगली जातियों की रक्षा इत्यादि विषयों के लिये केवल गवर्नर-जनरल उत्तर दायी है। हस्तान्तरित विषयों में गवर्नर-जनरल मंत्रियों की राय के अनुसार कार्य करेंगे।

(४) उच्च अधिकारियों की नियुक्ति के लिये गवर्नर-जनरल को विस्तृत अधिकार दे दिये गये हैं।

भारतवर्ष की देश रक्षा सम्बन्धी नीति का अन्तिम उत्तरदायित्व गवर्नर-जनरल पर ही है। इस अधिकार से ब्रिटिश पार्लियामेंट के नियंत्रण कम होजाते हैं। अभी तक सेना सम्बन्धी अन्तिम अधिकार पार्लिमेंट को था। अभी तक केवल ब्रिटिश पार्लिमेंट ही हिन्दुस्तानी सेना को भारतवर्ष की सीमा के बाहर जाने की अनुमति प्रदान कर सकती थी किन्तु गवर्नर-जनरल को ब्रिटिश पार्लियामेंट की आज्ञा का पालन अब भी करना पड़ता है। इस तरह परिवर्तन से कोई विशेष लाभ नहीं हुआ।

नसीहतनामाः—यह एक प्रकार का लिखित प्रमाण पत्र है जो गवर्नरों और गवर्नर-जनरल को नियुक्ति पर सम्राट देते हैं। इसमें उनकी मर्जी के अनुसार (In his discretion) और वैयक्तिक निर्णयवाले (Individual Judgment) कार्यों के करने की विधि और नसीहतें लिखी रहती है। यह पार्लमिन्ट की स्वीकृति से दिया जाता है। ऐसे कामों के लिये वे पार्लिमेन्ट के प्रति उत्तरदायी होते हैं।

अभ्यास के लिये प्रश्नः—

(१) नये विधान के अनुसार केन्द्रीय सरकार के सगठन, पद, अधिकार तथा कर्तव्यों मे क्या क्या परिवर्तन हुए ?

(२) नये विधान के अनुसार केन्द्रीय शासन मे द्वैध शासन (Dyarchy) का आरम्भ हुआ है । इसको समझाओ ।

(३) उन विषयों के नाम लिखो जिनके शासन की सारी जिम्मेदारी केवल गवर्नर-जनरल की मर्जी पर निर्भर है ?

(४) नये विधान के अनुसार गवर्नर—जनरल की कार्यकारिणी सभा पर क्या असर पड़ा ?

(५) नये विधान के अनुसार गवर्नर—जनरल के अधिकारों का वर्णन करो ?

(६) गवर्नर--जनरल और उसके सलाहकारों का पारम्परिक सम्बंध किस प्रकार का है ?

(७) गवर्नर--जनरल कितने सहलाकारों को नियुक्त कर सकते हैं ? वे अपने कार्यों के लिये किसके प्रति उत्तरदायी रहेगे ?

(८) आर्थिक सलाहकार की नियुक्ति और कार्यों का वर्णन करो ।

(९) "कौंसिल—आफ—मिनिस्टर्स" से तुम क्या समझते हो ? इनकी संख्या कितनी हो सकती है ? इनके जिम्मे कौन कौन से विषय सौंपे गये है ?

(१०) गवर्नर--जनरल के विशेष उत्तरदायित्वपूर्ण कार्यों से क्या समझते हो ?

(११) एडवोकेट--जनरल की नियुक्ति और कार्यों का वर्णन करो ।

(१२) नये विधान के अनुसार गवर्नर--जनरल का सम्वध भारत--सचिव के साथ किस प्रकार का रहेगा ?

छठवां अध्याय

देशी रियासतें

सारा भारतवर्ष तीन राजकीय विभागों में विभक्त किया गया है।

(१) ब्रिटिस भारत। (२) देशी भारत और (३) विदेशी भारत। फ्रांस के अधिकार में चन्द्रनगर, पांडुचेरी, कारीकल, माही और यनान हैं। गोवा, ड्यू और डमन पर पुर्तगाल वालों का अधिकार है।

यदि हम भारतवर्ष के नक्शे को देखें, तो हम को गुलाबी और पीले दो रंगों में सम्पूर्ण भारत बँटा हुआ दिखाई देगा। पीला रंग भारतीय देशी राज्यों का है। हिन्दुस्तान में छोटी मोटी कुल मिलाकर देशी रियासतों की संख्या लगभग ६०० है और उनका संयुक्त क्षेत्रफल लगभग ७, १२, ५०८ वर्ग मील है और आबादी लगभग ८, १३, १०, ८४५ है। इन सब रियासतों में सबसे बड़ी रियासत का क्षेत्रफल ८२,६९८ वर्ग मील और सबसे छोटी का १ वर्ग मील से कुछ कम है। सबसे बड़ी रियासत हैदराबाद (दक्षिण) है और यहां की जनसंख्या सन् १९३१ ई० के अनुसार १, ४४, ३६, १४८ है।

इन सब राज्यों को किसी भी परराष्ट्र या देशी राज्य से युद्ध, मित्रता और संधि आदि करने का अधिकार नहीं

है। आन्तरिक अधिकारों में ये राज्य विभिन्न प्रकार से स्वतंत्र हैं। यह स्वतंत्रता इनको ब्रिटिश राज्य के साथ हुई संधियों से मिली है। इस विभिन्नता का कारण यह है कि इन राज्यों की ब्रिटिश सरकार से संधियां भिन्न भिन्न समय में हुई, जब कि ब्रिटिश गवर्नमेण्ट अपना अधिकार जमाकर पुष्ट कर रही थी, उस समय जैसी राजनैतिक दशा थी वैसी संधि आवश्यकतानुसार कर ली गई।

ब्रिटिश सरकार और देशी राज्यों का सम्बंध तीन कालों में विभक्त किया जा सकता है:—(१) प्लासी के युद्धसे लार्ड वेलेजली के गवर्नर-जनरल बनने के पूर्व तक (सन् १७५७ ई० से सन् १७६८ ई. तक) ब्रिटिश सरकार की नीति देशी रियासतों के प्रति हस्तक्षेप न करने या तटस्थ (Non-intervention) नीति रही।

(२) सन् १७९८ ई० से १८५७ ई० के गदर तक का काल:—इस काल में देशी रियासतों को ब्रिटिश सम्राट के मातहत एक दूसरे से अलग (Subordinate Isolation) किया गया अर्थात् इस काल में ईस्ट इण्डिया कम्पनी की शक्ति को सर्वोपरि बनाने का प्रयत्न किया गया। द्वितीय सिक्ख युद्ध के बाद (सन् १८४६ ई०) लार्ड वेलेजली, लार्ड हेस्टिंग्ज और लार्ड डलहौजी के "तमाम प्रमुख रियासतों को ब्रिटेन की छत्रछाया के नीचे संगठित करने का, कार्य पूरा होगया"। इस काम में पालन की गई दो नीतियाँ (१) सहायक-संधि-प्रथा और (२) देशी राज्यों को हड़पने की नीति विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इस काल में देशी रियासतें ब्रिटिश सरकार के राज्य-प्रसार में बाधक समझी जाती थीं।

(३) तीसरा काल सन् १८५८ ई० के बाद से शुरू होता है:—इस काल में राजाओं ने अपनी राज्य भक्ति ब्रिटिश सरकार के प्रति खास करके बलवे के समय प्रदर्शित की और महारानी विक्टोरिया ने सन् १८५८ ई० की घोषणा द्वारा स्पष्ट कर दिया कि उनके राज्य अंग्रेजी राज्य में नहीं मिलाये जायँगे और उनके हितों और स्वत्वों की रक्षा की जायगी। गोद लेने की आज्ञा भी दी जावेगी। बड़े बड़े राजाओं को सनदें भी दी गईं।

महारानी विक्टोरिया
(सन् १८३७ -- १९०१)

महारानी विक्टोरिया के सन् १८५८ ई० के घोषणा पत्र की विशेषताएँ:—

(१) ईस्ट इण्डिया कम्पनी द्वारा की गई देशी राज्यों के साथ की संधियों का पालन ब्रिटिश सरकार करेगी।

ब्रिटिश सरकार राजाओं के अधिकार, मान और पदों की इज्जत करेगी।

(३) सबको धार्मिक स्वतंत्रता दी गई।

(४) हिन्दुस्थानी राज्य के किसी भी पद पर नियत किये जा सकेंगे। कानून की दृष्टि में सब बराबर समझे जावेंगे।

कुल रियासतों को हम तीन श्रेणियों में बाँट सकते हैं।

(१) प्रथम श्रेणी की रियासतें:—

नाम	क्षेत्रफल वर्गमील और आबादी	उपाधि, जाति, धर्म	स्थानीय निरीक्षक
हैदराबाद	८२, ६९८, आबादी १४, ४३६, १४८	निजाम, तुर्क मुसलमान, हिज एग्जाल्टेड हाईनेस।	ब्रिटिश रेजीडेण्ट
मैसूर	२९, ३२६ आबादी ६५,५७, ३०२	महाराजा, क्षत्रिय हिन्दू	,, ,,
काशमीर	८४, ५१६ आबादी ३६,४६, २४३,	महाराजा, दोगरा, राजपूत, हिन्दू	,, ,,
बड़ौदा	८, १६४ आबादी २४, ४३, ००७	गायकवाड़ महाराजा, मरहठा, हिन्दू	,, ,,

हैदराबाद सब राज्यों में बड़ा है। वार्षिक आय लगभग ८ करोड़ रुपये है। यहाँ उसमानियाँ विश्व-विद्यालय है जिसमें शिक्षा उर्दू द्वारा दी जाती है। सर एम० वेंकट सुब्बाराव नागपुर में हैदराबाद के राजदूत नियुक्त हुए हैं।

बड़ौदा रियासत में २०) से कम वेतन पाने वालों को छोड़ कर सब के लिये अनिवार्य बीमा-योजना मंजूर की है।

द्वितीय श्रेणी की रियासतें

[मुख्य निरीक्षक गवर्नर-जनरल का प्रतिनिधि]

एजेन्सी के नाम	कुल रियासतें एजेन्ट के जिम्मे	मुख्य रियासतें	मुख्य निरीक्षक
१. मध्यभारत	१४८	ग्वालियर, इन्दौर, भोपाल और रीवां।	एजेन्ट टू दी गवर्नर जनरल
२. राजपूताना	२३	उदयपु, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, टोंक, भरतपुर, अलवर, बूँदी	
३. बलूचिस्तान	२	किलात और लसबेला (Las Bala)	

पश्चिम भारत एजेन्सी का निर्माण:—सन् १९२४ ई० में इसका निर्माण हुआ और सन् १९३३ ई० इसमें कुछ अन्य राज्य और मिलाये गये। इस एजेन्सी में भावनगर जूनागढ़, कच्छ, नवनगर आदि रियासतें हैं। इनका निरीक्षण मध्य भारत का एजेन्ट [Resident of the first class Agent to the G. General in the States of Western India) करता है।

पश्चिमोत्तर सीमाप्रांत एजेन्सी:—इसमें चित्राल, दीर और स्वात की छोटी छोटी रियासतें हैं। ये पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के गवर्नर के जिम्मे में हैं।

पंजाब एजेन्सी:—इस एजेन्सी का निर्माण सन् १९२३ ई० में हुआ। इसमें आजकल १४ रियासतें हैं। पटियाला, बहालपुर, खैरपुर, बिलासपुर, नाभा, कपूरथला, लोहारू, मंडी आदि रियासतें हैं। इनके निरीक्षण के लिये एक पोलिटिकल एजेन्ट लाहौर में रहता है।

मद्रास एजेन्सी:—इसमें ५ रियासतें हैं। ट्रावनकोर और कोचीन प्रसिद्ध हैं। ट्रावनकोर बहुत उन्नतिशील राज्य है। यहां प्रारंभिक शिक्षा निश्शुल्क दी जाती है। स्त्री-शिक्षा में यह रियासत ब्रिटिश भारत से भी आगे है। यहां न्यायविभाग और शासन विभाग अलग अलग हैं। कानून बनाने के लिये धारा-सभा भी है।

गुजरात एजेन्सी:—इसमें मुख्य रियासतें छोटा उदयपुर, बालसिनोर, सची, सन्त इत्यादि हैं। इस एजेन्सी के मातहत में रीवाँ कंठ एजेन्सी है। जिसकी अधिकांश रियासतें बहुत छोटी हैं। बड़ौदा के रेजिडेन्ट इस एजेन्सी का निरीक्षण करते हैं।

पूर्वी राज्य एजेन्सी:—बिहार और उड़ीसा के राज्य और मध्य-प्रांत के राज्य (मकरई रियासत को छोड़कर) इस में साम्मिलित हैं। इस एजेन्सी का निर्माण सन् १९३३ ई. में किया गया। इसमें ४० रियासतें हैं। मध्यप्रांत की रियासतों में बस्तर, रायगढ़, सिरगुजा, खैरागढ़, राजनांदगांव मुख्य हैं।

संयुक्त प्रदेश:—इसमें रामपुर, बनारस और टेहरी हैं।

आसाम:—में कुल २७ रियासतें हैं और मानीपुर सब में मुख्य है।

बम्बई सूबा:—इसमें १५१ रियासतें हैं। यहां १४ एजेन्सियां कायम कर दी गई हैं और इनके द्वारा प्रान्तीय सरकार रियासतों से अपना कार्य करती है। मुख्य रियासतों के नाम इस प्रकार हैं:—कोल्हापुर, खैरपुर, सांगली, ईडर, राजपिपला, धरमपुर।

बङ्गाल:—बंगाल में कूचविहार और त्रिपुरा हैं। प्रान्तीय सरकार इनका नियंत्रण कलेक्टरों द्वारा कराती है जिन्हें पोलिटिकल एजेन्ट के अधिकार प्राप्त हैं। इस विषय में प्रान्तीय सरकारें गवर्नर की ओर से प्रतिनिधि मान ली गई हैं।

नैपाल:—नैपाल अन्य रियासतों से कुछ बातों में भिन्न है। भारत में स्वाधीन राज्य केवल नैपाल और भूटान ही हैं। भीतरी शासन में नैपाल पूर्ण स्वतन्त्र है परन्तु अन्य बातों में जिनका सम्बन्ध विदेश से है ब्रिटिश सरकार के द्वारा ही करना पड़ता है। ब्रिटिश रेजीडेन्ट का रखना आवश्यक है और बिना ब्रिटिश गवर्नमेन्ट की स्वीकृति के वह यूरोपीय लोगों को नौकर नहीं रख सकता। इस राज्य में ब्रिटिश सरकार की ओर से एक राजपूत (Envoy) रहता है जिसका वार्षिक खर्च लगभग दो लाख होता है और यह भारत के कोष से दिया जाता है। नैपाल की ओर से दिल्ली और ल्हासा में प्रतिनिधि रहते हैं। उनकी चीन से भी मित्रता है। अंग्रेज सरकार इस राज्य को १० लाख रुपया प्रतिवर्ष देती है और भूटान को भारत सरकार १ लाख रुपया प्रतिवर्ष देती है।

पोलिटिकल रजिडेन्ट और एजेन्ट:—हैदराबाद, मैसूर, बड़ौदा और काश्मीर ये चार बड़ी रियासतें हैं। इनमें एक रेजिडेन्ट रहता है, जो भारत-सरकार की तरफ से निरीक्षण के लिये रहता है। वह राजाओं को समय-समय पर उचित राय देता रहता है, और देखता है कि ब्रिटिश सरकार और रियासतों के बीच जो सन्धि हुई हैं उसका पालन ठीक-ठीक तरह से होता है या नहीं। देशी रियासतों का सम्बन्ध भारत सरकार के पोलिटिकल विभाग के जिम्मे रहता है इसकी देखरेख स्वत: वायसराय करते हैं और राज्यों के विषय में सहायता करने के लिये एक अलग से सेक्रेटरी रहता है।

देशी राज्यों का ब्रिटिश सरकार के प्रति कर्तव्य:—ब्रिटिश सरकार और देशी राज्यों का सम्बन्ध उनके बीच में हुई संधियों पर निर्भर है। देशी राज्यों को ब्रिटिश सरकार को सर्वोच्च शक्ति मानना पड़ती है और वे उसके प्रति राज्य भक्ति रखने पर बाध्य हैं। बिना उसकी आज्ञा के वे विदेशी या देशी राज्यों के साथ न लड़ाई कर सकते हैं और न संधि। वे अपने राज्य में किलाबन्दी नहीं कर सकते। गोला बारूद भी नहीं बना सकते तथा निश्चित संख्या के ऊपर सेना नहीं रख सकते। अपने राज्य का शासन इन्हें सुन्दर रूप से चलाना चाहिये और राज्य के अन्दर शांति और व्यवस्था कायम रखना चाहिये। राजा के मरने पर राज्य कई उत्तराधिकारियों में नहीं बाँटा जा सकता। भारत सरकार के राजनैतिक विभाग या उसके अधीनस्थ किसी अफसर द्वारा मांगी गई सूचनाएँ देना रियासतों के लिये आवश्यक है।

रेजिडेन्ट, एजेन्ट तथा अन्य राजनैतिक विभाग के आफीसरों द्वारा दी गई आज्ञाओं का पालन भी करना इन्हें आवश्यक है। भारत सरकार के आदेशों के खिलाफ वे कोई कार्य नहीं कर सकते। राजाओं को अपना उत्तराधिकारी नियत करने के पूर्व उन्हें सरकार की मंजूरी लेना जरूरी है। रेल, तार, नमक, अफीम इत्यादि विषयों में सरकार को सहयोग देना आवश्यक है। बिना ब्रिटिश सरकार की स्वीकृति के वे अपने राज्य में किसी यूरोपियन को नौकर नहीं रख सकते। अपने राज्य में उन्हें अंग्रेजी सिक्के को वही मान देना होगा जो उसे ब्रिटिश भारत में प्राप्त है। ब्रिटिश भारत का अपराधी यदि देशी राज्य में भागकर चला जाय तो उसे वापिस देना पड़ता है। उनके राज्य के नियमादि ब्रिटिश भारत में प्रचलित नियमों के आधार पर या उससे मिलते जुलते हैं। वे अपने राज्य में विदेशी राज्यों के व्यापारी या एजेन्टों को नहीं रख सकते और न वे किसी विदेशी राज्य अथवा सभा सोसाइटी से कोई उपाधि ले सकते हैं। वे अपने किसी प्रजा को ब्रिटिश गवर्नमेन्ट की सूचना के बिना विदेश में जाने की आज्ञा नहीं दे सकते। प्रत्येक रियासत को एक निश्चित रकम राज्यकर के रूप में ब्रिटिश गवर्नमेन्ट को देना पड़ता है। भारत सरकार आवश्यकता पड़ने पर देशी रियासतों में कहीं भी अपनी सेना रख सकती है। वे दूसरी रियासतों के भीतरी झगड़ों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते और न झगड़े को निपटा सकते हैं। उन्हें ऐसे मामलों को ब्रिटिश गवर्नमेन्ट के सामने पेश करना पड़ता है और उसके निर्णय को मानना पड़ता है।

ब्रिटिश सरकार के देशी राज्यों के प्रति कर्तव्यः—

(१) भीतरी और बाहरी आक्रमणों से देशी राज्यों की रक्षा करना।

(२) उनके स्वत्तों और अधिकारों की रक्षा करना।

(३) विदेशों में देशी राज्यों के लोगों की रक्षा करना।

(४) जब राज्य में कोई गड़बड़ी या अशान्ति उत्पन्न होती है तब बीच में पड़कर झगड़े का निपटारा करना।

(५) विदेशी गवर्नमेन्टों के साथ संधियों से तथा रेल से जो लाभ होता है, उसका कुछ हिस्सा इनको देना। अकाल इत्यादि के समय सरकार रियासतों की सुविधा के लिये अपने सब साधनों को सुलभ कर देती है।

(६) देशी राज्यों के निवासियों को ब्रिटिश भारत में अनेक पदों पर नियुक्त करना और राजाओं और रियासत के लोगों को उपाधि देना।

(७) समय समय पर देशी राज्यों को उचित सलाह देना, लीग आफ नेशन्स (राष्ट्र सभा) में रियासतों के एक प्रतिनिधि को भारतीय प्रतिनिधियों में स्थान देना।

ब्रिटिश सरकार देशी राज्यों के भीतरी मामले में हस्तक्षेप कब करती हैः—देशी रजवाड़ों को अपने राज्य के अन्दर शासन सम्बन्धी बातों में पूर्ण स्वतंत्रता है। परन्तु यदि कोई राजा अन्यायपूर्वक या क्रूरता से शासन करता है तब ब्रिटिश सरकार हस्तक्षेप करती है।

हस्तक्षेप निम्नलिखित अवसर उपस्थित होने पर ही किया जाता है।

(१) ब्रिटिश सरकार के हितों की रक्षा के निमित्त।

(२) भारत सरकार के हितों की रक्षा के निमित्त।

(३) रजवाड़ों के हितों की रक्षा के निमित्त।

(४) देशी रियासतों की प्रजा के हितों की रक्षा के निमित्त।

जब ब्रिटिश गवर्नमेन्ट को पूर्ण विश्वास हो जाता है कि अमुक राज्य में कुप्रवन्ध फैला हुआ है तब सरकार उस नरेश के सामने दो शर्तें पेश करती है और उनमें से एक शर्त मानने के लिये नरेश वाध्य है। शर्तें इस प्रकार हैं:—

(१) राजसिंहासन त्याग देना या (२) जांच के लिये (कमीशन की नियुक्ति के लिये) तैयार होना।

अभी तक किसी राजा ने जांच कमीशन की नियुक्ति के लिये स्वीकृति नहीं दी; किन्तु राजपद छोड़ देना ही अच्छा समझा। किन्तु सन् १८५७ ई० के वाद से कोई भी रियासत किसी भी दशा में जब्त नहीं की जाती है।

यूरोपीय महायुद्ध और देशी रियासतें:—गत जर्मन युद्ध में (सन् १९१४ से १९१८ ई० तक) देशी रजवाड़ों ने ब्रिटिश सरकार की धन-जन से सहायता की। कहीं कहीं राजा या उनके युवराज स्वयं लड़ने के लिये गये और अच्छा नाम कमाया। तब से देशी राज्यों का महत्व और भी बढ़ गया है और सरकार उन्हें नये अधिकार देने की बात सोचने लगी है।

माण्टेगू-चेम्स फोर्ड सुधार और नरेन्द्र मण्डलः— सन् १९१६ ई० के पूर्व देशी रजवाड़ों को एक दूसरे से मिलने जुलने और राज्य सम्बन्धी विषयों पर विचार विनिमय करने की कोई सुविधा न थी। सन् १९२१ ई० में इस सुधार एक्ट के अनुसार नरेन्द्र मण्डल (Chamber of Princes) नाम की संस्था कायम की गई। इसके सदस्यों की कुल संख्या १२० है। इस मंडल में बड़ी बड़ी सलामी वाली रियासतों को एक-एक सदस्य भेजने का अधिकार है। १२७ छोटी रियासतों को १२ प्रतिनिधि भेजने का और ३२७ बहुत ही छोटी रियासतों को नरेन्द्र मंडल में प्रतिनिधि भेजने का बिलकुल भी अधिकार नहीं है। हैदराबाद, मैसूर ट्रावनकोर, कोचीन, बड़ौदा, इन्दौर इत्यादि १० सलामी वाली रियासतें इसमें सम्मिलित नहीं हुई हैं। यह एक सलाह देने वाली समिति (Consultative body) मात्र है इसका प्रधान उद्देश नरेश वर्ग तथा रियासतों और ब्रिटिश भारत के शामिलात के मामलों से सम्बन्ध रखने वाले विषयों में राजाओं को व्यक्तिगत रूप से अपना मत प्रकट करने का अवसर देना है। इस सभा में संधियों, राज्यों के भीतरी मामलों, उनके अधिकारों तथा उनके मान मर्यादा पर बहस न होगी। रियासतों का जो सम्बन्ध ब्रिटिश सरकार के साथ चला आ रहा है वह पूर्ववत ज्यों का त्यों बना रहेगा। इससे सरकार को राजाओं के विचार स्पष्ट रूप से मालूम हो जाते हैं।

इस संस्था के सभापति वायसराय होते हैं और इसकी बैठक साल में एक या अधिक बार दिल्ली या अन्यत्र जहां वायसराय चाहें, हो सकती है। सदस्यों में

से एक चॉन्सलर और एक प्रो-चॉन्सलर सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। वायसराय की अनुपस्थिति में चॉन्सलर अध्यक्ष का स्थान ग्रहण करता है। चॉन्सलर की सहायता के लिये एक कार्यकारिणी समिति रहती है जिसमें ६ सदस्य होते हैं। इसे स्थायी कमेटी (Standing Committee) कहते हैं। इसका काम पूछे हुए विषयों पर वायसराय को सलाह देना है। इसके अलावा यह उन विषयों पर भी जिनका सम्बन्ध व्यापक रूप से रियासतों और ब्रिटिश इण्डिया से समान रूप से हो। उन पर विचार करना भी है।

नरेन्द्र मण्डल का संक्षिप्त कार्य विवरण:—इस मण्डल की कार्यवाही आरम्भ में गुप्त रखी जाती थी, किन्तु गत एक दो वर्षों से खुले आम कार्यवाही होने लगी है। महाराजा बीकानेर, काश्मीर, पटियाला, धौलपुर, नावनगर के जाम, नवाब भोपाल इत्यादि चॉन्सलर के पद पर रह चुके हैं। शुरू के १३ वर्षों में मण्डल ने किसी प्रकार की महत्वपूर्ण कार्यवाही नहीं की। हां, संधियों और भारत सरकार व रियासतों के पारस्परिक सम्बन्ध पर विचार करने के लिये बटलर कमेटी की नियुक्ति नरेन्द्र मण्डल के आन्दोलन के फल स्वरूप हुई। नरेन्द्र मण्डल ने गोलमेज कान्फरेन्स मे पूरा भाग लिया। संघ-सरकार कायम होने पर नरेन्द्र मण्डल का अन्त हो जायगा।

बटलर कमेटी और देशी रियासतें:—सन् १९२८ ई० में, जब साइमन-कमीशन हिन्दुस्तान के भावी शासन के प्रश्न पर जांचकर रहा था उन्हीं दिनों सर हारकोर्ट बटलर की अध्यक्षता में एक कमेटी देशी राज्यों और भारत सरकार के बीच के पारस्परिक सम्बन्ध पर विचार करने के लिये

नियुक्त की गई। नरेन्द्र मण्डल की ओर से एक "स्पेशल आरगनाईजेशन" का संगठन हुआ और इसके द्वारा इंग्लैण्ड और हिन्दुस्तान के प्रसिद्ध वकीलों को प्रचुर मेहनताना देकर नरेशों के पक्ष को ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखने का प्रयत्न किया गया। इंग्लैण्ड के नामी वकील सर लेस्लीस्काट के मातहत में चार और प्रसिद्ध अंग्रेज वकीलों ने रियासतों को ओर से वकालत की।

सर लेस्लीस्काट ने बटलर कमेटी के सन्मुख राजाओं की ओर से जो शिकायतें पेश कीं वे इस प्रकार थीं:—

(१) पोलिटिकल विभाग की राजाओं के साथ ज्यादती।

(२) रियासतों ने वैदेशिक नीति तथा भीतरी और बाहरी रक्षा के अधिकार "पैरामाउन्ट पावर" [Paramount Power] सार्वभौम सत्ता को सौंपे हैं, और बाकी के सब बातों में वे स्वतन्त्र हैं।

(३) राजाओं की संधियां और सनदें ब्रिटिश सम्राट (पार्लियामेन्ट सहित) के साथ हैं। उन्हें बिना राजाओं की राय से किसी ऐसी शक्ति को नहीं सौंपा जाना चाहिये जिन पर सम्राट का सीधा शासन नहो। अर्थात् भारतीय धारा-सभाओं के प्रति उत्तरदायी भारत सरकार के सर्वोच्च शक्ति सत्ता [Paramountcy] के अधिकार न हों [The States demamded that the rights and obligations of the Paramount Power should not be assigned to persons who are not under the control of the crown]। बटलर कमेटी ने पहिली बात को अपने विचार क्षेत्रों से बाहर ठहरा दिया। दूसरी बात के बारे में कमेटी ने वही उत्तर दिया जो लार्ड रीडिंग द्वारा निजाम

को दिया गया था। लार्ड रीडिंग ने सन १९२६ में बरार के प्रश्न पर निजाम को लिखकर साफ कह दिया कि ब्रिटिश राज्य की सत्ता सर्वोपरि है और भारत के किसी देशी राजा को यह अधिकार नहीं है कि वह सम्राट के साथ समानता का दावा कर सके [The Sovereignty of the British crown is supreme in India] बटलर कमेटी ने इस बात को और स्पष्ट कर दिया।

सर लेस्लीस्काट की तीसरी बात कमेटी ने स्वीकार करली।

कमेटी की सिफारिशें:—इस कमेटी की मुख्य दो सिफारशें हैं और वे इस प्रकार हैं:—

(१) भारत सरकार को करों द्वारा आमदनी में से कुछ हिस्सा देशी राज्यों को देना चाहिये।

(२) देशी रियासतों और ब्रिटिश सरकार के पारस्परिक सम्बन्ध-विषयक कुल कार्यवाही वायसराय के द्वारा हो, भारत सरकार और गवर्नर-जनरल के द्वारा नहीं। [The Govt. of India Act of 1935, separates the offices of the Governor-General and Viceroy, though it is intended that the same person shall continue to hold both offices. The crown relation of Paramountcy with the Princes will be conducted by the Viceroy as such representative of the crown alone.]।

देशी राज्यों का शासनः—दर्जे की दृष्टि से रियासतें प्रथम तथा द्वितीय श्रेणियों में विभाजित हैं। प्रथम श्रेणी की रियासतें वे हैं, जिनके शासकों को वंशानुगत तोपों की सलामी का सम्मान प्राप्त है। द्वितीय श्रेणी के शासकों को वह सम्मान प्राप्त नहीं है। प्रथम श्रेणी के शासकों को कानून बनाने और फौजदारी, दीवानी के मुकद्मों में पूरे अधिकार प्राप्त हैं। दूसरे दर्जे के शासकों के अधिकार परिमित हैं। रियासतों का शासन भिन्न २ श्रेणियों और व्यवस्थाओं का है। कहीं कहीं पर पुराना ढंग चल रहा है और कहीं कहीं आधुनिक शासन विधान का विकसित रूप दिखाई देता है। किन्तु अब शिक्षा प्रचार, देश की राजनैतिक जागृति, प्रेस और आवागमन की सुलभता के कारण देशी रियासतों में सुधार और उन्नति हो रही है।

वर्तमान समय में तीस रियासतों में धारा सभाएँ हैं, किन्तु इनका अधिकार अधिकतर राय देने का ही है—(Consultative Legislative Councils)। चालीस रियासतों में हाईकोर्ट हैं। चौंतीस रियासतों में न्याय और शासन अलग कर दिये हैं। इसी प्रकार शिक्षा, आर्थिक, जेल, पुलिस संगठन आदि बातों में इन रजवाड़ों में ब्रिटिश परिपाटी का अनुसरण करना आरम्भ कर दिया है। शिक्षा और सामाजिक सुधारों में कुछ रियासतें ब्रिटिश भारत से भी आगे बढ़ गई हैं।

वैधानिक दृष्टि से सभी राज्यों का शासन एक तंत्रीय है। कानून बनाने और प्रबन्ध करने की सर्वोच्च शक्ति शासक के हाथ में है।

भीतरी शासनः—भीतरी शासन के लिये राज्य कई विभागों में बांट दिये गये हैं जैसे—एक्जीक्यूटिव कौंसिल, लेजिस्लेटिव विभाग, राजनैतिक विभाग, अर्थ विभाग, माल विभाग इत्यादि। कहीं कहीं महाराजा के बाद मुख्य अधिकारी दीवान होता है और दूसरे अधिकारी उसके आधीन रहते हैं। कहीं कहीं दीवान ही प्रधान-मंत्री होता है और भिन्न भिन्न विभागों के मंत्री उसके सहायक होते हैं। जिस राज्य में प्रबन्ध कारिणी सभा है वहां इसके सदस्य भिन्न भिन्न विभागों का सम्पादन करते हैं।

सन् १९३५ ई० का विधान और देशी रियासतेंः—

नये विधान का लक्ष हिन्दुस्तान में एकात्मक शासन (Unitary) की जगह संघ शासन (Federation) स्थापित करना है। इसमें ब्रिटिश भारत और देशी भारत के प्रतिनिधियों को मिलाकर एक संघ बनेगा जो भारतीय संघ सरकार के नाम से प्रचलित होगा। फेडरेशन स्थापित होने के लिये संघीय राज्य परिषद में राज्यों की ओर से कम से कम ५२ प्रतिनिधियों का सम्मलित होना और कुल देशी रजवाड़ों के राज्य की जनसंख्या की आधी जन संख्या वाली रियासतों का संघीय सरकार में शामिल होना आवश्यक है, अन्यथा संघ सरकार स्थापित न हो सकेगी।

संघ में सम्मिलित होना वा न होना देशी रजवाड़ों की मर्जी पर निर्भर है जो राजा संघ में शामिल होना चाहता है। उसे एक शर्तनामा लिखना पड़ेगा (Instruments of Accession) और जब सम्राट उस

शर्तनामे को स्वीकार कर लेगें तब उसका संघ में होना निश्चित् समझा जायगा। शर्तनामे में राजा अपनी ओर से और अपने वारिसों और उत्तराधिकारियों की ओर से यह प्रकट करेगा कि वह संघ में शामिल होना स्वीकार करता है। और उसके राज्य के अन्दर अमुक २ विषयों की व्यवस्था वह स्वयं न करके सम्राट, गवर्नर--जनरल और संघीय धारा सभाएँ, संघ न्यायालय (Federal Court) और रेलवे अथारिटी करेंगी और यह भी स्वीकार करता है कि शर्त–नामे में लिखे गये विषयों का पालन उसके राज्य में अच्छी तरह से किया जायगा। राजाओं को संघ राज्य में शामिल होने के लिये जनवरी १९३९ में शर्तें भेज दी गई हैं।

कोई नरेश चाहे तो पूरक पत्र द्वारा शर्तनामे में परिवर्तन करके सम्राट या किसी संघीय संस्था द्वारा किये जाने वाले कार्यों का क्षेत्र बढ़वा सकता है। संघ स्थापित हो जाने पर यदि कोई राजा संघ में शामिल होना चाहे तो उसका प्रार्थना–पत्र सम्राट के पास गवर्नर–जनरल द्वारा भेजा जायगा और संघ स्थापित हो जाने के २० वर्ष बाद यदि कोई राजा संघ में शामिल होना चाहे तो उसका प्रार्थना–पत्र, गवर्नर–जनरल दोनों संघीय – धारा – सभाओं की सिफारिश पर कि यह राज्य–संघ शासन में शामिल किया जाय, गवर्नर–जनरल सम्राट के पास भेजेगा। किसी राज्य के संघ में सम्मलित हो जाने की स्वीकृति मिल जाने पर उस शर्तनामे की एक असली नकल पार्लियामेन्ट में रक्खी जायगी और फिर सब न्यायालय उसको अदालती रिकार्ड के तौर पर मानेंगे। राजाओं के उत्तर आ जाने पर सम्राट एक श्वेत पत्र प्रकाशित करेंगे। (लन्दन ८ जून)।

अभी तक देशी रियासतें भारत-सरकार के आधीन हैं। किन्तु संघ-सरकार के कायम हो जाने पर उनका सीधा सम्बन्ध वायसराय से रहेगा और वर्तमान पोलिटिकल विभाग क़ानून विभाग समझा जायगा। नरेशों की स्थिति रियासतों में प्रान्तीय गवर्नर की सी रहेगी। देशी राज्यों के भीतरी शासन के सम्बन्ध में भावी धारा सभाओं में कोई प्रश्न न किया जा सकेगा। फेडरल असेम्बली व कौंसिल आफ स्टेट में ब्रिटिश भारत से लोक निर्वाचित सदस्य जावेंगे और देशी राज्यों से जो सदस्य पहुँचेंगे वे नरेशों द्वारा नियुक्त होंगे। कौंसिल आफ स्टेट में ब्रिटिश भारत के चुने हुए १५६ सदस्य होंगे और देशी नरेशों द्वारा नियुक्त किये हुए १०४ सदस्य होंगे। फेडरल असेम्बली में ब्रिटिश भारत के चुने हुए सदस्यों की संख्या २५० होगी और रियासतों के राजा द्वारा नियुक्त किये हुए १२५ सदस्य रहेंगे। देशी राज्य के किसी क्षेत्र में फेडरल अधिकारियों के शासन सम्बन्धी अधिकार-सीमा के विषय में यदि कोई झगड़ा उपस्थित हो तो उसका निर्णय "फेडरल कोर्ट" करेगी।

संघ शासन में सम्मलित होने वाले राजाओं के तीन दल हैं।

(१) पहला समूह सोचता है कि ब्रिटिश सरकार हमें अपना औजार बनाना चाहती है और वह बनना ही पड़ेगा, तो क्यों न इसके बदले अधिकार प्राप्त किये जायँ।

(२) दूसरा दल संघ से असन्तुष्ट है और वह अपने छीने हुए अधिकारों के लिये आन्दोलन कर रहा है।

(३) तीसरा दल समय की गति को देखते हुए संघ को अनिवार्य मान रहा है।

सभी राजा संघ के प्रश्न पर चिन्तित हैं, कोई इसे किसी दृष्टि से देखता है, तो कोई किसी दृष्टि से, इसलिये देर हो रही है किन्तु भारत सरकार राजाओं पर जल्दी निर्णय करने के लिये दवाव डाल रही है।

हैदराबाद:—बरार यद्यपि निज़ाम सरकार के मातहत में है तथापि वहाँ का शासन मध्यप्रान्त के साथ होता है। इस प्रकार का प्रबन्ध २४ अक्टूबर सन् १६३६ ई० में हिन्दुस्तान के सम्राट और निज़ाम हैदराबाद के बीच में हुए इकरारनामे के अनुसार होता है। तब से निज़ाम और उसके वारिस "हिज़ इग्जाल्टेड हाईनेस दी निज़ाम आफ हैदराबाद और बरार" [His Exalted Highness the Nizam of Hydarabad & Berar] कहलाते हैं। निज़ाम के उत्तराधिकारी को "हिज़ हाईनेस दी प्रिन्स आफ बरार" की उपाधि दी गई है।

वर्तमान शाषक
निजाम हैदराबाद

मध्यप्रान्त और बरार के गवर्नर की नियुक्ति में निज़ाम की राय ली जाती है। बरार में ब्रिटिश झण्डे के साथ साथ निज़ाम सरकार का भी झण्डा फहरायेगा। बरार के निवासियों को निज़ाम अपनी खितावें दे सकते हैं और मध्यप्रान्त की राजधानी में [नागपूर में] अपना एजेन्ट रख सकते हैं। बरार के मस्जिदों में निज़ाम के नाम से 'खुथा' (Khutha) पढ़ा जायेगा। ब्रिटिश सरकार निज़ाम को प्रति वर्ष २६ लाख रुपया देती है।

प्रजा के प्रति देशी नरेशों का कर्तव्य:—इस विषय में वर्तमान वाइसराय का १३ मार्च, सन् १९२९ ई० को नयी दिल्ली में नरेन्द्र-मण्डल में किया हुआ भाषण बहुत ही महत्व पूर्ण है। भाषण में आपने कहा:—"आजकल के जमाने में और इस बदलती हुई दुनियाँ में यह विशेष रूप से आवश्यक होगया है कि प्रत्येक शासक शासन प्रबन्ध के मामले में अपनी प्रजा की वाजिब शिकायतों को जानने और उन्हें दूर करने का निरन्तर प्रयत्न करता रहे। अपने कर्मचारियों के काम में और अपनी प्रजा के दैनिक जीवन में स्वयं, निजी दिलचस्पी रहते हुये, प्रजा को सन्तुष्ट बनाने और प्रजा को रियासत अथवा अयोग्य कर्मचारियों के अनुचित अत्याचार से बचाने तथा वाजिब शिकायतों पर शीघ्र ही ध्यान देने में ही शासकों की भलाई है।" छोटी रियासतों के शासकों को जहां तक हो सके, शासन प्रबन्ध के लिये कर्मचारियों की संयुक्त व्यवस्था शीघ्रही करें" [दैनिक भारत, १६ मार्च, सन् १९३९ ई० से]। सारा भाषण पढ़ने और मनन करने योग्य है।

अभ्यास के लिये प्रश्नः—

(१) देशी रियासत किसे कहते हैं ? देशी रियासतों को कितनी श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं ?

(२) देशी रियासतों का सम्बन्ध भारत-सरकार के साथ किस प्रकार है ? देशी रियासतों को किन किन बातों के करने की स्वतन्त्रता नहीं है ?

(३) ब्रिटिश सरकार के साथ सम्बन्ध स्थापित होने से देशी रियासतों को कौन कौन से लाभ हुए ?

(४) नरेन्द्र-मण्डल से तुम क्या समझते हो ? नरेन्द्र-मण्डल की स्थापना कब हुई ? इससे क्या क्या लाभ हुए ?

(५) नये विधान में (१९३५ ई० के ऐक्ट) देशी रियासतों को कौन कौन से अधिकार दिये गये हैं ?

(६) संघ-शासन में इनके अधिकार किस प्रकार के हैं ?

(७) पोलिटिकल रेज़िडेन्ट और एजेन्ट टू दी गवर्नर-जनरल से तुम क्या समझते हो ?

(८) हैदराबाद के निज़ाम को ब्रिटिश सरकार ने कौन कौनसी सुविधाएँ दीं हैं ?

(९) क्या मध्यप्रान्त और बरार के गवर्नर की नियुक्ति मे निज़ाम की स्वीकृति ली जाती है ? किस इकरारनामे के अनुसार ली जाती है ?

(१०) क्या ब्रिटिश सरकार निज़ाम को कुछ निश्चित रकम देती है ?

सातवां अध्याय

भारत मंत्री

(सन् १९१९ ई० के ऐक्ट के अनुसार)

हिन्दुस्तान ब्रिटिश साम्राज्य का एक अंग है और यहां के शासन का कार्य ब्रिटिश पार्लिमेन्ट भारत--सचिव द्वारा करती है। भारत-सचिव ब्रिटिश कैबिनेट (ब्रिटिश मंत्रिमण्डल) का एक सदस्य होता है और इसकी नियुक्ति प्रधान-मंत्री की सिफारिश से सम्राट द्वारा होती है।

मंत्री मण्डल का चुनावः—इँग्लैण्ड में तीन मुख्य दल हैं।

उनके नाम इस प्रकार हैः—

(१) अपरिवर्तन वादी (Conservative), (२) सुधारवादी (Liberals), और (३) मजदूर (Labour)। आम चुनाव में जिस दल के सदस्य अधिक संख्या में निर्वाचित होते हैं उस दल के नेता को सम्राट मंत्रिमण्डल बनाने के लिये बुलाता है। उस बहुमत दल के नेता को प्रधान-मन्त्री कहते हैं और वह अपने दल को दोनों सभाओं में से मंत्री चुनता है और इस तरह मंत्रिमण्डल बनता है। प्रधान-मंत्री जन साधारण का सदस्य होता है। मंत्रिमण्डल अपने कार्यों के लिये पार्लिमेन्ट के प्रति उत्तर-दायी है और उसका कार्यकाल लोक सभा के बहुमत पर निर्भर रहता है। प्रत्येक सदस्य के जिम्मे एक विभाग रहता है।

इस मंत्रिमण्डल की जिम्मेदारी संयुक्त होती है। यदि लोक-सभा के अधिकांश सदस्य इसकी नीति से सहमत न हों और अविश्वास का प्रस्ताव इनके खिलाफ पास कर दें तो इनको एक साथ इस्तीफा देना पड़ता है और फिर दूसरा मंत्रीमण्डल बनता है। वास्तव में ब्रिटिश साम्राज्य के शासन प्रबन्ध का भार मंत्रिमण्डल पर निर्भर रहता है। बादशाह मंत्रिमण्डल के निर्णय पर हस्ताक्षर कर देते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि सम्राट एक दम शून्य ही हैं। मंत्री लोग उनकी राय को सम्मान पूर्वक ग्रहण करते हैं और विशेष दशा में ही उनकी सम्मति के खिलाफ जाते हैं, किन्तु शासन का भार तो मंत्रिमण्डल के हाथ में ही रहता है।

ब्रिटिश सम्राट और भारत वर्षः—ब्रिटिश-साम्राज्य का सर्वोपरि अधिकारी सम्राट ही हैं, किन्तु उनके अधिकार परिमित हैं और उनकी तरफ से मंत्रिमण्डल कार्य का संपादन करता है। सन् १८५७ ई० के गदर के बाद से सन् १८५८ ई० के गवर्नमेन्ट-आफ-इण्डिया ऐक्ट के अनुसार कम्पनी के हाथ से भारतीय शासन इँग्लैण्ड की सरकार के हाथ में चला गया और तब से सम्राट का सम्बन्ध हिन्दुस्थान से स्थापित हुआ। यह सम्बन्ध कुछ इस प्रकार है:—

(१) सम्राट या उनका ज्येष्ठ पुत्र या परिवार के अन्य लोग समय समय पर हिन्दुस्थान में आया करते हैं। सन् १६११ ई० में स्वर्गीय राजाधिराज पंचम जार्ज आये थे और सन १६४० में सम्राट षष्ठम जार्ज भारतवर्ष में पधारेंगे ऐसी आशा की जाती है।

आजकल (मई सन् १९३९ ई०) वह कैनेडा में भ्रमण कर रहे हैं।

(२) विशेष अवसरों पर सम्राट की तरफ से घोषणा निकाली जाती है, जिनमें आगामी सुधारों या परिवर्तनों की सूचना रहा करती है। इसमें महारानी विक्टोरिया का घोषणा-पत्र विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

(३) हिन्दुस्तान में भूकम्प, अकाल तथा दैवी प्रकोप के समय सम्राट स्वयं सहायता देते हैं और दूसरों से भी सहायता दिलवाने का प्रयत्न करते हैं। सन् १९३४ ई० का विहार का भूकम्प उदाहरण के लिये लिया जा सकता है।

भारत मंत्रीः—इस पद का निर्माण सन् १८५८ ई० के गवर्नमेन्ट-आफ-इण्डिया ऐक्ट के अनुसार हुआ। यह ब्रिटिश मंत्रीमण्डल का एक सदस्य होता है और इसको नियुक्ति प्रधान-मंत्री की सिफारिश से सम्राट द्वारा होती है। यह ब्रिटिश पार्लियामेन्ट के प्रति भारतवर्ष के शासन के लिये जिम्मेदार होता है और सम्राट की ओर से भारतवर्ष के शासन के लिये उत्तरदायी होता है। यह प्रिवी-कौंसिल का भी सदस्य रहता है और पार्लिमेन्ट का सदस्य तो होना ही चाहिये। इसकी सहायता के लिये दो अन्डर-सेक्रेटरी होते हैं।

(१) स्थायी अन्डर-सेक्रेटरी और (२) पार्लिमेन्टरी अन्डर-सेक्रेटरी। दूसरा अन्डर-सेक्रेटरी उस सभा का सदस्य होता है जिसका सदस्य भारत-मंत्री नहीं होता अर्थात्

यदि भारत-मंत्री लार्ड-सभा का सदस्य हुआ तो पार्लिमेन्टरी अन्डर-सेक्रेटरी को लोक-सभा का सदस्य होना चाहिये। सन् १९१९ ई० के सुधार-ऐक्ट के अनुसार इनका और इण्डिया कौंसिल के सदस्यों का वेतन इँग्लैण्ड के कोष से दिया जाने लगा है। इसके पूर्व इन लोगों का वेतन भारतवर्ष के कोष से दिया जाता था।

भारत-मंत्री के कार्य तीन श्रेणियों में बाँटे जा सकते हैं:—

(१) भारत-मंत्री का सम्बन्ध ब्रिटिश पार्लिमेन्ट से।

(२) भारत-मंत्री का सम्बन्ध ब्रिटिश मंत्रिमंडल के साथ और

(३) भारत-मंत्री का सम्बन्ध भारत-सरकार के साथ।

(१) भारत-मंत्री का सम्बन्ध ब्रिटिश पार्लिमेंट के साथ:—

भारत-मंत्री पार्लिमेन्ट का एक सदस्य होता है और उस राजनैतिक दल का भी सदस्य होता है जिसका कि पार्लिमेन्ट में बहुमत होता है। भारतवर्ष के शासन के लिये यह पार्लिमेन्ट के प्रति उत्तरदायी होता है। भारतवर्ष के विषय में पूछे गये प्रश्नों का यही उत्तर देता है और प्रतिवर्ष मई के महिने की पहिली तारीख के बाद, जिस दिन से पार्लिमेन्ट का अधिवेशन आरम्भ हो, उसके २८ दिन के भीतर, वह भारतवर्ष के आय-व्यय का हिसाब पेश करता है और उस समय वह बीते वर्ष के राजनैतिक, सामाजिक और नैतिक उन्नति किस प्रकार और कितनी हुई उसकी सुन्दर रिपोर्ट पेश करता है। इस समय पार्लिमेंट के सदस्य भारतवर्ष के शासन सम्बन्धी

विषयों पर टीका-टिप्पणी कर सकते हैं और जब से भारत-सचिव का वेतन ब्रिटिश कोष से दिया जाने लगा है तब से पार्लिमेन्ट के सदस्य इनके कार्यों की तीव्र आलोचना करने लगे हैं।

भारत-मंत्री पूर्णतया पार्लिमेन्ट के आधीन है। पार्लिमेन्ट की आज्ञाओं का उसे पालन करना पड़ता है। भारतवर्ष की भलाई कौन कौन कार्य के करने से और किस नीति के पालन करने से हो सकती है इसका निर्णय पार्लिमेन्ट ही करती है। भारत-सचिव भारतवर्ष के शासन के लिये पार्लिमेन्ट का प्रतिनिधि मात्र है। भारत-मंत्री भारतवर्ष सम्बन्धी आवश्यक सूचना पार्लिमेन्ट को समय समय पर देता है।

(२) भारत-मंत्री का ब्रिटिश मंत्री-मंडल के साथ सम्बन्धः—

भारत-मंत्री ब्रिटिश मंत्री-मण्डल का एक सदस्य है और उसके जिम्मे भारतवर्ष के शासन-कार्य की देख रेख, नियंत्रण और आदेश रक्खा गया है। भारत-सरकार द्वारा बनाये हुए कानून को वह रद्द कर सकता है और सम्राट का [illegible] वैधानिक सलाहकार होता है (Coustitutional [illegible] the Crown)। उसको ५,००० पौंड वार्षिक वेतन मिलता है और इस वेतन की मांग पार्लिमेन्ट [illegible] मंजूर करती है। वह अपने कार्य के लिये [illegible] के प्रति उत्तरदायी होता है और किसी विषय पर [illegible] निर्णय देने के पूर्व वह अन्य मंत्रियों [illegible] लेता है, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी पार्लिमेन्ट [illegible] होती है।

वह अन्य मंत्रियों के साथ आता है और सबके साथ जाता है। यदि भारत-मंत्री अन्य मंत्रियों के निर्णय या नीति से सहमत न हो तो उसे इस्तीफा देना पड़ता है जैसा कि मि० मॉटेगू को करना पड़ा था। भारतवर्ष के शासन का यही सर्वोच्च अधिकारी है। भारतवर्ष के उच्च कर्मचारियों जैसे गवर्नर (बम्बई, मद्रास और बंगाल को छोड़कर) कार्य-कारिणी सभा के सदस्य, और हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति सम्राट इनकी राय से करते हैं।

भारत मंत्री और उसकी इण्डिया कौंसिलः—

सन १८५८ ई० से ही भारत-मंत्री की सहायता के लिये एक कौंसिल स्थापित हुई है जिसे इण्डिया कौंसिल कहते हैं। इसका आकार और अधिकार समय समय पर घटता बढ़ता रहता है। इस कौंसिल के सदस्यों की संख्या भारत-मंत्री निश्चित करते हैं, किन्तु इनकी संख्या ८ से कम और १२ से ज्यादा नहीं हो सकती। विधान के अनुसार आधे सदस्य ऐसे होने चाहिये जो कम से कम १० वर्ष तक भारतवर्ष में नौकरी कर चुके हों या रह चुके हों और सदस्य बनते समय उन्हें भारतवर्ष छोड़े पांच वर्ष से अधिक न हुए हों। इस सभा का कोई सदस्य पार्लिमेन्ट का सदस्य नहीं हो सकता। इनकी नियुक्ति पांच वर्ष के लिये होती है और प्रत्येक सदस्य को १,२०० पौंड वार्षिक वेतन मिलता है तथा भारतवर्षीय मेम्बरों को ६०० पौंड वार्षिक भत्ता और मिलता है। यह रकम ब्रिटिश या भारतवर्ष के कोष से पार्लमेंट के निर्णय के अनुसार दी जाती है। आजकल इनकी

तनख्वाह ब्रिटिश कोष से दी जाती है। मेम्बरों की नियुक्ति भारत मंत्री करता है, किन्तु वह इनको बर्खास्त नहीं कर सकता। दोनों सभाओं के प्रार्थनापत्र आने पर सम्राट ही उन्हें बर्खास्त कर सकता है।

भारत-मंत्री इस सभा का सभापति होता है और जल्दी से काम का निपटारा होजाय इसके लिये वह छोटी-छोटी कमिटियां बना देता है। इसकी बैठक माह में एक-बार होती है। भारत-मंत्री एक उप--सभापति भी नियुक्त करता है। सन् १९१९ ई० के सुधार ऐक्ट के पहिले बिना इसकी राय के भारत-मंत्री भारतीय कोष से कुछ भी द्रव्य व्यय नहीं कर सकता था, किन्तु अब इसका काम सिर्फ भारत-मंत्री की सहायता करना और राय देना ही है। भारत-मंत्री चाहे तो उनकी राय को ठुकरा सकता है। भारत-मंत्री को कौंसिल में साधारण मत देने के अतिरिक्त एक और वोट [Casting vote] देने का भी अधिकार है।

कौंसिल के सदस्य वैदेशिक विषयों में, युद्ध नीति में तथा देशी रियासतों के मामलों में बिलकुल हस्तक्षेप नही कर सकते और भारत-मंत्री इन्हें बिना बताये सारा कार्य गुप्त रीति से कर सकता है। वे भारत-मंत्री के आदेशानुसार लण्डन में भारतवर्ष सम्बन्धी कार्य करते हैं। कौंसिल के मेम्बरों की राय में मतभेद होने पर भारत-मंत्री की राय ही ठीक मानी जाती है। प्रान्तीय हस्तान्तरित विषयों में इसका नियन्त्रण बहुत थोड़ा रह गया है। इण्डियन सिविल सर्विस के नौकरों की नियुक्ति, पेन्शन, छुट्टी और भत्ता के नियम भारत-मंत्री कौंसिल की राय से

बनाता है। सन् १६०७ ई० तक इस कौंसिल का एक भी सदस्य भारतीय नहीं होता था, किन्तु आजकल इसके प्रायः ३ हिन्दुस्तानी सदस्य होते हैं।

इण्डिया कौंसिल की उपयोगिताः— भारतीय लोकमत इस कौंसिल के सर्वथा खिलाफ है। उनका कथन है कि ये सदस्य अधिकतर सिविल सर्विस के पेन्शन पाये पुराने कर्मचारी होते हैं। इन लोगोंको पुरानी स्थिति का ध्यान रहता है इसलिये ये सदस्य समय के साथ आगे नहीं बढ़ते। ये अनुदार और सुधार विरोधी होते हैं। इनकी राय को मानने के लिये भारत-मंत्री बाध्य नहीं है और कई गुप्त बातें जैसे लड़ाई, सन्धि, वैदेशिक नीति, इत्यादि इन्हें नहीं बताई जाती। इसलिये इनका रहना अनावश्यक है। सन् १९१९ में क्रू कमेटी [Crewe Committee] होम गवर्नमेंट में आवश्यक सुधारों पर विचार करने के लिये नियुक्त की गई थी। उस कमेटी में प्रसिद्ध वैधानिक प्रोफेसर कीथ का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इस कमेटी ने इण्डिया कौंसिल का अन्त करने की सिफारिश की थी। पर यह सिफारिश काम में नहीं लाई गई। माँटेगू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट ने भी इसका अन्त कर देना स्वीकार किया, किन्तु कुछ समय के पश्चात।

इण्डिया आफिसः—यह भारत-मंत्री का सेक्रेटरियट या दफ्तर है और [White Hall, London] में स्थित है। यह दफ्तर कई भागों में बँटा हुआ है। जैसे अर्थ विभाग, सेनाविषयक विभाग, राजनैतिक या गुप्त विषयक विभाग, न्याय सम्बन्धी और सार्वजनिक विषय सम्बन्धी विभाग इत्यादि।

एक एक विभाग के लिये एक स्थायी सेक्रेटरी रहता है और उसकी सहायता के लिये सहायक सेक्रेटरी तथा अन्य कई क्लर्क होते हैं। पहिले बताया जा चुका है कि भारत-मंत्री की सहायता के लिये दो अन्डर-सेक्रेटरी रहते हैं। उनके अतिरिक्त एक असिस्टेन्ट अन्डर-सेक्रेटरी और एक डिप्टी-अन्डर-सेक्रेटरी और होते हैं।

(२) भारत-मंत्री का भारत सरकार के साथ सम्बन्धः—

लार्ड जेटलेण्ड (वर्तमान भारत--मंत्री)

ब्रिटिश भारत का सर्वोच्च अधिकारी भारत मंत्री ही है। भारत-मंत्री और उसकी इण्डिया कौंसिल के जिम्मे हिन्दुस्तान के शासन-प्रबन्ध, निरीक्षण और नियंत्रण के अधिकार सौंपे गये हैं। वह हिन्दुस्तान के शासन के लिये ब्रिटिश पार्लियामेन्ट के प्रति उत्तरदायी है। भारतीय धारा-सभा द्वारा पास हुआ कानून जब तक भारत-मंत्री द्वारा स्वीकृत नहीं होता तब तक उसको कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं होता।

कानूनी दृष्टि से उसका पद गवर्नर-जनरल के पद से ऊँचा है और उसकी आज्ञाओं का पालन करना गवर्नर-जनरल के लिये आवश्यक है। यदि गवर्नर-जनरल और भारत-मंत्री के विचारों में मतभेद हो तो गवर्नर-जनरल को भारत-मंत्री का निर्णय मानना पड़ता है और यदि गवर्नर-जनरल नहीं मानते तो उनको इस्तीफा देना पड़ता है।

यद्यपि भारत-मंत्री का पद कानूनन गवर्नर-जनरल के पद से ऊँचा है तथापि व्यवहारिक रूप में हिन्दुस्तान में रहने के कारण और वस्तु-स्थिति की वास्तविक जानकारी होने के कारण गवर्नर-जनरल का हाथ शासन में बहुत अधिक है। ध्यान रखने की बात यह है कि प्रजा के भाग्य का निर्णय गवर्नर-जनरल के व्यक्तित्व [Personal Equation] पर निर्भर रहता है। यदि गवर्नर-जनरल योग्य, अनुभवी, दूरदर्शी, प्रभावशाली और निर्भीक हुआ तो इसका प्रभाव भारत-मंत्री पर बहुत पड़ता है और वह उससे जैसा चाहे वैसा करा सकता है। लार्ड मारले ने लार्ड मिन्टो को लिखा था कि गवर्नर-जनरल तो भारत-मंत्री का एक गुमाश्ता [Agent] मात्र है; परन्तु लार्ड कर्जन ने कहा कि भारत-मंत्री का कार्य गवर्नर-जनरल की नीति को पार्लिमेन्ट के सामने रखना और समझाना मात्र है।

सन् १९१९ ई० के सुधार ऐक्ट के पूर्व भारत-मंत्री का नियंत्रण गवर्नर-जनरल पर बहुत ही कड़ा था। उस की आज्ञा के बिना न कोई कानून बनाया जा सकता था और न कोई कर ही लगाया जा सकता था। प्रत्येक नये व्यय के लिये भारत-मंत्री की आज्ञा लेना आवश्यक था। लार्ड रिपन तो भारत-मंत्री के नियंत्रण से इतने

तङ्ग आगये थे कि उन्होंने अपने एक मित्र को लिखा कि यदि मैं यह जानता तो कदापि गवर्नर-जनरल के पद को स्वीकार न करता ।

किन्तु सन् १६१६ ई० के सुधार ऐक्ट के बाद से इस स्थिति में बहुत हेर-फेर होगया है । अब नये कानूनों के विषय में भारत-मंत्री की पूर्व स्वीकृति लेना आवश्यक नहीं रहा । गवर्नर-जनरल अब छोटे-मोटे खर्चों की मंजूरी स्वयं दे सकता है । भारत की आर्थिक नीति के विषय में यदि भारत सरकार और भारतीय धारा-सभा सहमत हों, तो साधारणतः भारत-मंत्री हस्तक्षेप नहीं करते । प्रान्तीय शासन के हस्तान्तरित विषयों में भी भारत सरकार और भारतमंत्री साधारणतः हस्तक्षेप नहीं करते हैं, परन्तु अन्य विषयों में भारतमंत्री का नियंत्रण पूर्ववत बना रहा ।

हाई कमिश्नर फार इण्डिया:—सन् १६१६ ई० के सुधार ऐक्ट के अनुसार हिन्दुस्तान के लिये एक हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है । इसका वेतन तथा इसके दफ्तर का सारा खर्च भारत के कोष से दिया जाता है । इस पद पर सिर्फ हिन्दुस्तानी ही भारत-सरकार के मातहत में रहकर कार्य करेगा और अपने कार्यों के लिये भारत-सरकार के प्रति उत्तरदायी रहेगा । व्यापारिक कार्य (जैसे रेल, तार, सेना सम्बन्धी वस्तु खरीदना) जो अभीतक भारत-सचिव करते थे, इनको सौंपे गये हैं । अब भारत-सचिव के जिम्मे केवल शासन-सम्बन्धी और राजनैतिक कार्य ही रह गये हैं । हाई कमिश्नर की नियुक्ति गवर्नर-जनरल द्वारा होती है किन्तु इसके लिये भारतमंत्री की स्वीकृति

आवश्यक है। यह पांच वर्ष के लिये नियुक्त होते हैं। इनको ३,००० पौंड वार्षिक वेतन मिलता है। कार्यकाल समाप्त होने पर वह फिर से नियुक्त हो सकते हैं। इन का दफ्तर इंग्लैण्ड के इण्डिया हाउस में है जो इण्डिया कौंसिल से अलग है। वह अपने मातहत के कर्मचारियों को स्वयं नियुक्त करता है और भारत-मंत्री की ओर से व्यापारिक ठेकों का काम करता है। इण्डिया-स्टोर्स और विदेश जाने वाले भारतीय विद्यार्थियों के विभाग के काम भी इन्हें सौंपे गये हैं। १३ अगस्त सन् १६३० ई० के आर्डर-इन-कौंसिल द्वारा इस पद का निर्माण हुआ। इण्डियन-ट्रेड-कमिश्नर को भी इनके दफ्तर में ही स्थान दिया गया है।

भारत-मंत्री और इण्डिया कौंसिलः—

सन् १६३५ ई० के ऐक्ट के अनुसारः—नये विधान के अनुसार हिन्दुस्तान सम्बन्धी अधिकार जो सम्राट को प्राप्त हैं उनको कार्य रूप में लाने के लिये भारत-मंत्री ही सम्राट का उत्तरदायी गुमाश्ता (Agent) है। नये विधान में भारत-मंत्री के शासन, निरीक्षण और नियंत्रण सम्बन्धी अधिकारों का उल्लेख मात्र तक नहीं किया गया है। किन्तु इस प्रकार के उल्लेख के न होने के कारण भारत-मंत्री के हिन्दुस्तान के शासन सम्बन्धी कार्य में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं पाया जाता; क्योंकि गवर्नर-जनरल और गवर्नर अपनी मर्जी के अनुसार किये गये कामों और स्वतः के विशेष उत्तरदायित्व पूर्ण कार्यों के लिये भारत-मंत्री के ही प्रति उत्तरदायी बने रहेंगे। देश-रक्षा परराष्ट्र नीति, राजनैतिक विभाग, इण्डियन सिविल सर्विस,

इण्डियन पुलिस सर्विस, इण्डियन मेडीकल सर्विस इत्यादि के कर्मचारियों की नियुक्ति, तरक्की, तनज्जुली, पेन्शन इत्यादि सारे अधिकार भारत-मंत्री के ही जिम्मे हैं। फेडरल रेलवे अथॉरिटी और रिजर्व बैंक के ऊपर भारत-मंत्री की निगरानी गवर्नर-जनरल के द्वारा होगी।

इस प्रकार नये विधान में भारत-मंत्री के अधिकार और उसकी प्रतिष्ठा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मौंटफोर्ड सुधार के बाद से भारत-मंत्री का वेतन ब्रिटिश कोष से मिलता है। यह प्रथा अब भी ज्यों की त्यों कायम रहेगी। अभी तक इण्डिया-कौंसिल का खर्च भारत के कोष से दिया जाता है और ब्रिटिश सरकार केवल एक निश्चित वार्षिक रकम (१५०,००० पौंड) देती है। नये विधान में भारत सचिव का खुद के वेतन और उसके मुहकमें का सारा खर्च जिसमें अन्य कर्मचारियों के वेतन भी सम्मिलित हैं, ब्रिटिश कोष से ही दिया जायगा।

किन्तु नये विधान में स्पष्ट लिख दिया गया है कि भारतीय संघ-सरकार की तरफ से किये गये कामों के लिये भारत-मंत्री को कुछ सामयिक तथा अन्य रकमें भारत के संघ-सरकार के कोष से दी जायगी। अभी तक जो मुकदमें भारत-मंत्री के नाम से या उसकी तरफ से चलते थे, संघ निर्माण हो जाने पर, संघ सरकार या प्रान्तीय सरकार की तरफ से या उनके खिलाफ चलाये जायेंगे। अभी जो खाता लण्डन के बैंक में भारत-मंत्री और उसकी कौंसिल के नाम से है, वह संघ-शासन स्थापित हो जाने पर; भारत-मंत्री के नाम से रहेगा।

भारत-मंत्री गवर्नर-जनरल और गवर्नरों के नाम जारी किये जाने वाले आदेश-पत्रों (Instruments of Instrucions) के मसविदों को पार्लिमेन्ट के सामने पेश करेगा और पार्लिमेन्ट की दोनों सभायें सम्राट से उन आदेश--पत्रों को जारी करने के लिये आवेदन करेंगी ।

इण्डिया कौंसिल:—बहुत दिनों से भारतीय लोकमत इसके अन्त करने के लिये लगातार मांग पेश करता आ रहा है। नये विधान के अनुसार प्रान्तीय-स्वराज्य स्थापित हो जाने पर इसका अन्त हो गया । १ अप्रैल सन् १९३७ ई० भारत-सचिव के इण्डिया कौंसिल के सदस्य अब भारत-सचिव के परामर्श दाता कहलाने लगे । अभी इनकी संख्या ८ से १२ तक रहेगी । संघ सरकार कामय हो जाने पर उनकी संख्या ३ से ६ तक रह जायगी। उसकी जगह में अब कुछ परामर्श दाताओं को, जिनकी संख्या तीन से कम और ६ से अधिक न होगी, भारत-सचिव स्वयं नियुक्त करेंगे। उनका कार्य भारत-मत्री को आवश्यक विपयों पर परामर्श देना होगा । उनकी योग्यता और कार्यक्रम प्राय: वे ही रहेंगे जैसी कि इण्डिया कौंसिल के मेम्बरों की थीं । कम से कम आधे परामर्श-दाता ऐसे होने चाहिये जो कि दस वर्ष या इससे अधिक समय तक हिन्दुस्तान में किसी पद पर नौकरी कर चुके हों और जिन्हें नियुक्त होने के समय नौकरी छोड़े २ वर्ष से अधिक न हुए हों । प्रत्येक परामर्श-दाता पांच वर्ष के लिये नियुक्त किया जाता है तथा उसका वार्षिक वेतन १,३५० पौंड होगा, यदि परामर्श-दाता भारतीय हुआ तो

उसको ६०० पौंड वार्षिक भत्ता और मिलेगा। परामर्श-दाता पुनः उस पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता।

उसका वेतन और भत्ता ब्रिटिश कोष से दिया जायगा। परामर्श-दाता पार्लियामेन्ट की किसी भी सभा में बैठने या उसमें मत देने का अधिकार नहीं होगा। उनसे राय लेना व न लेना भारत-मंत्री के ऊपर निर्भर है। वह चाहे एक से परामर्श ले या अधिक से या सबसे सामूहिक रूप से। भारत-मंत्री उनके परामर्श के अनुसार कार्य करने के लिये बाध्य नहीं हैं। सार्वजनिक उच्च नौकरियों से सम्बन्ध रखने वाले विषयों में भारत-मंत्री को उनके बहुमत के अनुसार कार्य करना पड़ेगा।

हाई कमिश्नर फार इण्डियाः—नये विधान के अनुसार भी एक हाई कमिश्नर फार इण्डिया इँग्लैण्ड में रहेगा, किन्तु अब उसकी नियुक्ति गवर्नर-जनरल अपने व्यक्तिगत निर्णय के अनुसार (In his discretion) करेगा। जो जो कार्य संघ-सरकार उसको सौंपेगी उनको वह करेगा। गवर्नर-जनरल की स्वीकृति से किसी प्रान्त, संघान्तरित राज्य (Federated State) या बर्मा की ओर से भी उक्त प्रकार का कार्य वह कर सकेगा। उसकी नियुक्ति, वेतन, छुट्टी आदि के नियम गवर्नर-जनरल द्वारा बनाये जायँगे। वह अपने किये हुए कार्यों के लिये गवर्नर-जनरल के प्रति ही उत्तरदायी रहेंगे।

आवश्यक सूचनाः—प्रथम भाग और द्वितीय भाग के यहां तक दिये गये विषयों में से ही प्रथम प्रश्न-पत्र में प्रश्न पूछे जायँगे।

अभ्यास के लिये प्रश्नः—

(१) भारत-सचिव के अधिकारों का वर्णन करो?

(२) नये शासन विधान से भारत--सचिव के अधिकारों में कौन–कौन से परिवर्तन हुए हैं?

(३) भारत–सचिव का सम्बन्ध गवर्नर–जनरल के साथ किस प्रकार का है?

(४) इण्डिया–कौन्सिल और भारत–सचिव का सम्बन्ध किस तरह का है?

(५) नये शासन–विधान के अनुसार इण्डिया–कौन्सिल मे कोई परिवर्तन हुआ है, क्या?

(६) हाई कमिश्नर फार इण्डिया के कार्यों का वर्णन करो। इस पद का निर्माण कब हुआ? नये विधान के अनुसार इनके पद मे किसी प्रकार का परिवर्तन हुआ है क्या?

(७) भारत--सचिव और उनकी कौन्सिल के सदस्यों का वेतन कहा से दिया जाता है?

नवां अध्याय

(अ)

नागरिक जीवन की समस्याएँ

कानून बनाना

वर्तमान-काल में राज्य का सारा कार्य तीन भागों में विभक्त किया गया है। वे इस प्रकार हैं:—(१) कानून बनाना, (२) शासन करना और (३) न्याय करना। ये राज्य के अंग भी कहलाते हैं। आजकल प्राय: सर्वत्र ही लोकतंत्र-शासन-प्रणाली प्रचलित है। इस प्रणाली में देश के सभी बालिग लोगों को मत देने का अधिकार है। उनके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों की राय से देश के कानून बनते हैं। यदि ऐसा न हो, तो लोग कानून का पालन नहीं करेंगे। देश में कई जाति और व्यवसाय के लोग रहते हैं। कोई जाति अल्प संख्या में होती है और कोई बहु संख्या में, इसलिये भिन्न भिन्न धर्म व व्यवसाय के लोगों के प्रतिनिधियों का धारा-सभा में होना आवश्यक है। इस तरह लोकमत के आधार पर बने हुए कानून सर्व-मान्य होते हैं।

आजकल प्राय: सभी देशों में कानून बनाने के लिये दो सभाएँ होती हैं। कानून बनाने वाली सभा को

धारा-सभा, व्यवस्थापिका सभा या कानून बनाने वाली सभा कहते हैं। एक धारा-सभा को बड़ी धारा-सभा और दूसरी को छोटी सभा कहते हैं। इंग्लैण्ड की बड़ी सभा को सरदार सभा [House of Lords] और छोटी सभा को लोक-सभा [House of Commons] कहते हैं। भारतवर्ष की बड़ी सभा को राज्य परिषद् [Council of State] और छोटी सभा का [Legislative Assembly] कहते हैं। इन सभाओं के नाम भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न हैं।

छोटी सभा का संगठन:—इस सभा के सदस्य साधारण जनता द्वारा चुने जाते हैं और देश के कोष पर इसी का अधिकार रहता है। शासन की नीति यही निर्धारित करती है। इसमें निर्वाचित और कहीं कहीं नामज़द दोनों प्रकार के सदस्य होते हैं, किन्तु उत्तरदायित्व-पूर्ण शासन प्राप्त देशों में नामज़द सदस्य नहीं होते। प्रबन्धक-वर्ग अपने कार्यों के लिये इसी सभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं।

बड़ी सभा में धनिकों, जमीदारों, व्यापारियों और पूंजी-पतियों के प्रतिनिधि होते हैं। इस सभा को उतने अधिक अधिकार प्राप्त नहीं हैं, जितने की छोटी सभा को हैं। इस सभा के सदस्य सम्पत्ति-शाली, अनुभवी और अधिक उम्र वाले लोग रहते हैं। इनको संसार का अच्छा अनुभव रहता है।

कहीं-कहीं बड़ी सभा के सदस्य वंश परम्परा के क्रमानुसार चुने जाते हैं—जैसे इंग्लैण्ड और जापान में। कहीं-कहीं इसके सदस्य जीवन भर के लिये नियत किये

जाते हैं, जैसे कैनेडा में। इस सभा को राजनिति विशारदों की सभा कहते हैं (The Chamber of Statesmen)।

दो सभाओं से लाभः—बड़ी सभा के सदस्य वृद्ध अनुभवी और सम्पत्ति वाले लोग होते हैं। छोटी सभा द्वारा पास हुए कानून पर यह सभा ध्यान पूर्वक विचार करती है और आवश्यकता होने पर वह फिर उसके पास विचार के लिये भेज देती है। इस तरह जल्द-वाजी से अहितकर कानून नहीं वनने पाते। इस सभा का मुख्य काम देर करना है। पुनर्विचार के लिये कानून को छोटी सभा के पास भेजकर वह छोटी सभा के सदस्यों का जोश ठण्डा कर देती है। इस तरह खूब सोच समझ कर और सभी पहलुओं पर ध्यान पूर्वक विचार करने के बाद ही कानून वनने पाते हैं।

बड़ी सभा से हानिः—यदि वड़ी सभा के विचार छोटी सभा से मिलते जुलते हैं, तव वड़ी सभा की कोई आवश्यकता नहीं मालूम पड़ती। यदि दोनों के विचार भिन्न हुए तो कठनाइयाँ उत्पन्न होतीं हैं। इस सभा के लोग वृद्ध और सम्पत्ति-शाली होने के कारण सुधार और लोकतंत्रवाद के सिद्धान्तों के प्रचार में वाधक होते हैं।

धारा-सभा के कार्यः—धारा-सभा का प्रधान कार्य कानून वनाना है। कानून वनाने के अतिरिक्त इसके और भी कई महत्वपूर्ण कार्य हैं जैसे:—

(१) शासन की तीव्र अलोचना करके, त्रुटियों को दिखा कर, उनको सुधारने का मौका देकर, सरकार को

मजबूत बनाना है। इसलिये पार्लिमेन्ट शासन-पद्धति में एक विरोधी दल का होना अनिवार्य समझा जाता है। बधाई की तरह आलोचना भी उपयोगी होती है।

(२) प्रस्ताव पास करके गवर्नमेन्ट को कोई खास काम करने के लिये बाध्य करना।

(३) किसी खास स्थिति की ओर ध्यान आकर्षित करना। बलवा, भूकम्प, बाढ़, अकाल आदि के कारण विशेष प्रकार की स्थिति उत्पन्न होजाने पर ऐसा किया जाता है।

(४) अविश्वास का प्रस्ताव पास करके गवर्नमेन्ट की नीति का खोखलापन खोला जा सकता है। यह सबसे बढ़कर अधिकार है। जब देश में कठोर शासन के कारण अशान्ति ज्यादा बढ़ जाती है, तब ऐसे प्रस्ताव पास किये जाते हैं।

(५) प्रतिवर्ष आय-व्यय निश्चित करते समय (बजट के समय) गवर्नमेन्ट की नीति का विरोध करने के लिये किसी भी मद में एक रुपया कटौती का प्रस्ताव पास कर सकती है। यही जनता के दुखों को सुनाने और गवर्नमेन्ट की कमजोरियों को दिखाने का खास समय रहता है। वास्तव में धारा-सभा राष्ट्र की अमूल्य सम्पत्ति है।

धारा-सभाओं के सर्व प्रिय होने की आवश्यकता:— राज्य के तीन अंग हैं:—(१) धारा-सभा कानून बनाने के लिये। (२) शासक-वर्ग नियमों का पालन कराने के लिये। और (३) न्याय विभाग न्याय कराने के लिये।

आजकल राज्यों की सीमा और जन संख्या पहिले से बहुत बढ़ गई है। अब छोटे छोटे नगर राज्य, जैसे

प्राचीन समय में यूनान और रोम में थे, नहीं रहे। अब प्रायः सब देशों में लोकतंत्र शासन-प्रणाली प्रचलित है और वहां के शासक-वर्ग अपने अपने कार्यों के लिये धारा-सभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लोकतंत्र शासन पद्धति में देश के सभी बालिगों को चाहे वे औरत हों या मर्द मत देने का अधिकार रहता है। अब सम्पत्ति, शिक्षा तथा आमदनी का होना मत दाताओं के लिये आवश्यक नहीं रहा बालक, पागल, दिवालिया और संगीन अपराधों में सजा पाये हुए व्यक्तियों को मत देने का अधिकार नहीं रहता। आजकल अधिक से अधिक लोगों को मत देने का अधिकार का होना आवश्यक समझा जाता है।

देश के हित के लिये कानूनों का होना आवश्यक है और कानून बनाने के लिये प्रत्येक राज्य में धारा-सभायें रहती हैं। इन सभाओं में अधिक से अधिक सदस्यों का होना आवश्यक समझा जाता है, यदि अधिकांश लोगों को मत देने का अधिकार दिया जायगा, तो लोग समझते हैं कि शासन में उनको राय ली जाती है। इस तरह अपने प्रतिनिधियों द्वारा बनाये हुए कानूनों का वे स्वयं पालन करेंगे और दूसरों से पालन कराने में राज्य को सहायता पहुँचायँगे। शिक्षित समाज के लोग अपने अधिकारों और कर्तव्यों से परिचित रहते हैं। वे दूसरों के द्वारा शासित होना पसंद नहीं करते, इसलिये प्रत्येक देश की धारा-सभा में जनता द्वारा चुने हुए सदस्य भेजे जाते हैं और वे वहाँ जाकर देशहित के लिये आवश्यक कानून बनाते हैं। इसलिये देश में धारा-सभा का होना आवश्यक है। इसको सार्वजनिक स्वत्वों का रक्षक कहते हैं।

प्रायः उन्नत राज्यों में शासक - वर्ग अपने कार्यों के लिये धारा-सभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यदि शासक-वर्ग अपना काम ठीक तरह से नहीं करते, तब वह उनको ठीक रास्ते पर लाती है।

राज्य के धन पर इसका ही अधिकार है। विना इसकी स्वीकृति के देश का धन खर्च नहीं किया जा सकता। कानून बनाना तो इसका प्रधान कार्य रहता है। एक आदमी की राय से दो आदमी की राय अच्छी होती है और सौ आदमियों की राय दस आदमियों की राय से कहीं अच्छी होती है। प्रत्येक देश में कई प्रकार के लोग रहते हैं। उनके कार्य, जाति, उद्योग-धंधे भिन्न भिन्न होते हैं। इसी कारण से धारा-सभा में सब सम्प्रदायों और हितों की रक्षा के लिये प्रतिनिधियों की संख्या अधिक होनी चाहिये। अल्प संख्यक जाति के हितों की रक्षा का पूरा प्रवन्ध होना चाहिये।

इसलिये धारा-सभाओं को सर्व-प्रिय बनाने के लिये सब जाति, व्यवसाय, अल्प संख्यक जातियों के प्रतिनिधियों का धारा-सभा में होना जरूरी है। इस तरह की धारा-सभा के बनाये हुए कानून लोगों को प्रिय मालूम होंगे।

भारतीय धारा-सभाओं की वृद्धि और विकासः—पाठकों को स्मरण रखना चाहिये कि ईस्ट इण्डिया कम्पनी की स्थापना सन् १६०० ई० के ३१ दिसम्बर को ट्यूडर वंशीय सर्वश्रेष्ठ शासिका महरानी एलिज़बेथ (सन् १५५८ ई० से १६०३ ई० तक) की शाही सनद द्वारा हुई। इस सनद

से इँग्लैण्ड के कुछ व्यापारियों को पूर्वीय देशों (The East Indies) के साथ व्यापार करने का एकाधिकार (Monopoly) पन्द्रह वर्ष के लिये दिया गया। इस सनद द्वारा कम्पनी को भूमि खरीदने, अपने व्यवसाय और सम्पत्ति को अपने कानूनी वारिसों को देने के अधिकार भी दिये गये। कार्य उत्तम रीति से चलाने के लिये इन्हें कानून बनाने और अपने कर्मचारियों को दण्ड देने के अधिकार भी दिये। इस तरह अंग्रेजी ईस्ट इण्डिया कम्पनी को कानून बनाने का अधिकार सनद द्वारा ही प्राप्त था। महरानी एलिज़बेथ द्वारा दी गई सनद समय समय पर इँग्लैण्ड के अन्य राजाओं द्वारा और सन् १६८८ ई० के बाद से ब्रिटिश पार्लियामेन्ट के कानूनों द्वारा नवीन होती रही।

सन् १७२६ ई० के सनद कानून (Charter Act) ने हिन्दुस्तान के तीनों हातों (बंगाल, मद्रास और बम्बई) के गवर्नरों और कौंसिलों को अपनी अपनी कोठियों के शासन के लिये कानून-कायदे बनाने के अधिकार दिये और तब से तीनों हातों की कौंसिलें अपने अपने निर्धारित क्षेत्रों के लिये स्वतंत्र रूप से कानून बनाने लगीं। प्रत्येक हाते के कार्य के लिये जैसे:- आय-व्यय, शासन, कर्मचारियों की नियुक्ति, सेना रखने, युद्ध और संधि करने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। इस तरह सन् १७७३ ई० तक प्रत्येक हाते का कार्य स्वतंत्र रूप से चलता था।

सन् १७७३ ई० में रेग्यूलेटिंग ऐक्ट पास हुआ। इस ऐक्ट के द्वारा बंगाल का गवर्नर, गवर्नर-जनरल-आफ़-बंगाल कहलाने लगा। मद्रास और बम्बई के

गवर्नर उसके मातहत कर दिये गये। उनको लड़ाई और संधि करने के अधिकार नहीं रहे और बाकी के सब अधिकार ज्यों के त्यों बने रहे। गवर्नर-जनरल की सहायता के लिये ४ मेम्बरों की एक कौंसिल (सभा) भी कलकत्ते में स्थापित की गई। सर्व प्रथम गवर्नर-जनरल तथा चार मेम्बरों के नाम इस ऐक्ट में लिख दिये गये। इस तरह बंगाल का गवर्नर-जनरल और उसकी कौंसिल कम्पनी-सरकार की सर्वोच्च सरकार समझी जाने लगी। बम्बई और मद्रास की सरकारों को अपने हातों के लिये बनाये हुए कानून-कायदों की एक एक प्रति बंगाल के गवर्नर-जनरल के पास भेजना आवश्यक ठहराया गया। इस तरह सन् १८३३ ई० तक प्रान्त की कार्य-कारिणी सभा ही कानून बनाती रही और कानून बनाने के लिये दूसरी अलग सभा न थी।

तीनों हातों के बने हुए कानूनों को "रेग्यूलेशन" (Regulations) कहते थे। बंगाल के सपरिषद-गवर्नर-जनरल को बंगाल स्थित कम्पनी के राज्यों को अच्छी स्थिति में रखने के लिये कानून, रेग्यूलेशन और अस्थायी कानून (Ordinance) बनाने के अधिकार भी इसी ऐक्ट द्वारा दिये गये। किन्तु इन कानून-कायदों का महती कचहरी (Supreme court) में दर्ज होना और महती कचहरी द्वारा स्वीकृत होना आवश्यक था। सन् १७८१ ई० के संशोधन ऐक्ट (The Amending Act of 1781) के अनुसार बंगाल के सपरिषद-गवर्नर-जनरल को प्रान्तीय कचहरी और कौंसिल के लिये भी कानून बनाने का अधिकार मिल गया। अब कानून-कायदों का महती

कचहरी में दर्ज कराना और उसकी स्वीकृति लेना आवश्यक नहीं रहा ।

सहती कचहरी रेग्यूलेटिंग ऐक्ट द्वारा बंगाल में स्थापित की गई और इसमें एक प्रधान-जज और तीन छोटे जज होते थे । इनकी नियुक्ति इँग्लैण्ड की सरकार द्वारा होती थी। दीवानी शासन (Civil Administration) गवर्नर-जनरल के और व्यापारिक तथा आर्थिक विषयों का प्रबन्ध कम्पनी के डाइरेक्टरों के जिम्मे सौंपा गया। रेग्यूलेटिंग ऐक्ट के द्वारा इँग्लैण्ड की सरकार का हस्तक्षेप ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन में आरम्भ हुआ और धीरे धीरे कम्पनी के अधिकार कम होते गये । यहां तक की सन् १८५८ ई० में हिन्दुस्तान का शासन सदैव के लिये कम्पनी के हाथ से निकलकर इँग्लैण्ड की सरकार के हाथ में चला गया । सन् १८३३ ई० के आज्ञा-पत्र के अनुसार कम्पनी के सब व्यापारिक अधिकार छिन गये और वह व्यापारिक कम्पनी न रही । शासन करना ही उसका काम रह गया ।

पिट का इण्डिया ऐक्ट (१७८४ ई०):—इस ऐक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर-जनरल की कौंसिल के सदस्यों की संख्या ४ से ३ कर दी गई और इन तीन सदस्यों में एक सेनाध्यक्ष रहता था । कम्पनी के शासन की देख-रेख के लिये इँग्लैण्ड में एक बोर्ड-आफ-कन्ट्रोल (The Board of Control) की स्थापना की गई जिसमें ६ कमिश्नर रहते थे। इस बोर्ड को कम्पनी की दीवानी, सैनिक और आय-व्यय सम्बन्धी प्रबन्धों की देख-रेख का पूर्ण अधिकार

सौंपा गया। इस ऐक्ट के द्वारा इँग्लैण्ड की सरकार का आधिपत्य कम्पनी के शासन पर पूर्णरूप से स्थापित हो गया और कम्पनी के डाइरेक्टरों को बोर्ड-आफ-कन्ट्रोल की आज्ञाओं का पालन करना अनिवार्य होगया।

बम्बई और मद्रास के गवर्नरों की कौंसिलों में भी ३ सदस्य रहने लगे और इनमें एक सेनाध्यक्ष (Commander-in-Chief) होता था। इन हातों की सरकारें पूर्णरूप से बंगाल के गवर्नर-जनरल तथा उनकी कौंसिल के आधीन कर दी गई अर्थात् उनके आय-व्यय पर भी उनका नियंत्रण कायम होगया। सन् १७८६ ई० में लार्ड कार्नवालिस के विशेष अनुरोध से गवर्नर-जनरल को अपनी जिम्मेदारी पर कौंसिल के बहुमत की उपेक्षा करके कार्य करने का अधिकार मिला।

सन् १८३३ ई० का आज्ञापत्रः— इस आज्ञा-पत्र के अनुसार गवर्नर-जनरल की कौंसिल के मेम्बरों की संख्या फिर ३ से ४ कर दी गई। इस नये मेम्बर को कानूनी मेम्बर (Legislative Councillor) कहते हैं, क्योंकि वह सिर्फ कानून बनाने के समय कौंसिल में बैठते थे और दूसरे समय कौंसिल में बैठने या मत देने के अधिकार उन्हें न थे। वह कम्पनी के कर्मचारियों में से नहीं नियुक्त किया जा सकता था। प्रथम कानूनी सदस्य मि० मैकाले थे जो आगे चल कर लार्ड मैकाले बन गये। बंगाल के सपरिषद गवर्नर-जनरल (The Governor-General in Council of Bengal) अब से हिन्दुस्तान के सपरिषद-गवर्नर-जनरल (The Governor-General-in-Council of India) कहलाने लगे।

हिन्दुस्तान के सपरिषद् गवर्नर-जनरल को सम्पूर्ण हिन्दुस्तान के लिये कानून और रेग्यूलेशन बनाने का अधिकार दिया गया और इनके बनाये हुए कानून 'ऐक्ट' कहलाने लगे। बम्बई और मद्रास के गवर्नरों से कानून बनाने के अधिकार ले लिये गये। इस तरह हिन्दुस्तान में केन्द्रीय धारा-सभा (The Indian Legislative) का श्रीगणेश हुआ। मि० मैकाले की अध्यक्षता में एक कानूनी कमीशन (Law Commission) जिसका काम भारत में प्रचलित कानूनों को एकत्रित करना और सुधारना था, स्थापित हुआ। इस आज्ञा-पत्र से कम्पनी के बाकी के व्यापारिक अधिकार भी छिन गये और कम्पनी को २० वर्ष के लिये शासन करने का अधिकार फिर दिया गया; किन्तु उसको हिन्दुस्तान को इँग्लैण्ड की सम्पत्ति और महरानी विक्टोरिया (सन् १८३७ ई० से सन् १९०१ ई० तक आप इँग्लैंड की शासिका रहीं) और उनकी वारिसों की अमानत समझ कर (In trust for Her Majesty and her heirs) शासन करना चाहिये अर्थात् इँग्लैण्ड की सरकार जब चाहे तब हिन्दुस्तान के शासन की बागडोर अपने हाथ में ले सकती है।

इस आज्ञा-पत्र के द्वारा दो और महत्व पूर्ण परिवर्तन हुए। वे इस प्रकार हैं:—(१) कोई भी रियाया जाति, धर्म और रंग के कारण किसी भी सरकारी नौकरी से वंचित नहीं रक्खा जा सकता और (२) एक नये प्रान्त का, जिसे पश्चिमोत्तर प्रान्त कहते हैं, निर्माण किया गया और उसके शासन के लिये एक लेफ्टिनेन्ट-गवर्नर नियुक्त हुआ। इस तरह सन् १८३३ ई० से सन् १८६१ ई० तक

सारे भारतवर्ष के लिये केन्द्रीय धारा-सभा ही कानून बनाती थी और सन् १८६१ ई० के कौंसिल ऐक्ट द्वारा प्रान्तीय-धारा-सभाओं का फिर से जन्म हुआ।

सन् १८५३ ई० का आज्ञापत्रः— इस आज्ञा-पत्र का स्थान भारत के शासन विधान में बड़े मार्के का है, क्योंकि इस ऐक्ट द्वारा हिन्दुस्तान को प्रथम भारतीय धारा-सभा (The first Indian Legislative Council) की प्राप्ति हुई, जो गवर्नर-जनरल की कार्य-कारिणी-सभा से बिल्कुल भिन्न थी।

अब समस्त भारतवर्ष के लिये गवर्नर-जनरल, जंगी-लाठ और कौंसिल के ४ साधारण मेम्बरों के साथ ६ खास मेम्बर (Special Members) प्रान्तीय सरकारों द्वारा नामज़द करके कानून बनाने के लिये भेजे जाने लगे। इस तरह भारतीय धारा-सभा का जन्म हुआ। इन ६ खास मेम्बरों में एक बंगाल का प्रधान न्यायाधीश, एक साधारण जज और ४ प्रान्तीय सरकारों द्वारा (बंगाल, मद्रास, बंबई और पश्चिमोत्तर) नामज़द किये जाते थे। इन चार नामज़द मेम्बरों को २० वर्ष का पुराना कम्पनी का नौकर होना चाहिये। इस प्रकार सारे भारतवर्ष के लिये कानून बनाते समय कुल १२ सदस्य रहते थे। भारतीय धारा-सभा की बैठक सर्व-साधारण के लिये खुल गई और उसकी सारी कार्रवाई जनता की जानकारी के लिये सरकार छपवाने लगी।

गवर्नर-जनरल की कार्य-कारिणी सभा के सदस्यों को अपने प्रस्तावों को नये मेम्बरों को, जो कि सिर्फ कानून बनाते समय कौंसिल में उपस्थित होते थे, समझाना तथा

उनके आक्षेपों का उचित समाधान करना, आवश्यक हो गया। इस तरह की टीका-टिप्पणी कार्य-कारिणी सभा के मेम्बरों को अनुचित जान पड़ने लगी और वे धारा-सभा के अधिकारों को कम करने का विचार करने लगे, क्योंकि नये ६ सदस्य पार्लिमेन्ट के सदस्यों की नाईं, शासन संबंधी त्रुटियों को जनता के सम्मुख रखने लगे। इसलिये सन् १८६१ ई० के कौंसिल ऐक्ट के अनुसार धारा-सभाओं का कार्य सिर्फ कानून बनाना ही रक्खा गया। प्रश्न पूछना और प्रस्ताव उपस्थित करना, सरकारी कार्यों की टीका-टिप्पणी करना, खास तौर से मना कर दिया गया।

सन् १८५८ ई० में गदर के बाद कम्पनी के शासन का अन्त हो गया और भारत का शासन सदैव के लिये ब्रिटिश सरकार के हाथ में चला गया।

सन् १८६१ ई० का इण्डियन कौंसिल ऐक्टः—इस ऐक्ट से प्रान्तीय-धारा-सभाओं का निर्माण हुआ। बम्बई और मद्रास की सरकारों को फिर से कानून बनाने के अधिकार मिले जो सन् १८३३ के बाद से छीन लिये गये थे। इस ऐक्ट के अनुसार मद्रास और बम्बई को सन् १८६१ ई० में, बंगाल को सन् १८६२ ई० में, पश्चिमोत्तर देश को सन् १८८६ ई० में, और पञ्जाब को सन १८९७ ई० में धारा-सभाएँ स्थापित की गईं। इनका निर्माण गवर्नर-जनरल की धारा-सभा के आधार पर हुआ। इनमें ४ से ८ सदस्य तक, प्रान्तीय एडवोकेट-जनरल (Advocate General) को छोड़कर, गवर्नर द्वारा नामजद किये जा सकते थे। इन नामजद सदस्यों में आधे नामजद मेम्बरों का गैर सरकारी होना आवश्यक था और इनमें कुछ हिन्दुस्तानी सदस्य अवश्य रहते थे।

प्रान्तीय-धारा-सभाएँ समस्त भारत से सम्बंध रखने वाले विषयों पर, जिनका समान होना आवश्यक था जैसे— कर, सिक्का, डांकघर, दण्ड विधान, पेटेन्ट और कापीराइट इत्यादि, कानून नहीं बना सकती थीं। कुछ विषयों पर कानून बनाने के लिये गवर्नर-जनरल की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य ठहराई गई। प्रान्तीय-धारा-सभाओं द्वारा पास हुए कानूनों के लिये प्रान्तीय गवर्नर तथा गवर्नर-जनरल दोनों की स्वीकृति का होना आवश्यक था। इस तरह गवर्नर-जनरल प्रान्तीय-धारा-सभाओं पर नियंत्रण रखता था। प्रान्तीय तथा केन्द्रीय धारा-सभाओं में सरकारी मेम्बरों का ही बहुमत था। यह पहला अवसर था जब कि हिन्दुस्तानी केन्द्रीय तथा प्रान्तीय--धारा--सभाओं के सदस्य बनाये गये। प्रान्तीय तथा केन्द्रीय धारा-सभाओं का कार्य सिर्फ कानून बनाना रक्खा गया। टीका-टिप्पणी करने, प्रश्न पूछने तथा प्रस्ताव उपस्थित करने के अधिकार नहीं दिये गये।

भारतीय धारा-सभा:—इस ऐक्ट द्वारा गवर्नर-जनरल की कार्य-कारिणी-सभा में एक और साधारण सदस्य (Ordinary Member) जोड़ दिया गया। इस तरह ५ साधारण और १ असाधारण सदस्य (Extraordinary) गवर्नर-जनरल की कार्य-कारिणी सभा के सदस्य हो गये। नानून बनाने के लिये इसमें ६ से १२ तक अतिरिक्त सदस्य (Additional Members) गवर्नर-जनरल द्वारा, दो वर्ष के लिये जोड़ दिये जाते थे। इन नामज़द अतिरिक्त सदस्यों में आधे गैर सरकारी सदस्य होते थे और उनमें कुछ हिन्दुस्थानी सदस्य अवश्य होते थे।

इस सभा द्वारा बनाये हुए प्रत्येक कानून के लिये गवर्नर-जनरल की स्वीकृति का होना आवश्यक था। गवर्नर-जनरल को अपनी अनुपस्थिति में कार्य-कारिणी-सभा का सभापति बनाने के लिये सभापति नियुक्त करने का अधिकार दिया गया। सपरिषद-गवर्नर-जनरल के कानून बनाने के अधिकार बढ़ा दिये गये। अब वह सारे ब्रिटिश-भारत (British India) के लोगों, अदालतों और स्थानों और अंग्रेजी प्रजा और सरकारी कर्मचारी, चाहे हिन्दुस्तान में कहीं भी हों, (Anywhere in India) के लिये कानून बना सकती है। विशेष स्थिति उत्पन्न होने पर गवर्नर-जनरल को विशेष कानून (Ordinances) बनाने का अधिकार दिया गया, जो ६ माह तक कानून के तौर पर काम में लाया जा सकता है।

किन्तु स्मरण रखना चाहिये कि ब्रिटिश पार्लिमेन्ट का भारत के लिये कानून बनाने का अधिकार सुरक्षित रक्खा गया है। ब्रिटिश सरकार भारत-सचिव द्वारा भारतीय धारा-सभा और प्रान्तीय धारा-सभा में पास हुए किसी भी कानून को रद्द करा सकती है।

सन् १८९२ ई० का इण्डियन-कौंसिल-ऐक्ट:—पश्चिमी शिक्षा के प्रचार ने लोगों में घोर असन्तोष (Divine Discontent) उत्पन्न कर दिया। पढ़े-लिखे लोग शासन में हाथ बटाने के लिये आवाज़ उठाने लगे। कांग्रेस ने उन लोगों का पक्ष ग्रहण किया। जनता की तकलीफों को दूर करने के लिये ह्यूम साहब ने यह निश्चय किया कि एक ऐसी संस्था कायम की जाय जिसमें वर्ष में एकबार हिन्दुस्तान के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ एक स्थान पर एकत्रित होकर

सरकार से, जो जो तकलीफें मालूम होती हों, इनको दूर करने की प्रार्थनाएँ किया करें और आपस में मित्रता का भाव उत्पन्न करायें। तत्कालीन वायसराय लार्ड डफरिन (सन् १८८४ ई० से १८८८ ई० तक) भी चाहते थे कि इँग्लैण्ड की तरह यहाँ भी एक बड़ी सार्वजनिक संस्था हो, जो सरकार को समय समय पर बताती रहे कि शासन में क्या क्या त्रुटियां हैं और उनमें क्या क्या सुधार करना चाहिये। इस उद्देश की पूर्ति के लिये इण्डियन-नैशनल-कांग्रेस की स्थापना हुई। उस समय देश में और भी कई संस्थाएँ देश-सेवा का काम स्वतंत्र-रूप से कर रही थीं। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई में २८ दिसम्बर सन् १८८५ ई० को हुआ और कई महत्व-पूर्ण प्रस्ताव पास हुए। परिणाम स्वरूप सन् १८६२ ई० का इण्डियन-कौंसिल-ऐक्ट पास हुआ।

इस ऐक्ट से निम्न लिखित परिवर्तन भारतीय तथा प्रान्तीय धारा-सभाओं में हुये:—

(१) भारतीय धारा-सभा में नामजद सदस्यों की संख्या १० से १६ तक निश्चित कर दी गई।

(२) बम्बई और मद्रास की धारा-सभाओं के नामजद सदस्यों की संख्या ८ से २० तक, पश्चिमोत्तर प्रदेश के लिये १५, पंजाब और ब्रह्मा के लिये ६ और बंगाल के लिये २० से अधिक नहीं हो सकती थी। सरकारी सदस्य आधे से अधिक नहीं हो सकते थे। धारा-सभा में कार्य-कारिणी-सभा के सदस्य तो रहते ही थे।

(३) परोक्ष निर्वाचन (Indirect Election) प्रथा का प्रारम्भ हुआ। अभी तक भारतीय और प्रान्तीय धारा-सभाओं के अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्य सरकार द्वारा नामज़द किये जाते थे; किन्तु अब कुछ सार्वजनिक संस्थाएँ जैसे-म्युनिसिपैलिटी, डिस्ट्रिक्ट-बोर्ड, विश्व विद्यालय, चेम्बर-आफ-कामर्स, जमींदार-संघ और प्रान्तीय धारा-सभाएँ कुछ लोगों के नाम चुनकर भेज देती थीं और इन्हीं भेजे हुए नामों में से गवर्नर-जनरल गैर सरकारी मेम्बर को चुन लेता था। इस प्रकार नामज़दगी प्रथा कायम रही और साथ ही साथ निर्वाचन प्रणाली (Electd system) भी आरम्भ हुई।

(४) पूर्व सूचना देने पर मेम्बरों को शासन सम्बन्धी उचित प्रश्न पूछने का अधिकार भी मिल गया; पर प्रश्न के मिले हुए उत्तर पर वाद-विवाद करने का अधिकार नहीं दिया गया।

(५) वार्षिक आय-व्यय का लेखा (The Annual Budget) पर बहस करने का अधिकार दिया गया; किन्तु बजट के प्रत्येक मद पर अलग अलग बहस करने का अधिकार नहीं मिला। (The budget was to be discussed as a whole and not by item by item.) अतिरिक्त प्रश्न (Supplementary questions) पूछने तथा प्रस्ताव पास पेश करने या किसी मन्तव्य (Resolution) पर सभा की राय जानने का अधिकार नहीं दिया गया। सभापति को किसी भी प्रश्न का सभा

के सम्मुख विचारार्थ उपस्थित होने से रोक सकने का अधिकार दिया गया।

(६) प्रान्तीय धारा-सभाओं को गवर्नर-जनरल की पूर्व स्वीकृति से धारा-सभा द्वारा बनाये गये प्रान्तों के लिये अहितकर कानूनों को रद्द या उनमें परिवर्तन करने के लिये, कानून बनाने का अधिकार दिया गया।

सन् १९०९ ई० का कौंसिल--ऐक्ट या मार्ले-मिन्टो-सुधारः—लार्ड कर्जन ने (सन् १८८९ ई० से सन् १९०५ तक) देशकी रुचि के विरुद्ध बंग-भंग कर दिया और इससे देश में (बंगाल में) घोर अशान्ति फैल गई। लोग देश के शासन में भाग लेने के लिये उत्सुक थे। इस असन्तोप को दूर करने के लिये कुछ सुधार आवश्यक समझे गये। सन् १९०५ ई० में इँग्लैण्ड में उदार दल की जीत हुई और लार्ड जान मार्ले

(लार्ड जान मार्ले)

(Lord John Morley) भारत-सचिव बनाये गये और लार्ड मिन्टो (सन् १९०५ से १६१० तक) भारत के गवर्नर-

(लार्ड मिन्टो)

जनरल बने। इन दोनों ने मिलकर एक योजना तैयार की जो इन्हीं के नाम से मार्ले–मिन्टो-सुधार के नाम से प्रसिद्ध है। इस ऐक्ट का उद्देश्य हिन्दुस्तानियों को अधिक संख्या में देश के शासन में भाग देना मात्र था। इससे मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला। और तबसे यह रोग बढ़ता ही गया।

इस ऐक्ट में निम्नलिखित परिवर्तन हुए:—

(१) भारतीय धारा–सभा के मेम्बरों की कुल संख्या अब १६ से ६० तक कर दी गई। सरकारी मेम्बरों की संख्या ३३ और ग़ैर सरकारी मेम्बरों की संख्या २७ निश्चित कर दी गई। केन्द्रीय–सभा में इस तरह सरकारी मेम्बरों का ही बहुमत रहा। ग़ैर सरकारी सदस्य दो प्रकार से चुने जाते थे (१) संस्थाओं द्वारा न कि मतदाताओं द्वारा और (२) सरकार द्वारा नामज़द किये जाते थे।

(२) बड़े प्रान्तों की धारा–सभा के लिये ५० मेम्बर और छोटे प्रान्तों के लिये ३० मेम्बर तक नियुक्त किये जा सकते थे। अब प्रान्तीय–धारा–सभाओं में सरकारी मेम्बरों का बहुमत नहीं रहा। चुने हुए मेम्बरों में कुछ मेम्बर सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा जैसे व्यापारी–

संघ, जमीन्दारों के संघ, मुसलमानों और प्रान्तीय-धारा-सभाओं द्वारा चुने जाते थे। चुने हुए मेम्बर आधे से ज्यादा होते थे। कुछ ग़ैर सरकारी सदस्य सुरक्षित नामजदगी प्रथा (Safe Nomination) के अनुसार नामज़द किये जाते थे। नामज़द सदस्य सरकारी कर्मचारी और ग़ैर सरकारी सदस्य दोनों हो सकते थे।

(३) अब धारा-सभा के मेम्बरों को निश्चित सीमा के अन्दर प्रश्न पूछने और प्रस्ताव उपस्थित करने के अधिकार दिये गये। किसी भी प्रस्ताव पर मेम्बरों की राय अब जानी जा सकती है।

(४) कुछ विषयों जैसे:—सेना, डाक-विभाग, दण्ड-विधान, नाविक-शक्ति, पर प्रान्तीय-धारा-सभाएँ कानून नहीं बना सकती।

(५) धारा-सभा के सदस्य ३ वर्ष के लिये चुने जाते थे।

(६) गवर्नर-जनरल को किसी भी प्रस्ताव को नामंजूर करने का अधिकार दिया गया। जो प्रश्न पूछते हैं, उन्हीं को अतिरिक्त प्रश्न पूछने के अधिकार भी दिये गये।

(७) सरकारी कर्मचारी, औरतें, पागल, अदालत द्वारा दिवालिया ठहराये गये मनुष्य, खास राजदण्ड पाये हुये मनुष्य, और २५ वर्ष के नीचे वाले मनुष्यों को मत देने का अधिकार नहीं दिया गया।

(८) सपरिषद-गवर्नर-जनरल किसी भी निर्वाचित सदस्य की सदस्यता को यदि उसका चुनाव देश हित के

लिये अकल्याण-कारक जान पड़े, तो ग़ैर कानूनी करार दे सकता है।

(९) वार्षिक आय-व्यय लेखा (The Annual Budget) पर अब पहिले से अधिक वाद-विवाद करने का अधिकार दिया गया।

(१०) भिन्न-भिन्न निर्वाच्चित क्षेत्र कायम किये गये और मतदाताओं की योग्यता भिन्न-भिन्न प्रान्तों में भिन्न-भिन्न रक्खी गई। साम्प्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का आरम्भ हुआ।

मार्ले-मिन्टो सुधारों के गुणदोषः—इन सुधारों ने हिन्दुस्तान के शासन पद्धति के विकास में एक नया युग आरम्भ कर दिया, क्योंकि अब से चुने हुए प्रतिनिधि कौंसिलों में जाने लगे। भारतियों की नियुक्ति भी अब उच्च पदों पर होने लगी। सन् १९०७ ई० में भारत-सचिव की इण्डिया-कौंसिल में दो हिन्दुस्तानी सदस्य नियत किये गये। सुधारों के बाद वायसराय की कार्य-कारिणी सभा में एक हिन्दुस्तानी सदस्य, सर सत्येन्द्र प्रसन्न सिन्हा, की नियुक्ति हुई। अब धारा-सभाओं का कार्य केवल कानून बनाना ही नहीं रहा।

मार्ले-मिन्टो के सुधारों का महत्व केवल इतना ही है कि अब हिन्दुस्तानियों को सरकार की नीति की आलोचना करने, राज-काज सीखने, और सरकार को सलाह देने का अवसर मिला।

सन् १९१९ ई० का सुधार ऐक्टः—युरोपीय महायुद्ध (सन् १९१४ से १९१८ तक) में भारतवर्ष की धन-जन की

प्रशंसनीय सहायता से प्रसन्न होकर उस समय के भारत-सचिव मि० माण्टेगू ने लोक-सभा (The House of Commons) में एक महत्वपूर्ण भाषण दिया, जिसका आशय यह था कि ब्रिटिश सरकार की नीति का लक्ष्य हिन्दुस्तान में क्रमशः उत्तरदायित्वपूर्ण-शासन या स्वराज्य की स्थापना करने की है । इस नीति से भारत-सरकार भी पूर्णतया सहमत है । इस घोषणा पर विचार करने से ४ बातें स्पष्ट होती हैं:—

(१) इँग्लैण्ड की सरकार हिन्दुस्तान में धीरे धीरे उत्तरदायी-शासन (Responsible Government) स्थापित करना चाहती है । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये हिन्दुस्तानियों को शासन के प्रत्येक भाग में अधिक से अधिक भाग दिया जाय (at an increasing rate), किन्तु पूर्णरूप से (rather than being complete) शासन भार न सौंपा जाय) ।

(२) हिन्दुस्तान इँग्लैण्ड के आधीन रहकर उन्नति करे अर्थात् हिन्दुस्तान ब्रिटिश साम्राज्य का एक भाग बन कर रहे । (India is to remain within the British Empire).

(३) उन्नति-क्रम और समय का निर्णय केवल ब्रिटिश पार्लिमेन्ट ही करेगी, क्योंकि 'भारतवासियों की भलाई और उन्नति की सारी जिम्मेदारी उसी पर अवलम्बित है । (The time & manner of each advance can be determined only by

Parliament, upon whom responsibility lies for the welfare & advancement of the Indian peoples).

(४) प्रान्तीय सरकारों को भीतरी शासन के लिये भारत सरकार से अधिक अधिकार दिया जाय ।

यह घोषणा बड़े महत्व की है, क्योंकि इससे ब्रिटिश सरकार की भारतीय नीति का अन्तिम लक्ष स्वराज्य है, स्पष्ट कर दिया गया ।

(लार्ड चेम्सफोर्ड)

उसी वर्ष मि० माण्टेगू, जो उस समय इँग्लैण्ड के भारत-मंत्री थे, हिन्दुस्तान में आये और हिन्दुस्तान के वायसराय लार्ड चेम्स-फोर्ड के साथ समस्त हिन्दुस्तान का दौरा करके उस समय की वास्तविक स्थिति का अध्ययन करके एक सुधार योजना तैयार की और उसी के आधार पर पार्लिमेण्ट ने भारत का एक नया शासन-विधान बनाया । उन्हीं के नाम पर यह सुधार माण्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार या 'माण्टफोर्ड' सुधार कहलाता है । इसके अनुसार कई महत्वपूर्ण परिवर्तन भारत के विधान में हुए । धारा-संभा सम्बन्धी सुधार कुछ इस प्रकार हैं:—

(१) इस ऐक्ट के अनुसार अब अन्य सभ्य देशों के समान हिन्दुस्तान के लिये भी दो कानून बनाने वाली सभाएँ स्थापित की गई। एक को राज्य-परिषद (The Council of State) और दूसरी को भारतीय धारा-सभा (The Indian Legislative Assembly) कहते हैं।

(अ) राज्य-परिषद में कुल ६० सदस्य होते हैं। इनमें ३३ सदस्य चुने हुए और २७ नामजद सदस्य होते हैं। इन २७ नामजद सदस्यों में ६ गैर सरकारी और १ बरार से नामजद और २० सरकारी कर्मचारी होते हैं। सभी प्रान्तों से इसमें प्रतिनिधि भेजे जाते हैं और मध्यप्रदेश से २ चुने हुए सदस्य भेजे जाते हैं। इस सभा की आयु ५ वर्ष की है। इस सभा के प्रत्येक सदस्य के नाम के पूर्व माननीय शब्द जोड़ा जाता है। भारतीय धारा-सभा में पास हुआ कोई भी कानून, कानून नहीं समझा जा सकता है, जब तक कि वह इस सभा द्वारा भी न पास किया जाय। राज्य-परिषद के सभापति को गवर्नर-जनरल मेम्बरों में से नियुक्त करता है, किन्तु आरम्भ से (सन १९२१ ई० के १ अप्रैल से) अभी हाल तक इस सभा के सभापति सरकारी कर्मचारी ही रहे हैं। आजकल उसके सभापति गैर सरकारी सदस्य हैं। आजकल सर मानकजी दादाभाई इसके प्रेसीडेण्ट हैं। प्रेसीडेण्ट को ५०,०००) वार्षिक वेतन मिलता है। गवर्नर-जनरल इस सभा के सदस्य नहीं हैं, किन्तु वह मेम्बरों

को एकत्रित करके उनके समक्ष आवश्यक विषयों पर भाषण दे सकते हैं और आवश्यकता प्रतीत होने पर उसकी आयु घटा बढ़ा सकते हैं। सभापति को "कास्टिंग वोट" देने का अधिकार है।

(ब) भारतीय धारा सभाः—इस सभा के कुल मेम्बरों की संख्या प्रेसीडेण्ट को छोड़कर १४३ है जिसमें १०३ सदस्य

(केन्द्रीय सभा-भवन देहली)

निर्वाचित और ४० सरकार द्वारा नामजद सरकारी कर्मचारी और गैर सरकारी सदस्य होते हैं। गवर्नर-जनरल की कार्य-कारिणी सभा के कुछ मेम्बर भी इसके सदस्य रहते हैं। इस सभा में मध्यप्रदेश के ६ सदस्य हैं। इसकी आयु ३ वर्ष की है किन्तु गवर्नर-जनरल चाहें, तो उसे घटा-बढ़ा सकते हैं। इस सभा के सदस्य "एम. एल. ए." (M. L. A.) या मेम्बर-आफ-लेजिस्लेटिव-असेम्बली कहलाते हैं। इस सुधार-ऐक्ट के अनुसार भारतीय-धारा-सभा के प्रथम ४ वर्ष तक के लिये

इसका प्रेसीडेण्ट, एक ग़ैर सरकारी पार्लिमेन्टरी-शासन-पद्धति में निपुण व्यक्ति गवर्नर-जनरल द्वारा नामज़द किया गया। सर एफ. वाइट (Sir F. Whyte) भारतीय-धारा-सभा के प्रथम नामज़द सभापति नियुक्त किये गये। मि. वी. जे. पटेल इसके चुने हुये सर्व प्रथम भारतीय सभापति हुये। आप दो

(प्रेसीडेन्ट पटेल)

वार इस पद पर नियुक्त किये गये। सभापति और उप-सभापति दोनों के वेतन पर केन्द्रीय-धारा-सभा को मत देने का अधिकार है। आर्थिक मामलों पर इस सभा को मत देने का अधिकार प्राप्त है और सरकारी वजट इसी में उपस्थित किया जाता है। इस सभा को राज्य-परिषद से अधिक अधिकार आर्थिक मामलों में प्राप्त हैं।

दोनों सभाओं का सम्बन्धः—दोनों सभाओं के सदस्यों को मसविदा (Bill) पेश करने का अधिकार है। जब तक दोनों सभाओं द्वारा विल पास नहीं होता तब तक वह कानून (Act) नहीं समझा जाता। दोनों सभाओं द्वारा पास हो जाने और गवर्नर-जनरल की स्वीकृति मिलने के वाद वह देश का कानून समझा जाता है। यदि दो में से एक सभा पास कर देती है और दूसरी सभा अस्वीकार कर देती है, तब वह विल गवर्नर-जनरल के द्वारा तसदीक कर देने पर (Powers of Certification) कानून वन जाता है।

कभी-कभी दोनों सभाओं में से कुछ सदस्य लेकर एक संयुक्त कमेटी (Joint Meeting of both the Chambers) वनाई जाती है जिसमें राज्य-परिषद के प्रेसीडेण्ट सभापति का आसन ग्रहण करता है। इस संयुक्त अधिवेशन में जो वहुमत द्वारा निर्णय होता है वही अन्तिम निर्णय माना जाता है।

प्रेसीडेण्टः—सन १६१६ ई० के सुधार ऐक्ट के पूर्व तक भारतीय-धारा-सभा के प्रेसीडेण्ट गवर्नर-जनरल होते

भारतीय-धारा-सभा सन् १९१९ ई० के सुधार के अनुसार (प्रेसीडेण्ट को छोड़कर)

प्रान्तों के नाम	नामजद सदस्य			निर्वाचित सदस्य								कैफियत
	सरकारी सदस्य	गैर सरकारी सदस्य	योग	साधारण	मुसलमान	सिख	जमींदार	यूरोपियन	कामर्स	योग	कुल योग	
भारत सरकार	१२	×	१२	×	×	×	×	×	×	×	१२	❀ बरार के निर्वाचित सदस्यों में से एक नामजद सदस्य भी सम्मिलित है।
मद्रास	२	२	४	१०	३	×	१	१	१	१६	२०	
बम्बई	२	४	६	७	४	×	१	२	२	१६	२२	
बंगाल	२	३	५	६	६	×	१	३	१	१७	२२	
संयुक्तप्रदेश	२	१	३	८	६	×	१	१	×	१६	१९	
पंजाब	१	१	२	३	६	२	१	×	×	१२	१४	
बिहार, उड़ीसा	१	१	२	८	३	×	१	×	×	१२	१४	
मध्यप्रदेश	१	×	१	❀४	१	×	१	×	×	६	७	
आसाम	१	×	१	२	१	×	×	१	×	४	५	
बर्मा	१	×	१	३	×	×	×	१	×	४	५	
बरार (सी.पी.)	×	२	२	×	×	×	×	×	×	×	२	
अजमेर	×	१	१	×	×	×	×	×	×	×	१	

थे और प्रान्तीय-धारा-सभा के प्रेसीडेण्ट गवर्नर होते थे। किन्तु सुधार-ऐक्ट के बाद से भारतीय-धारा-सभा का प्रेसीडेण्ट प्रथम ४ वर्ष तक के लिये गवर्नर-जनरल द्वारा नामज़द किया गया और ४ वर्ष के बाद से उसका प्रेसीडेण्ट धारा-सभा के सदस्यों में से सदस्यों द्वारा चुना जाता था और गवर्नर-जनरल अपनी स्वीकृति देता है। इस तरह भारतीय-धारा-सभा को अपना चुना हुआ प्रेसीडेण्ट मिला। राज्य-परिषद का प्रेसीडेण्ट राज्य-परिषद के सदस्यों में से गवर्नर-जनरल द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्रान्तीय-धारा-सभा का प्रेसीडेण्ट प्रथम ४ वर्ष के लिये गवर्नर द्वारा नियुक्त किया गया और ४ वर्ष के बाद से धारा-सभा के सदस्यों द्वारा सदस्यों में से चुना जाता है और गवर्नर अपनी स्वीकृति प्रदान करता है। प्रेसीडेण्ट और डिप्टी-प्रेसीडेण्ट को वेतन दिया जाने लगा।

प्रेसीडेण्ट का स्थान बड़े महत्व का है। वह धारा-सभाओं के अधिवेशन के (Session) समय सभापति का पद ग्रहण करता है। वह सभा को स्थागित भी कर सकता है। सभा में वाद-विवाद के समय शान्ति रखना, सभा के नियमों की रक्षा करना, सभा के नियमों के विषय में विवाद उठने पर अपना निर्णय देना, प्रस्तावों पर मत लेना, उनका परिणाम बताना, सभा के कार्यों को सुन्दर रूप से चलाना, सदस्यों को अप्रिय शब्दों के प्रयोग से बचाना, सभा के अधिकारों को बाहरी आक्षेपों से बचाना, उसके कुछ मुख्य कार्य हैं। उसको दल बन्दियों से अलग रहना चाहिये। समान मत होने पर अपना "कास्टिंगमत" किसी भी पक्ष में दे सकता है। अपना चुना हुआ सभापति

होना धारा-सभा का सदैव से एक महत्व का विशेषाधिकार समझा जाता है। यह अधिकार भारतीय तथा प्रान्तीय-सभाओं को सन् १९१९ ई० के ऐक्ट से मिला। प्रेसीडेण्ट और डिप्टी-प्रेसीडेण्ट को धारा-सभा का सदस्य होना आवश्यक है। ये लोग धारा-सभा के बहुमत और गवर्नर-जनरल की स्वीकृति से अपने-अपने पदों से अलग किये जा सकते हैं।

राज्य-परिषद् के मतदाताओं की योग्यता:—राज्य-परिषद् के मतदाताओं की योग्यता बहुत अधिक रक्खी गई है। यह योग्यता भिन्न-भिन्न प्रान्तों में भिन्न-भिन्न है। बड़े-बड़े सेठ साहुकार, जमींदार, विद्वान और पदाधिकारी ही इस सभा के मताधिकारी बन सकते हैं। मध्यप्रदेश में इस सभा के मतदाताओं की योग्यता इस प्रकार है। जो २०,०००) की आय पर आय-कर देता हो या जो ३,०००) रु० सालाना मालगुजारी सरकार को देता हो।

बम्बई हाते में मतदाताओं की योग्यता इस प्रकार है:—

(१) जो ३०,०००) रु० की वार्षिक आय पर आयकर देता है।

(२) जो २,०००) रु० सालाना सरकार को मालगुजारी देते हैं।

(३) जो सरदार या तालुकेदार या अमलदार हैं और जिनको सरकार इस रूप में स्वीकार करती है।

(४) उन लोगों को जो एकबार म्युनिसिपल कमेटी के सभापति या उप-सभापति रह चुके हैं।

(५) जो लोकलबोर्ड के सभापति या उप-सभापति रह चुके हैं।

(६) जो विश्व-विद्यालय की सीनेट के सदस्य रह चुके हैं।

(७) जो भारतवर्ष के किसी धारा-सभा के सदस्य रह चुके हों।

(८) जिन लोगों को सरकार से महामहोपाध्याय या शमसुल-उल्लेमा की उपाधि मिली हो।

इस तरह प्रान्तों की विभिन्न परिस्थितियों के कारण मतदाताओं की योग्यता में भिन्नता पाई जाती है। सन् १९२५ ई० के राज्य-परिषद् के चुनाव के समय कुल मतदाताओं की संख्या ३२,१२६ थी, जिसमें केवल बर्मा से १५,५५५ मतदाता थे। यदि बर्मा के मतदाताओं को इसमें से निकाल दिया जाय तो ब्रिटिश-भारत के कुल मतदाताओं की संख्या केवल १७,००० रह जाती है।

भारतीय धारा-सभा के मतदाताओं की योग्यता:—
भारतीय-धारा-सभा के मत दाताओं की योग्यता भी भिन्न भिन्न प्रान्तों में भिन्न भिन्न है। हिन्दुस्तान में निर्वाचन संघ दो प्रकार के हैं:—

(१) साधारण (General) और (२) विशेष (Special)।

साधारण निर्वाचक संघ के मतदाताओं में निम्नलिखित बातें अवश्य पाई जानी चाहियें:—

(१) मर्द जिनकी उम्र २१ वर्ष से कम न हो।

(२) ब्रिटिश प्रजा और स्वस्थ मस्तिष्क का हो अर्थात् पागल न हो।

(३) निर्धारित अपराधों में सजा न पाये हो।

(४) अदालत द्वारा दिवालिया न ठहराया गया हो।

इसके अलावा निम्नलिखित योग्यता का होना आवश्यक है:—

(१) मध्यप्रान्त में जो ६०) से लेकर १५०) तक सरकार को मालगुजारी देता हो।

(२) जो १८०) से २४०) तक सालाना मकान का किराया देता हो। कुछ जिलों में १८०) और कुछ जिलों में इससे ऊपर।

सदस्य बनने वाले को ५००) जमानत के रूप में जमा करना पड़ता है और चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या का ⅛ से कम मत मिलने पर उसकी जमानत जप्त हो जाती है।

भारतीय-धारा-सभाओं के मेम्बरों के अधिकार क्षेत्र:— भारतीय और प्रान्तीय धारा-सभा के सदस्यों को कुछ सुविधाएँ दी गई हैं। वे कुछ इस प्रकार हैं:—

(१) व्याख्यान देने की स्वतंत्रता। धारा-सभा में सदस्यों को अपने विचारों को स्वतंत्रता पूर्वक प्रकट करने का अधिकार है और वहाँ पर दिये हुए व्याख्यानों के लिये उन पर कोई कानूनी कार्रवाई किसी अदालत में नहीं की जा सकती। किन्तु अश्लील या अपमान-जनक शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। यदि करें तो प्रेसीडेण्ट उनको रोक सकता है।

(२) सार्वजनिक विषयों पर प्रश्न पूछने का अधिकार। प्रश्न प्रार्थना के रूप में होना चाहिये। भारत-

सरकार के वैदेशिक सम्बन्धों, ब्रिटिश-सरकार से सम्बन्ध रखने वाले विषय, उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर रक्खे गये हैं, उन पर प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। ऐसा कोई प्रश्न जिससे सम्राट, गवर्नर-जनरल या गवर्नर के आचरण पर कटाक्ष किया गया हो, पूछा नहीं जा सकता।

(३) कानून बनाने के लिये बिल (मसविदा) उपस्थित कर सकते हैं। और पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। उनको वेतन नहीं मिलता; किन्तु आने जाने का खर्च और जब तक सभा के लिये वहां रहते हैं उन्हें भत्ता मिलता है।

भारतीय-धारा-सभा के अधिकार क्षेत्रः—भारतीय-धारा-सभा समस्त ब्रिटिश-भारत के लोगों, सब अदालतों और स्थानों के लिये कानून बना सकती है। भारतीय प्रजा चाहे वह हिन्दुस्तान के किसी भाग में क्यों न रहती हो उसके लिये भी कानून बनाती है। सारी भारतीय प्रजा जो ब्रिटिश-भारत में या ब्रिटिश-भारत के बाहर रहती हो, सब सरकारी नौकर, सिपाही, हवाई जहाज के कर्मचारी और रायल इण्डियन मेरीन के सिपाहियों के लिये भी यही कानून बनाती है। देश में प्रचलित किसी भी कानून को यह रद्द कर सकती है। किन्तु वह ब्रिटिश पार्लिमेन्ट द्वारा बनाए हुए कानूनों के विरुद्ध कोई कानून नहीं बना सकती। भारतीय धारा-सभा प्रान्तीय विषयों पर कानून नहीं बना सकती। गवर्नर-जनरल किसी भी मसविदे को पेश होने से रोक सकता है यदि उससे देश की शान्ति में खलल पड़ने की कोई सम्भावना

(जार्ज पण्ट)

प्रतीत होती हो। दोनों सभाओं द्वारा पास हो जाने पर भी यदि गवर्नर-जनरल चाहे तो उस पर अपनी स्वीकृति न दे। वह किसी मसविदे को सम्राट की स्वीकृति के लिये रोक सकता है। सम्राट किसी भी कानून को रद्द कर सकता है।

धारा-सभा द्वारा अस्वीकृत किये हुए मसविदे को गवर्नर-जनरल अपने तसदीक करने के अधिकार (Power of certification) द्वारा पास कर सकता है। अस्थायी (Ordinances) को धारा-सभा रद्द नहीं कर सकती।

निम्न लिखित विषयों पर कानून बनाने के पूर्व गवर्नर-जनरल की स्वीकृति आवश्यक है:—

(१) राष्ट्रीय ऋण, मालगुजारी, या सरकारी आय पर नया खर्च लादने वाले विषयों पर।

(२) ब्रिटिश सरकार की प्रजा के धर्म से सम्बन्ध रखने वाले विषय।

(३) सेना से सम्बन्ध रखने वाले विषय।

(४) ब्रिटिश सरकार की किसी विदेशी शक्ति या देशी राज्य से सम्बन्ध रखने वाले विषयों पर।

(५) प्रान्तीय-धारा-सभा द्वारा बनाये गये किसी कानून को रद्द करने के लिये या उसमें रद्दो-बदल कराने के लिये।

कानून किस प्रकार बनता है इस पर प्रथम भाग में प्रकाश डाला गया है। मसविदे कितने प्रकार के होते हैं और धारा-सभा का कार्यक्रम किस प्रकार चलता है इस पर यहां कुछ लिखा जा रहा है।

मसविदे तीन प्रकार के होते हैं:— (१) सार्वजनिक मसविदा (Public Bills). (२) व्यक्तिगत मसविदा (Private Bill), और (३) व्यैयक्तिक सदस्यों के मसविदे (A Private Members Bill).,

(१) सार्वजनिक मसविदा उसे कहते हैं जो सरकार या मंत्रियों द्वारा पेश किया जाता है। अधिकांश मसविदे जो हमारी धारा-सभाओं में पास होते हैं वे इसी श्रेणी में आते हैं।

(२) व्यक्तिगत मसविदे उसे कहते हैं जो किसी खास व्यक्ति, कम्पनी या किसी खास स्थान विशेष के लिये पेश किये जाते हैं। ब्रिटिश पार्लिमेन्ट में इस प्रकार के बिल प्रत्येक सेशन में पेश होते हैं।

(३) व्यैयक्तिक सदस्यों के मसविदे वे मसविदे हैं जो गैर सरकारी सदस्यों द्वारा पेश होते हैं। इस प्रकार के बिल तभी पास होते हैं जब धारा-सभा के अधिकांश सदस्य इसके पक्ष में हों।

भारतीय धारा-सभा का कार्यक्रम:—धारा-सभा के स्थान और समय गवर्नर-जनरल द्वारा निश्चित किया जाता है। धारा-सभा का सेक्रेटरी प्रत्येक सदस्य के पास सभा में उपस्थित होने के लिये सम्मन भेजता है। नये निर्वाचन के प्रथम बैठक में सदस्यों को राज्यभक्ति की शपथ लेनी पड़ती है। उसके बाद सभापति और उप-सभापति का चुनाव होता है। इनका चुनाव गवर्नर-जनरल द्वारा भी स्वीकृत होना चाहिये। प्रत्येक सेशन के आरम्भ में प्रेसीडेण्ट सदस्यों में से ४ सदस्यों को सभापति के लिये चुन लेता है जो सभापति और उपसभापति की गैर हाजिरी में सभापति का आसन ग्रहण करते हैं।

कार्य के लिये दिनों का बटवारा:—गैर सरकारी कार्यों के लिये गवर्नर-जनरल कुछ दिन निर्धारित कर देता है। बाकी के दिनों में केवल सरकारी कार्य होते है। प्रत्येक सदस्य के पास विषय सूची की एक प्रति सभा के आरम्भ में भेज दी जाती है।

कोरम:—धारा-सभा के लिये २५ मेम्बर और राज्य परिषद के लिये १५ मेम्बरों का होना आवश्यक है अन्यथा उस दिन सभा की बैठक नहीं होती।

प्रश्न:—सभा के प्रथम घंटे में प्रश्न पूछे जाते हैं। साधारणत: प्रत्येक प्रश्न के लिये कम से कम पूरे दस दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है। प्रेसीडेण्ट किसी भी प्रश्न को पूछने से रोक सकता है यदि सदस्य अपने अधिकार

का अनुचित प्रयोग करता है। कोई भी सदस्य प्रश्न के उत्तर मिल जाने पर पूरक प्रश्न पूछ सकता है। प्रेसीडेण्ट पूरक प्रश्नों को भी रोक सकता है।

प्रस्ताव:—प्रस्ताव उपस्थित करने के लिये प्रत्येक सदस्य को पूरे १५ दिन पूर्व सूचना देना चाहिये। सार्वजनिक महत्व के प्रश्नों पर ही प्रस्ताव पेश किये जाते हैं। गवर्नर-जनरल चाहें तो पेश करने से रोक सकते हैं। गैर सरकारी प्रस्ताव उन्हीं दिनों में पेश किये जा सकते हैं जो दिन गैर सरकारी कार्यों के लिये निर्धारित किये गये हैं। कौन प्रस्ताव कब पेश होगा यह वैलट द्वारा निश्चित किया जाता है।

स्थगित प्रस्ताव:—इस प्रकार का प्रस्ताव प्रश्नोत्तर के बाद ही पेश करना चाहिये। यदि ३० सदस्य से अधिक सदस्य इसके पक्ष में हुए तो प्रेसीडेण्ट उन्हें सूचित करता है कि उस विषय पर शाम के चार बजे विचार किया जायगा। वाद-विवाद ६ बजे तक समाप्त हो जाना चाहिये और इसके बाद उस पर कोई दूसरा प्रश्न नहीं पूछा जा सकता।

कानून बनाना:— कानून बनाने के लिये साधारणत: एक माह की सूचना देनी चाहिये। मसविदे को पांच स्तरों में से गुजरना पड़ता है जैसा कि प्रथम भाग में लिखा जा चुका है।

बजट:—बजट को निम्न-लिखित परिस्थितियों में से गुजरना पड़ता है:—

(१) वजट धारा-सभा में गवर्नर-जनरल द्वारा निश्चित दिन को, अर्थ-सदस्य द्वारा पेश किया जाता है। वजट की एक कापी प्रत्येक सदस्य के पास वजट पर साधारण वहस के लिये निश्चित दिन से कम से कम ७ दिन पूर्व भेज दी जाती है। जिस दिन वजट पेश किया जाता है उस दिन उस पर वहस नहीं किया जाता।

(२) वजट पेश हो चुकने के वाद धारा-सभा को उस पर वहस करने का अधिकार रहता है। इसके लिये गवर्नर-जनरल कुछ दिन निश्चित करते हैं और अर्थ-सदस्य को अन्त में सब सदस्यों के आक्षेपों का उत्तर देने का अधिकार रहता है।

(३) साधारण वहस के वाद माँग की रकम पर मत लिया जाता है। इसके लिये १५ दिन दिये जाते हैं। एक माँग (Demand for grant) पर दो दिन से अधिक वहस नहीं किया जा सकता। मांग की रकम पर मत देने के लिये निश्चित दिनों के आखिरी दिन के ५ वजे शाम को प्रेसीडेण्ट सव वहस वन्द कर देता है और वाकी की सारी रकमों को धारा-सभा के सदस्यों के सामने मत के लिये पेश करता है। कुछ विषयों पर मत लिया जाता है और कुछ पर मत नहीं लिया जाता। धारा-सभा माँग की रकम में कमी या विल्कुल ही नामंजूर कर सकती है किन्तु माँग की रकम को वढ़ा नहीं सकती। गवर्नर-जनरल और गवर्नर धारा-सभा-द्वारा अस्वीकृत खर्च को मंजूर कर सकती हैं।

सन् १९१९ ई० का सुधार ऐक्ट और प्रान्तीय धारा-सभाएँ:—इस ऐक्ट के अनुसार प्रान्तीय धारा-सभा के संगठन और कार्यों में कई महत्व पूर्ण परिवर्तन हुए जैसे:—

(नागपुर असेम्बली भवन)

(१) सदस्यों की संख्या पहिले से अधिक कर दी गई।

(२) प्रथम के चार वर्ष के बाद से प्रसीडेण्ट धारा-सभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है और गवर्नर उसकी नियुक्ति में अपनी स्वीकृति देता है।

(१) वजट धारा-सभा में गवर्नर-जनरल द्वारा निश्चित दिन को, अर्थ-सदस्य द्वारा पेश किया जाता है। वजट की एक कापी प्रत्येक सदस्य के पास वजट पर साधारण वहस के लिये निश्चित दिन से कम से कम ७ दिन पूर्व भेज दी जाती है। जिस दिन वजट पेश किया जाता है उस दिन उस पर वहस नहीं किया जाता।

(२) वजट पेश हो चुकने के वाद धारा-सभा को उस पर वहस करने का अधिकार रहता है। इसके लिये गवर्नर-जनरल कुछ दिन निश्चित करते हैं और अर्थ-सदस्य को अन्त में सब सदस्यों के आक्षेपों का उत्तर देने का अधिकार रहता है।

(३) साधारण वहस के वाद माँग की रकम पर मत लिया जाता है। इसके लिये १५ दिन दिये जाते हैं। एक माँग (Demand for grant) पर दो दिन से अधिक वहस नहीं किया जा सकता। मांग की रकम पर मत देने के लिये निश्चित दिनों के आखिरी दिन के ५ वजे शाम को प्रेसीडेण्ट सव वहस वन्द कर देता है और वाकी की सारी रकमों को धारा-सभा के सदस्यों के सामने मत के लिये पेश करता है। कुछ विषयों पर मत लिया जाता है और कुछ पर मत नहीं लिया जाता। धारा-सभा माँग की रकम में कमी या विल्कुल ही ना-मंजूर कर सकती है किन्तु माँग की रकम को वढ़ा नहीं सकती। गवर्नर-जनरल और गवर्नर धारा-सभा-द्वारा अस्वीकृत खर्च को मंजूर कर सकती हैं।

सन् १९१६ ई० का सुधार ऐक्ट और प्रान्तीय धारा-सभाएँ:—इस ऐक्ट के अनुसार प्रान्तीय धारा-सभा के संगठन और कार्यों में कई महत्व पूर्ण परिवर्तन हुए जैसे:—

(नागपुर असेम्बली भवन)

(१) सदस्यों की संख्या पहिले से अधिक कर दी गई।

(२) प्रथम के चार वर्ष के बाद से प्रसीडेण्ट धारा-सभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है और गवर्नर उसकी नियुक्ति में अपनी स्वीकृति देता है।

(३) प्रांतों में उत्तर दायित्व-पूर्ण-शासन का कुछ अंशों में सूत्रपात्र हुआ।

(४) ग़ैर सरकारी सदस्यों का बहुमत रक्खा गया। कम से कम ७० फी सदी सदस्य चुने हुये और २० फी सदी से अधिक सदस्य नामज़द नहीं किये जा सकते।

(५) निर्वाचित प्रत्यक्ष रूप से होने लगा और मतदाताओं की संख्या बढ़ा दी गई। मतदाताओं की योग्यता पहिले से कम कर दी गई। भिन्न-भिन्न प्रान्तों में मतदाताओं की योग्यता भिन्न-भिन्न ठहराई गई। मध्यप्रान्त में योग्यता इस प्रकार रक्खी गई (अ) वे लोग जो ऐसे मकानों में रहते हैं या उनके मालिक हैं जिनका किराया ३६) रु० सालाना हो। (ब) जो २००) रु० सालाना हैसियत के मकान पर म्युनिसिपल टैक्स देते हैं। यह योग्यता शहर में रहने वालों में होनी चाहिये। देहात के लोगों में निम्नलिखित योग्यता होनी चाहिये:—(अ) वे लोग जो सरकार को कम से कम १००) रु० मालगुजारी देते हों चाहे वे लम्बरदार, जागीरदार, ठेकेदार या किसी पट्टी के हिस्सेदार हों। वे लोग जिनके पास मालिक-मकबूजा जमीन हो जिसपर ३०) रु० से ५०) रु० तक मालगुजारी देते हों। इसके अलावा कुछ और लोगों को मत देने का अधिकार हैं जैसे:—(१) जो सात साल पहिले बी. ए. परीक्षा पास किये हों। (२) भारतीय सेना की नौकरी छोड़े हुए और फौजी पेन्शन पाने वाले कर्मचारी भी मत दे सकते हैं।

(६) प्रान्तीय-धारा-सभा प्रस्ताव पास करके अपने प्रान्त की स्त्रियों को भी मत देने का अधिकार दे सकती है। इसके पूर्व स्त्रियों को मत देने का अधिकार न था।

(७) साम्प्रदायिक निर्वाचन पूर्ववत बना रहा और पंजाब में सिक्खों, मद्रास में नान-ब्राह्मण और बम्बई में मरहठों को अलग से निर्वाचन अधिकार दिये गये। भिन्न-भिन्न धर्मों और हितों की रक्षा के लिये अलग-अलग निर्वाचन संघों से सदस्य चुने जाने लगे। जैसे हिन्दुस्तानी ईसाई, ऍंग्लो-इण्डियन, यूरोपियन, जमीन्दार और विश्व-विद्यालयों के लिये अलग निर्वाचन संघ स्थापित हुए।

(८) धारा-सभा के अधिकारों में भी वृद्धि हुई। प्रान्त की भलाई के लिये और शान्ति स्थापित करने के लिये निर्धारित सीमा के अन्दर कानून बनाने का अधिकार मिला। कुछ विषयों पर जैसे:—(सार्वजनिक ऋण, सैनिक अनुशासन, सरकार की विदेशी राज्यों और देशी रियासतों के साथ सम्बन्ध रखने वाले विषय, धर्म, केन्द्रीय विषयां इत्यादि) गवर्नर-जनरल की पूर्व स्वीकृति बिना कानून नहीं बना सकती हैं। प्रान्तीय-धारा--सभा द्वारा बनाये हुए कानूनों के लिये गवर्नर, गवर्नर-जनरल दोनों की स्वीकृति (Assent) आवश्यक है।

प्रान्तीय बजट दो भागों में विभाजित किया गया। कुछ मदों पर सभा की राय ली जाती और कुछ पर नहीं। ७५ फी सदी खर्च पर धारा-सभा का कुछ नियंत्रण नहीं है और बाकी २५ फी सदी खर्च पर धारासभा का मत लिया जाता है।

किस प्रान्त में कुल कितने सदस्य हैं और कुल निर्वाचन क्षेत्र कितने हैं इसके लिये आगे दिये हुये ❀ नक्शे को देखिये।

* सन् १९१९ ई० के ऐक्ट के अनुसार प्रान्तीय सभाओं के सदस्यों की कुल संख्या ।

प्रान्त	निर्वाचित											नामज़द			कुल योग
	ग़ैर मुसलमान	मुसलमान	यूरोपियन	एंग्लो-इण्डियन	ज़मींदार	विश्व-विद्यालय	खान तथा बर्गों	उद्योग-धंधे	सिक्ख	ईसाई	योग	सरकारी	ग़ैर सरकारी	योग	
१. बम्बई	४६	२७	२	×	३	१	×	७	×	×	८६	२०	८	२८	११४
२. मद्रास	६५	१३	१	१	६	१	१	५	×	५	९८	१९	१०	२९	१२७
३. बंगाल	४६	३९	५	२	५	१	×	१५	×	×	११३	१८	८	२६	१३९
४. आसाम	२१	१२	×	×	×	×	५	१	×	×	३९	७	७	१४	५३
५. बिहार उड़ीसा	४८	२४	×	×	×	१	३	×	×	×	७६	१८	९	२७	१०३
६. मध्यप्रा. बरार	४१	७	×	×	३	१	१	२	×	×	५५	८	८	१६	७१
७. पंजाब	२०	३१	×	×	४	१	×	३	१२	×	७१	१४	८	२२	९३
८. संयुक्तप्रान्त	६०	२९	१	×	६	१	×	३	×	×	१००	१६	७	२३	१२३

नोट—बर्मा में १०१। इन सभाओं में २० फी सदी से अधिक सरकारी कर्मचारी नहीं हो सकते। कम से कम ७० फी सदी सदस्य निर्वाचित होना चाहिये। इसके अतिरिक्त प्रान्तीय गवर्नर को दो सदस्य तक नामज़द करने का अधिकार दिया गया है। सिर्फ आसाम के गवर्नर १ मेम्बर नामज़द कर सकते हैं। प्रत्येक धारा-सभा में गवर्नर की कार्य-कारिणी-सभा के सदस्य, कुछ निर्वाचित सदस्य और कुछ सरकार द्वारा नामज़द किये सदस्य होते हैं। गवर्नर धारा-सभा का सदस्य नहीं होता, किन्तु उसको अधिकार है कि धारा-सभा को बुलाकर उनके सम्मुख आवश्यक विषयों पर भाषण दे सकता है। अब धारा-सभाओं का सभापति प्रथम चार वर्ष के बाद से मेम्बर द्वारा चुना जायगा। धारा-सभा की आयु ३ वर्ष है। किन्तु गवर्नर चाहे तो उसके पहिले ही भंग कर सकता है या उसकी आयु १ साल के लिये बढ़ा सकता है। स्त्रियां सदस्य निर्वाचित नहीं की जा सकती। किन्तु प्रान्तीय-धारा-सभा प्रस्ताव पास करके उनको सदस्य बनने के लिये अधिकार दे सकती है। मध्यप्रान्त में कुल ७० सदस्य हैं। इनमें ५४ सदस्य निर्वाचित और १६ नामज़द हैं। १६ में ८ सरकारी और ८ ग़ैर सरकारी हैं।

सन् १९३५ ई० का गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया ऐक्टः—इस ऐक्ट के अनुसार भारत का भावी शासन-विधान फेडरल (Federal) या सघ-शासन के समान होगा। इसमें ब्रिटिश भारत और देशी रियासतें, भी सम्मिलित होंगी। इसमें सम्राट का प्रतिनिधि गवर्नर-जनरल रहेगा और कानून बनाने के लिये दो सभाएँ होंगी। (१) संघीय-राज्य-परिषद

(The Federal Council of State) और (२) संघीय व्यवस्थापिका सभा ((The Federal Assembly) ।

(१) **संघीय राज्य परिषद्**(The Federal Council of State):—इसमें कुल सदस्यों की संख्या २६० होगी, जिसमें १५६ सदस्य ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि होंगे और १०४ सदस्य-संघ में सम्मिलित होने वाली रियासतों के प्रतिनिधि राजाओं के द्वारा चुने जायँगे । यह परिषद् स्थायी होगी । इसके सदस्य ९ वर्ष के लिये चुने जाते हैं और ⅓ सदस्य प्रति तीसरे वर्ष अलग होते जायँगे । कुछ सदस्य केवल ३ वर्ष के लिये, कुछ ६ वर्ष के लिये और कुछ सदस्य ९ वर्ष के लिये प्रथम निर्वाचन के समय चुने जायँगे । इसके बाद प्रति तीसरे वर्ष सदस्य ९ वर्ष के लिये चुने जायँगे ।

१५६ सीटें जो ब्रिटिश-भारत के गवर्नर, चीफ कमिश्नर और भिन्न भिन्न साम्प्रदायिक संघों द्वारा चुने जायँगे उनमें १५० सीटों का बटवारा इस प्रकार है:—७५ साधारण, ४ सिक्ख, ४९ मुसलमानों के लिये, ६ स्त्रियों के लिये, ७ यूरोपियनों के लिये, २ भारतीय ईसाई के लिये, १ एँग्लो-इण्डियन के लिये और ६ सदस्य हीन जातियों के लिये । ६ सदस्य गवर्नर-जनरल द्वारा नामजद किये जायँगे हीन जाति, स्त्रियों और अल्प-जाति के हितों की रक्षा के लिये । इस तरह १५६ जगहों में से १५० जगहें साम्प्रदायिक आधार पर बटी हैं । किस प्रान्त से कितने सदस्य भेजे जावेंगे इसके लिये दिये हुये ® नक्शे को देखना चाहिये ।

संघीय-राज्य-परिषद् के सदस्यों को सदस्यों में से एक प्रेसीडेण्ट और एक डिप्टी प्रेसीडेण्ट चुनना पड़ता है। इनका वेतन संघीय धारा-सभा द्वारा निश्चित होता है और जब तक धारा-सभा द्वारा स्वीकृत नहीं होता तब तक गवर्नर-जनरल द्वारा निश्चित किया हुआ वेतन दिया जायगा। इनको राज्य-परिषद् का सदस्य होना आवश्यक है। वे अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। परिषद् के अधिकांश सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पास करने पर ये अपने पद से अलग किये जा सकते हैं, किन्तु इसके लिये पूरे १४ दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है। फेडरल-असेम्बली के प्रेसीडेण्ट को "स्पीकर" और डिप्टीप्रेसीडेण्ट को "डिप्टी स्पीकर कहते" हैं और बाकी की सारी बातें दोनों के लिये समान रूप से लागू होती हैं।

प्रेसीडेण्ट या स्पीकर शुरू में अपना मत नहीं देता किन्तु जब किसी विषय पर दोनों पक्ष के मत बराबर होते हैं तब वह अपना "अतिरिक्त मत' (कास्टिंग वोट) देता है। फेडरल असेम्बली के बर्खास्त होजाने पर स्पीकर नये निर्वाचन के बादवाली असेम्बली की प्रथम बैठक के थोड़े ही समय पूर्व, अपने पद से इस्तीफा देगा।

ब्रिटिश भारत के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के अनुसार होगा। ऐंग्लो-इण्डियन, यूरोपियन, भारतीय ईसाई के सदस्य प्रान्तीय लेजिस्लेटिव असेम्बली और लेजिस्लेटिव कौंसिल में भेजे गये उनके प्रतिनिधियों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा चुने जावेंगे।

देशी रियासतों के प्रतिनिधियों की संख्या निश्चित करने में उनके पदों, रियासतों की आबादी तथा तोपों की

सलामी की संख्या पर विचार किया गया है। हैदराबाद के प्रतिनिधि ५, मैसूर, काश्मीर, ग्वालियर, बरौदा, तथा दूसरी २१ तोपों की सलामी वाली रियासतों को ३ प्रतिनिधि दिये गये हैं। छोटी छोटी रियासतों को कई समूहों में बांट दिये गये हैं और प्रत्येक राज्य को पारी पारी से एक प्रतिनिधि भेजने का अवसर मिलेगा। इन्दौर को २, भोपाल को २, रीवा को २, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर और बीकानेर को २ प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया गया है। राज्यों के प्रतिनिधि राजाओं द्वारा चुने जावेंगे और वे परिषद् की आयु के पूर्व भी यदि राजा चाहें तो वापस बुलाये जा सकते हैं।

(वर्तमान ग्वालियर नरेश)

(आपने १४ जून १९३९ को भाषण, प्रकाशन व धार्मिक स्वाधीनता, प्रजा सभा, सामन्त सभा की स्थापना, मताधिकार कमेटी व प्रजाकार्यालय स्थापित करने की घोषणा की है)

नरेन्द्र-मंडल की स्थाई समिति व राज्यों के मंत्रियों की एक सभा (१२ जून १६३६ ई०) बम्बई में हुई। इसमें नरेन्द्र-मण्डल के चाँसलर, हिज़ हाइनेस जाम साहब, महराजा बीकानेर तथा १२ अन्य राजा सम्मिलित थे। संशोधित प्रवेश-पत्र पर विचार हुआ और नरेन्द्रों ने फेडरेशन में सम्मिलित न होना निश्चिय किया है।

सन् १६३५ ई० के ऐक्ट के अनुसार राज्य परिषद और भारतीय हाऊस आफ असेम्बली के मेम्बरों की संख्या।

नंबर	प्रान्त या सम्प्रदाय	कुल जगह संघीय राज्य-परिषद में	कुल जगह संघीय असेम्बली में
१	मद्रास	२०	३७
२	बम्बई	१६	३०
३	बंगाल	२०	३७
४	संयुक्त-प्रान्त	२०	३७
५	पंजाब	१६	३०
६	बिहार	१६	३०
७	मध्यप्रान्त और बरार	८	१५
८	आसाम	५	१०
९	पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त	५	५
१०	उड़ीसा	५	५
११	सिन्ध	५	५
१२	बिलोचिस्तान	१	१
१३	देहली	१	२
१४	अजमेर-मेरवाड़ा	१	१
१५	कुर्ग	१	१
१६	एँग्लो इंडियन	१	×
१७	यूरोपियन	७	×
१८	भारतीय ईसाई	२	×
१९	गवर्नर-जनरल के खुद की मर्जी के मुताबिक नामज़द किये हुए	६	×
२०	किसी प्रान्त विशेष से नहीं।	०	४

संघीय-राज्य-परिषद् के मतदाताओं की योग्यता बहुत बड़ी रक्खी गई है। यह योग्यता अधिक सम्पत्ति और आय-कर पर अवलम्बित है। केवल १० लाख मतदाताओं को ही इसके लिये मत देने का अधिकार मिलेगा ऐसी व्यवस्था की गई है। इससे योग्यता का अन्दाजा लगाया जा सकता है।

दोनों सभाओं के सदस्यों को वेतन और भत्ता भी मिलेगा। वेतन और भत्ता धारा-सभा के बनाये हुए ऐक्ट के अनुसार मिलेगी। सदस्यों के अधिकार जो संघ-सरकार कायम होने के पूर्व थे वे ही अब भी रहेंगे। यदि कोई सदस्य ६० दिन तक बिना परिषद् की मंजूरी के गैरहाजिर रहे तो उसका स्थान खाली होगया ऐसा समझा जाता है। कार्य करने के लिये कुल सदस्यों के $\frac{१}{६}$ सदस्यों का होना आवश्यक है नहीं तो परिषद् का काम उस दिन के लिये स्थगित कर दिया जाता है। राज्य-परिषद् के सदस्यों की आयु ३० वर्ष की होनी चाहिये। धारा-सभा का सदस्य न होने पर यदि कोई व्यक्ति धारा-सभा में मत दे तो उसे ५००) प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना देना पड़ेगा। यदि प्रान्तीय धारा-सभा का सदस्य हुआ तो जुर्माने की रकम प्रान्तीय-सरकार के पास और यदि केन्द्रीय धारा का हुआ तो जुर्माना संघ-सरकार के पास जाता है।

(२) संघीय व्यवस्थापिका सभा:—(The Federal Assembly) इसमें कुल सदस्यों की संख्या ३७५ है। २५० सदस्य ब्रिटिश-भारत के प्रान्तों के प्रतिनिधि और १२५ सदस्य तक देशी रियासतों के प्रतिनिधि होंगे। ब्रिटिश-भारत की कुल आबादी से देशी रियासतों की आबादी $\frac{१}{४}$ से कम

सन् १९३५ ई० के ऐक्ट के अनुसार फेडरल असेम्बली (The Federal Assembly) के ब्रिटिश भारत प्रतिनिधियों की जगहें ।

प्रान्त	कुल जगह	साधारण	हरिजन	सिख	मुसलमान	ऐंग्लो इंडियन	यूरोपियन	भारतीय ईसाई	व्यापार उद्योग	जमींदार	मजदूर	स्त्रियां
मद्रास	३७	१९	४	×	८	१	१	२	२	१	१	२
बम्बई	३०	१३	२	×	६	१	१	१	३	१	२	२
बंगाल	३७	१०	३	×	१७	×	१	१	३	१	२	१
संयुक्त-प्रान्त	२७	१९	३	×	१२	१	१	१	×	१	१	१
पंजाब	३०	६	१	६	१४	१	१	१	×	१	×	१
बिहार	३०	१६	२	×	९	×	१	१	×	१	१	१
मध्यप्रान्त और बरार	१५	९	२	×	३	×	×	×	×	१	१	१
आसाम	१०	४	१	×	३	×	१	१	×	×	१	×
पश्चिमोत्तर सीमा०	५	१	×	×	४	×	×	×	×	×	×	×
सिन्ध	५	१	×	×	३	×	×	१	×	×	×	×
उड़ीसा	५	४	×	×	१	×	×	×	×	×	×	×
दिल्ली	२	१	×	×	१	×	×	×	×	×	×	×
अजमेर-मेरवाड़ा	१	१	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
कुर्ग	१	१	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
बिलोचिस्तान	१	×	×	×	१	×	×	×	×	×	×	×
गैर-प्रान्तीय	४	×	×	×	×	×	×	×	३	×	१	×

होने पर भी उनके प्रतिनिधियों की संख्या ⅓ है। इसकी आयु ५ वर्ष की है। ब्रिटिश-भारत के प्रतिनिधि अप्रत्यक्ष रूप से चुने जायँगे अर्थात् प्रान्तों की लेजिस्लेटिव असेम्बलियों के सदस्यों द्वारा चुने जायँगे। इसमें नामज़द मेम्बर नहीं होंगे।

ब्रिटिश भारत की २५० जगहें इस प्रकार बटी हैं:—
साधारण १२५, जिसमें १९ सदस्य हीन जाति के होंगे, सिक्खों के लिये ६, मुसलमानों के लिये ८२ एँग्लो-इण्डियन के लिये ४, यूरोपियनों के लिये ८, भारतीय ईसाई के लिये ८, वाणिज्य व्यवसाय के लिये ११, जमीन्दारों के लिये ७, श्रम-जीवियों के लिये १०, औरतों के लिये ९ प्रतिनिधि होंगे।

प्रान्तीय लेजिस्लेटिव असेम्बली के हिन्दू, मुसलमान और सिक्ख सदस्य अपने अपने सम्प्रदाय के सदस्यों को चुनेंगे। जो जिस जाति का सदस्य होगा वह उस जाति के सदस्य को चुनेगा। हीन जाति के प्रत्येक स्थान के लिये ४ सदस्य उस जाति वाले सदस्य चुनेंगे और फिर उन चारों में से एक सदस्य साधारण निर्वाचन संघ के सदस्यों द्वारा चुना जावेगा। ९ स्त्रियों में कम से कम दो मुसलमान और एक भारतीय ईसाई होना चाहिये। प्रान्तों की लेजिस्लेटिव असेम्बली की स्त्री-सदस्याएँ ही मत देंगी।

समस्त ब्रिटिश-भारत की लेजिस्लेटिव असेम्बलियों के एँग्लो-इण्डियन, यूरोपियन और भारतीय ईसाई सदस्य अपने अपने सम्प्रदाय के सदस्यों को अलग २ चुनेंगे।

देशी रियासतों के प्रतिनिधियों की संख्या निश्चित करने में उनके पदों, रियासतों की जन-संख्या तथा तोपों की

सलामी की संख्या पर विचार किया गया है। हैदराबाद से १६, मैसूर से ७, काशमीर ४, ग्वालियर ४, बरौदा ३ इन्दौर २, भोपाल १, रीवां २, जयपुर ३, जोधपुर २, बीकानेर १ इत्यादि। छोटी छोटी रियासतें कई समूहों में बाँट दी गई हैं। समूह के राजाओं द्वारा वह नियुक्त किया जायगा।

संघीय-व्यवस्थापिका सभा के मतदाताओं की योग्यता का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि उसके सदस्य प्रान्तीय लेजिस्लेटिव असेम्बलियों के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। सभा के कार्य सम्पादन के लिये कुल सदस्यों का $\frac{1}{6}$ सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है। २५ वर्ष से कम की उम्र वाले फेडरल असेम्बली के सदस्य नहीं हो सकते। एक सदस्य दो सभाओं का सदस्य नहीं हो सकता।

नये विधान के अनुसार प्रान्तीय-धारा-सभाओं, गवर्नर और गवर्नर-जनरल के कानूनी अधिकारों का वर्णन इसी भाग में किया जाचुका है। सदस्यों की योग्यताएँ और अधिकार प्रान्तीय धारा-सभाओं के सदस्यों के समान ही हैं।

संघ-सरकार के कानून बनाने के अधिकार:— **नये विधान के अनुसार शासन सम्बन्धी विषय तीन भागों में बांटे गये हैं:—**(१) कुछ विषय ऐसे हैं जिन पर केवल संघ-सरकार ही कानून बना सकती है, (२) कुछ विषय ऐसे हैं जिन पर संघ-सरकार और प्रान्तीय-सरकार दोनों में से एक भी कानून बना सकती है, और (३) कुछ विषय ऐसे हैं जिन पर प्रान्तीय-सरकार ही कानून बना सकती है। तीनों प्रकार के विषयों की सूची पहले दीगई है।

संघ-सरकार प्रान्तीय-सरकारों के कानून बनाने के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं कर सकती और प्रान्तीय-सरकार संघ-सरकार के कानून बनाने के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। आकस्मिक संकट (Emergency) उत्पन्न होने पर गवर्नर-जनरल घोषणा द्वारा संघीय-धारा-सभाओं को प्रान्तीय विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दे सकता है। दो या दो से अधिक प्रान्तों के प्रार्थना पर संघीय-धारा-सभा प्रान्तीय विषयों पर भी कानून बना सकती है।

संयुक्त विषयों पर प्रान्तीय-धारा-सभा द्वारा बनाया हुआ कानून यदि संघ-सरकार के बनाये हुए कानून के विपरीत हुआ तो प्रान्तीय-सरकार का बनाया हुआ कानून रद्द समझा जाता है और संघ-सरकार द्वारा बनाया हुआ कानून काम में लाया जायगा। प्रान्तीय-सरकार द्वारा बनाया हुआ कानून लागू रहेगा यदि वह गवर्नर-जनरल या सम्राट द्वारा स्वीकृत कर लिया जाय।

अवशिष्ट अधिकार (Residual Powers):—साधारणतः तीनों विषयों की सूची में प्रायः सभी विषयों का समावेश होगया है किन्तु ऐसी सूची तैयार करना जिसमें सभी विषय आजायँ असम्भव है। हिन्दुस्तान और संसार की भावी घटनाओं के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न होजाय जिसके लिये नये विषयों की जरूरत पड़ जाय। ऐसे अवसरों के लिये कानून बनाने के अधिकार गवर्नर-जनरल को हैं। सेक्शन १०४ गवर्नमेन्ट-आफ-इण्डिया ऐक्ट सन् १६३५ ई० के अनुसार गवर्नर-जनरल घोषणा द्वारा संघीय-धारा-सभा या प्रान्तीय-धारा-सभा को ऐसे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दे सकता है। ऐसा वह अपने स्वतः के

कार्य स्वतन्त्र अधिकार (in his discretion) से कर सकता है। इस सेक्शन से गवर्नर-जनरल को यह भी अधिकार दिया गया है कि वह दिये हुए विषयों में से किसी विषय के अन्तर्गत नये विषय का समावेश है या नहीं, इसका निर्णय कर सके।

अभ्यास के लिये प्रश्नः—

(१) धारा सभा का सर्व प्रिय होने के लिये किन किन बातों का होना आवश्यक है ?

(२) लोकतन्त्र शासन में धारा-सभा का सर्व प्रिय होना नितान्त आवश्यक क्यों समझा जाता है ?

(३) भारतीय धारा-सभा के विकास का संक्षिप्त विवरण लिखो ?

(४) निम्न लिखित विषयों पर टिप्पणी लिखो ?

(५) मार्ले-मिन्टो रिफार्म ऐक्ट १९०९ और सन् १९१९ ई० के सुधार ऐक्ट द्वारा हुए परिवर्तनों को समझाओ ?

(६) नये विधान के अनुसार राज्य-परिषद और संघीय व्यवस्थापिका सभा के संगठनों का वर्णन लिखो।

(७) संघीय धारा-सभाओं में देशी रियासतों के प्रतिनिधियों की संख्या निश्चित करने में किन किन बातों पर बिचार किया गया है।

(८) संघीय राज्यपरिषद के मतदाताओं की योग्यता किन किन बातों पर निर्भर है ?

आठवां अध्याय

(व)

कर और सरकारी आय-व्यय

जिस तरह नागरिकों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये धन की आवश्यकता होती है, उसी तरह राज्य को भी धन की आवश्यकता होती है। नागरिक आमदनी के अनुसार अपना खर्च निश्चित करता है, किन्तु राज्य खर्च के लिये जितना रुपया आवश्यक होता है उसके अनुसार आमदनी का प्रबन्ध करता है। आजकल राज्यों को कई कार्य करने पड़ते हैं। जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं:—

(१) देश रक्षा के लिये फौज रखना।

(२) देश के भीतरी प्रबन्ध के लिये पुलिस रखना।

(३) व्यापारिक कार्यों के लिये।

(४) सार्वजनिक कार्यों के लिये जैसे—शिक्षा, स्वास्थ्य-रक्षा और गरीबों की सहायता के लिये इत्यादि।

(५) डांक, रेल, तार इत्यादि कार्यों के लिये।

इन सब कामों के लिये राज्य को भारी रकम की जरूरत पड़ती है।

वर्तमानकाल के राज्यों की आय के कुछ साधनः—

(१) राज्य की सम्पत्ति-भूमि, जंगल, खदान इत्यादि।

(२) राज्य के लोकोपयोगी कार्यों से--डांक, तार और रेल आदि से।

(३) सिक्का से।

(४) नागरिकों से दान। लावारिसों की सम्पत्ति।

किन्तु ये सब सहायक साधन हैं। मुख्य आमदनी का साधन तो कर है। राज्य में एक आर्थिक विभाग रहता है। इस विभाग के सदस्य को अर्थ सदस्य कहते हैं। अर्थ सदस्य को प्रति वर्ष मार्च के माह में सरकारी आय-व्यय का चिट्ठा धारा-सभा में उपस्थित करना पड़ता है। यदि आय की रकम खर्च की रकम से अधिक हुई, तो उस बजट को बचत-का-बजट कहते हैं और यदि आय कम और खर्च ज्यादा हो, तो उस बजट को घाटे-का-बजट कहते हैं। आमदनी कम और खर्च अधिक होने पर नागरिक अपनी बचत की रकम से खर्च करता है या कर्ज लेता है, उसी तरह यदि राज्य की घाटे की रकम कम हुई तो सरकार बचत की रकम में से या कर्ज लेकर बजट को पूरा करती है और यदि घाटे की रकम ज्यादा हुई तो सरकार को मियादी कर्ज लेना पड़ता है और आवश्यक हुआ तो नया कर भी लगाना पड़ता है।

कर क्या है:—कर राज्य के उस अनिवार्य दान को कहते हैं जिसका देना प्रत्येक नागरिक के लिये कानूनन आवश्यक रहता है। यह दान राज्य को सार्वजनिक

कार्यों के लिये दिया जाता है और उसके बदले में करदाता कोई निजी लाभ पाने का हकदार नहीं रहता ।

कर और फीसः—कर का देना अनिवार्य होता है और उसके बदले में कर दाता किसी खास लाभ की आशा नहीं कर सकता । कर सरकार को सार्वजनिक कार्यों के लिये दिया जाता है। जैसेः—आयकर, नमककर, भूमिकर इत्यादि । फीस का देना अनिवार्य नहीं रहता । जो फीस देता है उसको उससे लाभ अवश्य होता है जैसेः—स्कूल फीस, डाक्टर की फीस और कोर्ट फीस इत्यादि । फीस किसी काम का मेहनताना मात्र है ।

कर दो प्रकार के होते हैं:—

(१) प्रत्यक्ष कर और (२) परोक्ष कर ।

प्रत्यक्ष कर उस कर को कहते हैं जिसका भार कर देने वालों पर पड़ता है जैसे आयकर, भूमिकर, मृत्यु पर कर और नफा पर कर इत्यादि । इन करों को कर-दाता स्वयं देता है ।

परोक्ष कर उस कर को कहते हैं, जिसका भार कर-दाता पर न पड़कर दूसरे लोगों पर पड़ता है जैसेः—नमक-कर, आयात-निर्यातकर, चुंगी और आबकारी इत्यादि । परोक्ष करों से ज्यादा लाभ होता है । इनको वसूल करने में खर्च ज्यादा नहीं करना पड़ता और कर देने वालों को भी नहीं अखरता ।

वर्तमानकाल में राज्य की आमदनी का मुख्य साधन कर है । सरकार को कर लगाते समय ध्यान रखना चाहिये कि कर उन पर ही लगाये जावें जिनमें कर देने की

योग्यता हो। अर्थ शास्त्रियों ने कर लगाने के कुछ सिद्धान्त निर्धारित किये हैं। सुप्रसिद्ध अर्थ-शास्त्री ऐडम-स्मिथ (Adam Smith) ने निम्नलिखित चार सिद्धान्त निर्धारित किये हैं:—

(१) आर्थिक योग्यता का सिद्धान्त (The canon of Ability)। इस सिद्धान्त का उद्देश्य यह है कि राज्य को कर लगाते समय करदाताओं की आर्थिक दशा का ख्याल रखना चाहिये। धनवानों से अधिक और निर्धनों से कम कर लेना चाहिये। नागरिकों की आमदनी से नागरिकों की आर्थिक दशा का पता लगाया जा सकता है। यह सिद्धान्त सब तरह से उचित समझा जाता है।

(२) सुविधा का सिद्धान्त (The canon of convenience)। कर ऐसे समय पर वसूल करना चाहिये जब कि कर दाताओं को कर देने में किसी प्रकार की अड़चन न हो।

(३) निश्चय का सिद्धान्त (The canon of certainty) कर निश्चित होना चाहिये अर्थात् करदाताओं को मालूम होना चाहिये कि कर कितना देना है और कब देना है।

(४) मितव्ययिता का सिद्धान्त (The canon of economy)। इस सिद्धान्त के अनुसार कर वसूल करने में बहुत कम खर्च होना चाहिये। यदि खर्च अधिक हुआ और आमदनी कम हुई तो राज्य के कोप को धक्का पहुँचेगा इस तरह के कर से राज्य को किसी प्रकार का लाभ नहीं होता। राज्य को नागरिकों से जहाँ तक हो सके बहुत कम कर लेना चाहिये। इन चारों सिद्धान्तों में यदि चार सिद्धान्त और जोड़ दिये जायँ तो कर के प्रायः सभी सिद्धान्त आजाते हैं।

दूसरे चार सिद्धान्त इस प्रकार हैं:—

(५) कर पर्याप्त होने का सिद्धान्त (The canon of Adequacy or Sufficiency)। कर इतना होना चाहिये जिससे राज्य का सारा कार्य ठीक ठीक चल सके।

(६) कर के घटाये और बढ़ाये जाने का सिद्धान्त (The canon of Elasticity) कर इस प्रकार लगाना चाहिये जिससे वह समय समय पर आवश्यकता पड़ने पर घटाया और बढ़ाया जा सके, क्योंकि किसी भी राज्य का खर्च प्रति वर्ष एकसा नहीं रहता। कभी अधिक और कभी कम होता है। उदाहरण के लिये आय-कर ले सकते हैं।

(७) कर कई प्रकार का होना चाहिये (The canon of Variety)। यदि कर एक या दो हुए तो किसी को ज्यादा कर देना पड़ेगा और किसी को बिलकुल ही नहीं देना पड़ेगा। कई कर होने से कोई भी कर से बच नहीं सकता। कई कर होने से कर का भार सब पर बराबर पड़ेगा। इसलिये आमदनी पर, सम्पत्ति पर और चीजों के उपभोग पर कर लगाना चाहिए।

(८) ऐतिहासिक आधार पर कर लगाने का सिद्धान्त (Conformity with historical tradition)। कोई भी कर लगाते समय यह देखना चाहिये कि क्या इस तरह का कर कभी प्राचीन समय में लगा था या नहीं। हम प्राचीनता को बिलकुल ही भुला नहीं सकते। अकसर लोग कहा करते हैं कि प्राचीन कर कोई कर नहीं है (An old tax is no tax)। इसका कारण यह है कि लोग इस तरह के कर को देते आये हैं और वे उसके

आदी बन गये हैं। इसके देने में उन्हें कोई अड़चन नहीं जाती। जमीन का लगान उदाहरण के लिये लिया जा सकता है।

कर लगाने में न्याय

प्रत्येक राज्य को राज्य के विविध कार्यों के लिये कर लगाना पड़ता है। कर लगाने के सिद्धान्तों का वर्णन लिखा जाचुका है। कर किस तरह लगाया जावे जिससे कर का भार सब मनुष्यों पर समान रूप से पड़े, इस पर अब विचार किया जावेगा। कर लगाने का काम न्याय पूर्वक करना बहुत कठिन है। जो बात एक दृष्टि-कोण से न्याय संगत मालूम होती है, वही बात दूसरे दृष्टि कोण से अन्याय पूर्ण जॅचती है। न्याय की दृष्टि से कर लगाने के लिये दो सिद्धान्त उपस्थित किये जाते हैं:—

(१) लाभ का सिद्धान्त (Benefit theory)।

(२) आर्थिक योग्यता का सिद्धान्त (Faculty theory)।

(१) इस सिद्धान्त का अर्थ यह है कि कर से उस व्यक्ति को अधिक लाभ होना चाहिये जो अधिक कर देता है और जो कम कर देता है उसे कम लाभ होना चाहिये। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि धनवानों को अधिक लाभ होना चाहिये, क्योंकि वे अधिक कर देते हैं और गरीबों को कम, क्योंकि वे कम कर देते हैं। ऐसा करने से सरकार के द्वारा जो सार्वजनिक कार्य किये जाते हैं वे बन्द हो जावेंगे, क्योंकि इनसे गरीबों को ही अधिक लाभ होता है। व्यवहार में कर का अधिक भार उन पर पड़ता है जिन्हें सार्वजनिक कार्यों से बहुत कम लाभ होता है।

हमको न्याय केवल व्यक्ति विशेष के लाभ की दृष्टि से नहीं देखना चाहिये, किन्तु आम जनता की तरफ न्याय का विचार रखना चाहिये। गरीबों को सार्वजनिक कामों से अधिक लाभ होता है। इस तरह का सिद्धान्त ठीक नहीं है। न्याय की दृष्टि से करों का भार उन लोगों पर अधिक पड़ना चाहिये जिनमें कर देने की योग्यता हो। करों से लाभ जनता को होना चाहिये, न कि इने गिने कुछ धनवानों को।

(२) आर्थिक योग्यता का सिद्धान्त (The theory of faculty)। कुछ अर्थ-शास्त्रियों का मत है कि कर इस सिद्धान्त से लगाया जावे तो कर में अनायास न्याय किया जा सकता है। इस सिद्धान्त का अर्थ यह है कि जिस में जितनी आर्थिक योग्यता हो उससे उतना ही कर लेना चाहिये। किन्तु विचार करने से यह न्याय-युक्त नहीं मालूम पड़ता। एक अविवाहित व्यक्ति को १००) मासिक वेतन मिलता है और दूसरे विवाहित व्यक्ति को जिसके ५ बच्चे हैं उसे भी १००) मासिक वेतन मिलता है। इसमें सन्देह नहीं कि यदि केवल आमदनी की ओर देखा जाय तो यह ठीक है, लेकिन किसी की आर्थिक योग्यता का निर्णय केवल आमदनी ही को देखकर मालूम नहीं किया जा सकता। आमदनी के साथ उसकी आवश्यकताओं की ओर ध्यान देना चाहिये। समान वेतन मिलने पर भी दोनों का खर्च एकसा नहीं है। इस तरह दूसरे व्यक्ति की आर्थिक योग्यता पहिले व्यक्ति से बहुत ही कम है। आर्थिक योग्यता के साथ साथ किसी व्यक्ति विशेष की आवश्यकताओं की तरफ भी ध्यान देना चाहिये।

कर में न्याय के लिये न तो लाभवाद और न आर्थिक योग्यतावाद के सिद्धान्त ही ठीक मालूम पड़ते हैं। वास्तव में कर में न्याय के लिये त्याग में समानता (Equality in sacrifice) देखना चाहिये अर्थात् यह देखना चाहिये कि प्रत्येक व्यक्ति का त्याग उसकी आमदनी तथा उसके खर्च पर विचार करते हुए कितना है। इसी के अनुसार कर लगाना न्याय संगत होगा। किन्तु केवल इतना ही यथेष्ट नहीं है। यदि कर लगाने की दर एकसी होती तो वह भी अन्याय होगा। दर में भिन्नता होनी चाहिये। दर प्रगति-शील होना चाहिये अर्थात् यदि आमदनी अधिक हो तो कर की दर अधिक होना चाहिये।

भारत-सरकार की आय के प्रमुख साधनः—भारत-सरकार कई तरह के कर लगाती है। कुछ कर की सब रकम भारत के केन्द्रीय कोष में जाती है और कुछ करों की आमदनी प्रान्तीय कोष में जाती है। कुछ करों की आमदनी भारतीय और प्रान्तीय दोनों सरकारों में निश्चित अनुपात में बांटी जाती है इस प्रकार के बटवारे की प्रथा को मेस्टन सेटिलमेन्ट कहते हैं (Meston Settlement made in 1920)। सन् १९१९ ई० के सुधार ऐक्ट के पूर्व सब कर भारत-सरकार के कोष में जाता था और भारत सरकार प्रान्तों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार निश्चित रकम देती थी।

लार्ड मेस्टन की अध्यक्षता में एक कमेटी, प्रान्तों को कितनी रकम केन्द्रीय सरकार को देनी होगी और आयकर में से कितना हिस्सा बम्बई को मिलेगा, निश्चय करने के लिये नियुक्त की गई थी।

केन्द्रीय सरकार की आमदनी के मुख्य २ साधन

(१) आयात-निर्यात कर (Customs):—आयात और निर्यात कर बाहर से आनेवाले और देश से बाहर जाने वाले माल पर लगाये जाते हैं। मशीन, गोली, बारूद, बन्दूक, घड़ियाँ, लोहे की शहतीरों, सूती कपड़े, शराब, जूट, चाय इत्यादि पर लगाये जाते हैं। सन् १९३५-३६ ई० में लगभग ५२ करोड़ की आय इस मद से हुई। करों की दर घटती बढ़ती रहती है। ब्रिटिश इण्डिया में समुद्र के किनारे "कस्टम हाउसेज़" बनाये गये हैं। जो माल बाहर से आता है और जो माल यहाँ से जाता है उस पर यहाँ चुंगी देनी पड़ती है। यहां प्रत्येक बण्डल खोला जाता है जब तक निश्चित चुंगी नहीं दी जाती तब तक माल छोड़ा नहीं जाता। इससे पता लगता है कि कौनसा माल कहां से और कितना आया और कोई चीज (कोकीन इत्यादि) गुप्त रीति से देश में तो नहीं आती है। कई देशी राज्यों की सीमा पर भी कस्टम-हाउस बने हैं और वहाँ भी इसी तरह का काम होता है।

हिन्दुस्तान में आयात-निर्यातकर दो उद्देश्य से लगाये जाते हैं:—राज की आय की वृद्धि के लिये जैसे—सिगार और सिगरेटों पर। देशी व्यवसाय की उन्नति के लिये जैसे—दियासलाई पर।

(२) आय कर:—यह कर हिन्दुस्तान में पहिली बार सन् १८६० में लगाया गया। इसके पूर्व इस प्रकार का कर हिन्दुस्तान में नहीं लगा था। कर की दर

प्रगतिशील है। जिनके पास अधिक धन है उन्हें कर भी अधिक देना पड़ता है। आजकल दो हजार वार्षिक आय से कम आय पर कर नहीं लगता। सन् १९३६-३७ ई० में इससे १७६० करोड़ की आय हुई थी। एक निश्चित रकम ३०,०००) से अधिक आय पर सरकार सुपर टैक्स (Super-tax) लेती है।

(३) **नमक कर:**—यह कर सभी गरीब देशों में बुरा समझा जाता है खासकर हिन्दुस्तान में, क्योंकि यहां के लोग अन्य देशों से बहुत गरीब हैं। असहयोग आन्दोलन के समय इस कर को रद्द कराने के अभिप्राय से सत्याग्रह हुआ था। सन् १९३६-३७ में इससे अनुमानित आय ८.७३ करोड़ रुपया था। १।) प्रति मन के हिसाब से यह कर वसूल किया जाता है। यह कर सबको देना पड़ता है। नमक पशुओं के खिलाने के काम में आता है। नमक पर का टैक्स सभी को अखरता है। भविष्य में इस कर को बिलकुल हटा देने की आशा की जाती है। कर की दर कम करने पर नमक का खर्च बढ़ जाता है यह बात इस विषय में उल्लेखनीय है। सरकार नमक बनाती है।

(४) **अफीम पर कर:**—प्रायः सभी सरकारें मादक वस्तुओं पर कर लगाती हैं। कर लगाने के दो उद्देश हैं:—(१) सरकारी आय की वृद्धि और (२) मादक पदार्थों को महँगा कर इसकी खपत रोकना। पोस्ते के पौधे से अफीम बनती है। अधिकांश में यह चीन, ब्रह्मा और स्ट्रेट-सेटिलमेन्ट में भेजी जाती थी।

राष्ट्र-संघ के आदेशानुसार सन् १६३५ ई० से इसका भेजना अब बंद कर दिया गया है। अफीम सिर्फ सरकार बनाती है और प्रान्तीय सरकारों को लागत की रकम पर बेची जाती है। गाजीपुर जिले में (यू. पी.) इसकी कोठी है। भारत सरकार और प्रांतीय सरकारों की कुल वार्षिक आय मिलकर दो सौ करोड़ रुपया होती है। भारत सरकार की आय लगभग १२० करोड़ रुपये की है। बाकी की आय प्रांतीय सरकारों की है।

भारत सरकार की अन्य आमदनी के साधनः—

(१) सरकार को प्रतिवर्ष एक बँधी रकम कर के रूप में देशी राज्यों से मिलती है। यह रकम कम हो जायगी और संघ स्थापित होने पर बिलकुल बन्द हो जायगी।

(२) प्रान्तीय सरकारों, रेलवे कम्पनियों को कर्ज में दी हुई रकम पर उसे सूद मिलता है।

(३) रेलों, पोस्ट-आफिस, तार, टकसार से भी आमदनी होती है, किन्तु आमदनी का अधिकांश भाग इन्हीं के प्रबन्ध में फिर लग जाता है। रिजर्व बैंक के स्थापित हो जाने से नोट और टकसार की आमदनी का महत्व जाता रहा है।

सन् १९२० ई० से रेलवे का बजट अलग रहता है, किन्तु कुछ निश्चित रकम रेलों से भारत सरकार को मिलती है। चीफ कमिश्नरों के प्रान्तों की आय भी भारत सरकार की आय में सम्मिलित है। सरकारी मकानों और उनकी बिक्री से मिलने वाली रकम सिविल निर्माण कार्य में गिनी जाती है। स्टेशनरी और सरकारी

रिपोर्टों की बिक्री विविध आय के मद्द में सम्मिलित है।

भारत सरकार की आय (१९३५-३६ ई० का) करोड़ रुपयों में इस प्रकार है:—

नं०	आय के मद्द	करोड़ रुपया
१	आयात-निर्यात कर	५१•८४ करोड़ रुपया
२	आय कर	१६•४० ,, ,,
३	नमक कर	८•७३ ,, ,,
४	अफीम कर	•६१ ,, ,,
५	अन्य कर	१•९१ ,, ,,
६	रेलों से	३२•२५ ,, ,,
७	मुद्रा, टकसाल	१•०७ ,, ,,
८	डांक, तार	•७१ ,, ,,
९	विविध आय	७•४८ ,, ,,
	कुल योग	१•२१•०० करोड़ रुपया

सार्वजनिक ऋण:—कभी कभी सरकार को अन्य मनुष्यों की नाईं कर्ज लेना पड़ता है। साधारणतः सरकार ऋण नहीं लेती; किन्तु जब कोई आवश्यक कार्य उपस्थित हो जाता है, तब सरकार को भी ऋण लेना आवश्यक हो जाता है। कभी कभी लड़ाई छिड़ जाती है, या कोई बड़ा सार्वजनिक कार्य करना आवश्यक हो जाता है, या बजट के घाटे को पूरा करने के लिये सरकार को ऋण लेना पड़ता है। इस प्रकार सार्वजनिक कार्यों के लिये सरकार द्वारा लिये गये ऋण को सार्वजनिक ऋण कहते हैं (Public Debts)।

सार्वजनिक ऋण दो प्रकार के होते हैं:—(१) उत्पादक और (२) अनुत्पादक। जब ऋण ऐसे कार्यों के लिये लिया जाय जिससे सरकार को कुछ न कुछ लाभ उससे हमेशा होता ही रहे, तो वह ऋण उत्पादक ऋण (Productive Debts) कहलाता है जैसे:—रेल, सिंचाई, डांक, तार इत्यादि।

अनुत्पादक ऋण (Unproductive Debt) उस ऋण को कहते हैं जो ऐसे कार्यों के लिये लिया जाय, जिससे आर्थिक लाभ होने की सम्भावना न हो जैसे—लड़ाई और बजट की पूर्ति के लिये ऋण।

सार्वजनिक ऋण के दो भेद और किये जाते हैं:—(१) स्थायी सार्वजनिक ऋण और (२) अस्थायी सार्वजनिक ऋण। (१) जब सरकार को ऋण चुकाने की कोई तारीख निश्चित नहीं रहती, ऐसे ऋण को स्थायी ऋण कहते हैं। जब सरकार के पास रुपया होगा तब वह उस ऋण को चुकता करेगी, किन्तु सरकार ब्याज ठीक समय पर देती रहती है।

अस्थायी सार्वजनिक ऋण:—(२) ऐसे ऋण को, जो सरकार निर्धारित समय पर चुकता करने का वादा करती है, अस्थायी सार्वजनिक ऋण कहते हैं। हिन्दुस्तान पर ३१ मार्च, १९३६ को १,२०९ करोड़ रुपये का सार्वजनिक ऋण था। यह रकम इँग्लैण्ड और हिन्दुस्तान दोनों जगहों से ली गई है। [५०३ करोड़ (पौंड) इँग्लैण्ड में और बाकी रकम हिन्दुस्तान में] उत्पादक कार्यों में यह रकम खर्च हुई है। रेल, सिंचाई, प्रान्तीय सरकारों और देशी रियासतों को कर्ज देने के लिये ली गई है।

अनुत्पादक सार्वजनिक ऋण एकसौ बहत्तर करोड़ का है, जो लड़ाई और साम्राज्य के हितों की रक्षा में खर्च हुआ है।

ऋण परिशोष कोष (Sinking Fund):—प्रत्येक सरकार को कभी कभी कर्ज लेना पड़ता है। यदि कर्ज और व्याज निश्चित समय पर न दिया जाय तो सरकार की साख लोगों की दृष्टि में गिर जाती है और फिर कर्ज मुश्किल से मिलता है। यदि कर्ज मिल भी जाय तो व्याज की दर बढ़ जाती है। इसलिये वर्तमानकाल में प्रत्येक सरकार को ऋणपरिशोष कोप खोलना पड़ता है। इसमें प्रति वर्ष कुछ रकम जमा की जाती है और इस रकम से कर्ज की अदाई की जाती है।

अभ्यास के लिये प्रश्नः—

(१) कर किसे कहते हैं? कर के भेद बताओ। कर और फीस मे क्या अन्तर है?

(२) कर लगाने मे किन किन सिद्धान्तों पर विचार करना पडता है? उन सिद्धान्तो के नाम लिखो और समझाओ।

(३) भारतीय सरकार के आय के प्रधान जरियों के नाम लिखो।

(४) सार्वजनिक ऋण किसे कहते है? सार्वजनिक ऋण किन किन कार्यों के लिये लिया जाता है?

(५) सिंकिङ्ग फण्ड किसे कहते है?

आठवां अध्याय

(स)

मालगुजारी

भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहां ६० प्रतिशत लोग भूमि से ही अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। सरकार को आमदनी की एक अच्छी रकम भूमि से मिलती है। इसलिये भारत में मालगुजारी का महत्व अधिक है। खेती की भूमि से जो आमदनी सरकार को होती है, उसे मालगुजारी या भूमिकर कहते हैं। भूमिकर के विषय में अधिक जानकारी के लिये इसी अध्याय का 'ड' भाग पढ़ना चाहिये।

प्राचीन काल में मालगुजारी अनाज के रूप में दी जाती थी, किन्तु अकबर के समय से यह रुपये-पैसे में भी चुकाई जाने लगी। अंग्रेज लोग इसी पद्धति का अनुकरण करते हैं।

भूमि पर किसी एक का अधिपत्य नहीं है, किन्तु नीचे लिखी हुई संस्थाएँ तथा व्यक्तियों का उस पर अधिकार रहता है:—

(१) राज्य। (२) जमींदार। (३) रैय्यत।

इन सब में राज्य का अधिकार सब प्रकार की भूमि

पर सर्वोच्च है। वास्तव में राज्य ही भूमि का असली मालिक है। उसके आधीन रहकर जमींदार तथा कृषक भूमि का उपयोग करते हैं और निश्चित रकम भूमि कर के रूप में सरकार को देते हैं।

जमीन पर अधिकार:—भारत में मुख्य दो प्रकार का बन्दोबस्त प्रचलित है (१) रैयतवारी और (२) जमींदारी (स्थायी और अस्थायी)।

रैयतवारी:—इस प्रथा के अनुसार किसान को अपनी जमीन पर केवल जोतने और बोने का अधिकार रहता है। यह हक उसका पुस्तैनी होता है अर्थात् जोतने और बोने का अधिकार उसे अपने पूर्वजों से मिलता है। साथ ही साथ वह यह अधिकार अपनी संतान को दे सकता है। रैयतवारी हक कई प्रकार के होते हैं। इस प्रकार के बन्दोबस्त में रैयत सरकार को स्वयं लगान देती है किसी के मार्फत नहीं।

रैयतवारी प्रथा से लाभ व दोष:—रैयतवारी प्रथा में जमीन का बन्दोबस्त निश्चित समय के बाद फिर से होता है और इस तरह सरकार को भूमि कर बढ़ाने का अवसर मिलता है। बीच में कोई मध्यस्थ न होने से किसानों को स्वयं लगान देना पड़ता है, इससे उनको कुछ कम लगान देना पड़ता है। जमींदारों के कमीशन की रकम की बचत होती है। जमींदारों की ज्यादतियों से बचाव होता है, क्योंकि उनका सम्बन्ध सीधा सरकार से रहता है। इस प्रकार का बन्दोबस्त बम्बई, मद्रास, सिन्ध, आसाम और बर्मा में पाया जाता है।

जमींदारी प्रथाः—इस प्रकार के बन्दोवस्त में जमीन का मालिकाना अधिकार जमींदारों का रहता है। जमींदारों और सरकार के बीच यह बन्दोबस्त होता है अर्थात् जमीन जमींदार की सम्पत्ति समझी जाती है। सरकार जमींदारों से किस्त लेती है और वे किसानों से लगान इकट्ठा करके सरकार को देते हैं। इसमें जमींदार सरकार और किसान के बीच का मध्यस्थ होता है। यह प्रथा संयुक्तप्रान्त, पंजाब, मध्यप्रान्त, उड़ीसा और बंगाल के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। यह अस्थायी जमींदारी प्रथा कहलाती है।

स्थायी बन्दोबस्तः—जो बन्दोबस्त सदा के लिये कर दिया जाता है उसे स्थायी या इस्तमरारी (Permanent Settlement) बन्दोबस्त कहते हैं। यह बन्दोबस्त लार्ड कार्नवालिस ने २२ मार्च सन् १७९३ ई० को घोषणा द्वारा जारी किया। इसके पूर्व जमींदार लोग केवल किसान मात्र थे। उनका जमीन पर किसी प्रकार का मालिकाना अधिकार न था। वे जमीन की साख पर न कर्ज ले सकते थे और न उनको अलग कर सकते थे। लगान स्थायी न था, किन्तु सरकार की मर्जी के अनुसार उसमें कमी-बेशी होती रहती थी। किन्तु इस बन्दोबस्त के अनुसार जमींदारों को सब मालिकाना हक मिल गया और वे अपना अधिकार अपनी संतान को दे सकते हैं। लगान सदा के लिये निश्चित कर दिया गया है और जब तक वे निश्चित लगान देते रहेंगे तब तक जमीन उनकी रहेगी। उनको अपनी जमीन के अन्तर्गत खदानों का और मछली पकड़ने के अधिकार भी दिये गये।

स्थायी बन्दोवस्त के गुण दोषः—

गुणः—इस प्रथा से सरकारी आय निश्चित होगई और बार बार के बन्दोवस्त के खर्च और दिक्कत से बचत हुई, क्योंकि यदि लगान ठीक समय पर न दिया जाय तो जमीन नीलाम कर दी जाती है। लगान की दर में वृद्धि और जमीन के दूसरों के पास जाने का भय न होने से वे जमीन की उपज की वृद्धि के लिये खाद इत्यादि का प्रयोग करते हैं। इस तरह उनकी आर्थिक स्थिति सुधरती है। यही कारण है कि बंगाल में अकाल कभी नहीं पड़ता।

बगाल के जमींदारों के लिये यह बहुत लाभदायक सिद्ध हुआ है, क्योंकि इसके द्वारा वे जमीन के मालिक बन गये और धनाढ्य जमींदारों की एक श्रेणी बन गई। ये लोग किसानों की दशा सरकार की अपेक्षा अधिक सुधारने का प्रयत्न करेंगे।

दोषः—इस बन्दोवस्त में किसानों के हितों पर उचित ध्यान उस समय नहीं दिया गया। जमींदार किसानों के साथ किसी भी प्रकार का प्रबन्ध कर सकते थे। सरकार केवल कास्तकारी कानून बनाने का अधिकार रखती थी। इन कानूनों द्वारा किसानों के हितों की रक्षा की जाती है।

कास्तकारी कानूनः—भारत-सरकार ने भिन्न भिन्न प्रान्तों में किसानों की रक्षा के लिये कानून बनाये हैं जैसे-लैण्ड एलीनेशनऐक्ट। इस ऐक्ट का उद्देश्य खेती का धन्धा करने वाली जातियों की जमीन को व्यापार अथवा साहूकारी करने वाली जातियों के हाथों में जाने से रोकना है। यह ऐक्ट सन् १६०० ई० में बना। इस तरह के कास्तकारी

कानून प्राय: सभी प्रान्तों में बने हैं और बनते जारहे हैं। इन कानूनों का उद्देश्य किसानों को सेठ, साहूकारों और जमींदारों से रक्षा करना है। आजकल कृषि और कृषकों की दशा सुधारने के लिये सरकार क्या क्या कार्य करती है, इसके लिये तीसरा भाग (पृष्ठ ९४से १०१ तक)पढ़ना चाहिये।

आयके अन्य साधन:—आयके अन्य प्रमुख साधन जैसे:-आयात-निर्यात कर, आबकारी, रेलवे, डांक और तार आय-कर इत्यादि का वर्णन इसी अध्याय के 'ब' भाग में किया गया है और उसको वहाँ पढ़ लेना चाहिये। प्रान्तीय कर और आय-व्यय के लेखा का वर्णन आठवें अध्याय के 'ड' भाग में किया गया है।

भूमि कर लगाने के सिद्धान्त:—भारत में भूमि कर लगाने का सिद्धान्त समस्त प्रान्तों में एकसा नहीं है। भूमिकर अलग अलग प्रान्तों में अलग अलग प्रकार के हैं। किन्तु साधारणत: यह कर स्थानीय स्थिति को देख कर लगाया जाता है। इस काम में जिस सिद्धान्त का अनुकरण प्राय: किया जाता है उसे सन् १८५५ का शहारनपुर का वन्दोबस्त कहते हैं। यह वन्दोबस्त आदर्श समझा जाता है। इसके अनुसार रैयतवारी प्रान्तों में सरकार किसानों की असली उपज (खर्च काटकर जो वचता है) का आधा भाग भूमि-कर के रूप में लेती है और जमींदारी प्रान्तों में असली आमदनी का आधा कर के रूप में लेती है, किन्तु कर की दर में घटती बढ़ती समयानुसार हुआ करती है। यदि किसी प्रान्त की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है; तो वहाँ भूमि कर बढ़ाया जाता है और जहां की आर्थिक स्थिति खराब होती है, वहाँ कर बढ़ाया नहीं जाता।

आठवां अध्याय

(ड)

प्रान्तीय सरकार की आय के साधन

(१) **भूमिकरः**—प्रान्तीय सरकार की आमदनी का सब से बड़ा साधन भूमिकर है। यह कर सब से प्राचीन है। राजा लोग प्रजा की रक्षा के लिये सदा से कुछ न कुछ भूमि कर लिया करते थे। प्राचीन काल में किसान लगान अन्न के रूप में देते थे। अकबर के समय से उन्हें अन्न या रुपये के रूप में कर देने की सुविधा दी गई। कर का दर समय समय पर बदलता रहा है। मनूजी के अनुसार प्राचीन भारत में भूमिकर साधारण समय में उपज का $\frac{1}{12}$ और $\frac{1}{6}$ के मध्य में रहा करता था। आवश्यकता पड़ने पर कर की दर उपज का $\frac{1}{4}$ तक हो जाती थी। लगान गाँव के मुखिया द्वारा वसूल होता था।

अक़बर के समय में उपज का $\frac{1}{3}$ भाग राज्य का हिस्सा समझा जाता था। बन्दोबस्त दस साल के लिये होता था। कुछ लोग सब रकम इकट्ठी कर के सरकारी कोष में जमा कर देते थे और सरकार भी उन्हें विशेष अधिकार दे देती थी। आगे चलकर यही लोग जमींदार कहलाने लगे। इनको सरकार से परवाना मिलता था और कुल वसूली का $\frac{1}{10}$ वां हिस्सा इन्हें मिलता था। इनको

कुछ जमीन खेती करने को दी जाती थी। जब केन्द्रीय सरकार कमजोर हो गई तो ये लोग स्वतन्त्र बन बैठे, इस तरह गुमाश्ता से ये लोग मालिक बन गये।

जब सन् १७६५ ई० में ईष्ट इण्डिया कम्पनी को बंगाल की दीवानी मिली, (अर्थात् बंगाल, बिहार और उड़ीसा से लगान वसूल करने का अधिकार मिला) उस समय दो भारतीय कर्मचारी (दो नायब दीवान) लगान वसूल करने के लिये नियुक्त किये गये। पर इससे कार्य सुचारू रूप से न चला। इसलिये वारन-हेस्टिंग ने ठेका देना आरम्भ किया पर असफल रहा, क्योंकि इससे भी निश्चित रकम नहीं मिलती थी।

इसलिये सन् १७९३ ई० में इस्तमरारी बन्दोबस्त कर दिया गया। जमींदारों को जमीन दे दी गई और लगान सदा के लिये स्थिर कर दिया जो अभी भी प्रचलित है। प्रत्येक प्रान्त में भूमिकर एकसा नहीं है। कहीं रैयतवारी प्रथा है तो कहीं जमींदारी या मालगुजारी प्रथा प्रचलित है। मध्यप्रान्त में मालगुजारी प्रथा प्रचलित है और २० साल में फिर से बन्दोबस्त होता है। मध्यप्रान्त और बरार में भूमि कर से लगभग १८,०३,०००) प्रति वर्ष मिलता है।

(२) आबकारी:—प्रान्तीय-सरकारों की आमदनी का दूसरा साधन मादक वस्तुओं पर अर्थात शराब, गाँजा, भाँग, ताड़ी, चरस इत्यादि का कर है। इस मद से सरकारी आमदनी बहुत बढ़ गई है। इससे सरकार को दो तरह से आमदनी होती है—(१) शराब बनाने

वालों पर टैक्स लगाकर और (२) इन वस्तुओं के बेचने वालों को ठेका देकर। बाहर से आने वाले माल पर अर्थात शराब पर आयात कर लगता है।

देश के बड़े बड़े नेता लोग इन चीजों का बिकना बिलकुल बन्द करना चाहते हैं, क्योंकि इनके सेवन से लोगों की आर्थिक दशा दिनों-दिन खराब होती चली जा रही है। कांग्रेस-सरकार शराब बन्दी पर तुली है और मद्रास, बंगाल, बिहार, संयुक्तप्रान्त, मध्यप्रान्त और उड़ीसा में शराब बन्दी का कार्य जोरों से चल रहा है। सर्वत्र सफलता के चिह्न दृष्टिगोचर हो रहे हैं। शराबखाना चायघरों में परिवर्तित होते जा रहे हैं। सलेम में आशातीत सफलता मिली है। लोगों की आर्थिक दशा सुधरने लगी है। इससे अब सरकारी आमदनी कम हो गई है। मध्यप्रान्त को इससे लगभग ८,२८,०००) वार्षिक आय होती है।

(३) **जंगलः**—लकड़ी और जड़ी-बूटी बेचने से आमदनी होती है। सन् १८६१ ई० के पूर्व जंगलों की रक्षा का कोई खास प्रबन्ध न था। सन् १८६१ ई० में जंगल विभाग स्थापित हुआ। सन् १८६४ ई० में और सन् १८७८ में जंगलों की रक्षा के लिये कानून बनाये गये। इस मुहकमें से सरकार को काफी आमदनी होती है। मध्यप्रान्त और बरार को जंगल से लगभग ३५,२८,०००) वार्षिक आय होती है।

रजिस्ट्रेशनः—प्रत्येक जिले में एक रजिस्ट्रेशन आफिस रहता है। यहाँ रेहननामा, बैनामा इत्यादि की रजिस्ट्री होती है।

इससे मध्यप्रान्त और वरार को लगभग २,००,०००) वार्षिक आय होती है ।

स्टाम्प:—यह दो प्रकार का होता है—(१) अदालती और (२) ग़ैर अदालती । कचहरियों में पेश होने वाले दस्तावेजों तथा दरख्वास्तों पर निश्चित कीमत का स्टाम्प लगाना पड़ता है । हुंडी, रुपये लेने की रसीद पर, स्टाम्प लगाना सरकार द्वारा आवश्यक करार दिया गया है। इससे मध्यप्रान्त को लगभग ४४,१२,०००) वार्षिक आय होती है।

आब-पाशी:—इससे भी प्रान्तीय सरकारों को आय होती है ।

नया विधान और सरकारी आय:—नये विधान के अनुसार (सन् १६३५ ई० का ऐक्ट) संघ-सरकार कायम हो जाने पर संघ-सरकार के आय के साधन प्रायः वे ही रहेंगे, जो मेस्टन-सेटिलमेन्ट के अनुसार निर्धारित हुए हैं, वल्कि संघ-सरकार को एक नया कर लगाने का अधिकार होगा जिसे कारपोरेशन कर कहते हैं । प्रान्तीय सरकारों के आय के साधन भी वहुत कुछ पूर्ववत ही रहेंगे । आय-कर में से उनको अव कुछ अधिक मिला करेगा और जिन प्रान्तों में सन की उपज होती है उनको सन के निर्यात कर में से कुछ हिस्सा दिया जावेगा ।

पांच प्रान्तों को (संयुक्त प्रान्त, आसाम, पश्चिमोत्तर प्रदेश, उड़ीसा और सिन्ध) संघ-सरकार से प्रति वर्ष कुछ निश्चित रकम दी जावेगी । यह रकम प्रान्तों को १ ली अप्रैल सन् १६३७ ई० से सर ओटोन्निमेयर की रिपोर्ट की सिफारिश के अनुसार दी जाती है । किस प्रान्त

को कितनी रकम कब दी जावेगी और केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारों की आय के मुख्य मुख्य साधनों के लिये इसी भाग का ६६ पृष्ठ पढ़ना चाहिए।

सन् १९३६ और १९४० ई० का मध्यप्रान्त और बरार की अनुमानित आय का व्यौरा:—

संख्या	मद	रुपये
१.	भूमिकर	२,४१,९७,०००
२.	आबकारी	५८,३४,०००
३.	स्टाम्प	४४,१२,०००
४.	जंगल	४९,४८,०००
५.	रजिस्ट्रेशन	६,२५,०००
६.	न्याय	५,४३,०००
७.	अन्य मुहकमों से	७६,१५,०००
	कुल—	४,८४,७४,०००

दारू-बन्दी:—बम्बई, यू० पी०, मद्रास, बिहार और सी० पी० की सरकारों ने शराब बन्दी का काम काफी जोर पर आरम्भ कर दिया है। इससे सरकार को इस मुहकमे से अब कम आमदनी होने लगी है। किन्तु इससे देश का बहुत सा पैसा जो शराब के कारण बाहर जाता है वह जाने से रुक जायगा और देशी शराब में जो धन खर्च होता है वह अन्य कामों में खर्च होगा। सागर (पूरा जिला), नरसिंहपुर, आकोट ताल्लुका (अकोला), कटनी-मुड़वारा, (जबलपुर) हींगनघाट (वर्धा) और अकोला में दारू-बन्दी कानून लागू कर दिया है।

सन् १९३९—१९४० ई० का मध्यप्रान्त और बरार का अनुमानित व्यय का व्योराः—

ग्रांट संख्या	मद	रुपये
१.	भूमि-कर	१८,०३,०००
२.	प्रान्तीय-आबकारी	८,२८,०००
३.	स्टाम्प, दूसरे कर और महसूल (Duties)	१,२१,०००
४.	जंगल	३५,२८,०००
५.	रजिस्ट्रेशन	२,००,०००
६.	दूसरे माल को खर्च, जो साधारण आय से किये जाते हैं (आबपाशी) ।	२,६६,०००
७.	पब्लिक वर्क्स इस्टैबलिशमेंट	१७,८८,०००
	कर्ज का सूद तथा अन्य ऋणादि दायित्व के लिये	१६,४४,०००
	कर्ज में कमी या कर्ज न लेना पड़े उसके लिये अलग रखना	३,९८,०००
८.	साधारण शासन	६६,३३,०००
९.	न्याय	२५,५६,०००
१०.	जेल और कैदियों का निवास स्थान	८,४३,०००
११.	पुलिस और मोटर व्हीकल ऐक्ट के अनुसार खर्च	५६,८३,०००
१२.	शिक्षा	५६,७६,८००

ग्रांट संख्या	मद	रुपये
१३.	मेडिकल (चिकित्सा-संबंधी)	१७,४५,०००
१४.	सार्वजनिक स्वास्थ्य	५,५७,०००
१५.	कृषि	१०,५८,०००
१६.	पशुरोग चिकित्सा संबंधी	५,०४,०००
१७.	सहकारिता	२,८३,०००
१८.	वैज्ञानिक विभाग, व्यवसाय	३,९३,०००
१९.	विविध विभाग (Miscellaneous)	६३,०००
२०.	सिविल निर्माण कार्य	४१,२३,०००
२१.	अकाल निवारण	५,७००
२२.	पेन्शन, भत्ता आदि	४८,४६,०००
२३.	लिखने के सामान, छपाई	५,०८,०००
२४.	अन्य फुटकर खर्च	१४,२३,०००
२५.	सिविल निर्माण कार्य की पूंजी रकम, माल के हिसाब से बाहर	३,२०,०००
२६.	उधार बिना ब्याज के	५,२०,०००
२७.	पेन्शन में से कम्यूटेशन कराने की रकम देने के लिये	३,०७,०००
२८.	उधार जिस पर ब्याज मिलेगा	२२,११,०००
	योग—	५,१७,९७,५००

ता: ३०-३-१९३९ नागपुर

अभ्यास के लिये प्रश्न—

(१) प्रान्तीय-सरकारों की आय के साधनों के नाम लिखो।

(२) नये विधान के अनुसार (सन् १९३५ ई० के ऐक्ट) के अनुसार किन-किन प्रान्तों को केन्द्रीय सरकार कुछ निश्चित रकम देती है ? उनके नाम लिखो ।

(३) भूमिकर का संक्षिप्त इतिहास लिखो ।

(४) आजकल आबकारी मुहकमें से प्रान्तों की आमदनी क्यों कम होती जा रही है ।

(५) नये विधान के अनुसार केन्द्रीय सरकार की आय के मुख्य-मुख्य साधनों के नाम लिखो ?

(६) लगान किसे कहते हैं ?

(७) जमीन के बंदोवस्त कितने प्रकार के हैं ? प्रत्येक का वर्णन करो और बताओ कौनसा बन्दोवस्त भारतवर्ष के लिये सबसे लाभदायक है ?

(८) सहारनपुर का बन्दोवस्त आदर्श बन्दोवस्त क्यों समझा जाता है ?

(९) आय के अन्य साधनों के नाम लिखो ।

सन् १९१९ ई० के सुधार ऐक्ट के अनुसार राज्य परिषद् (Council of State) के मध्यप्रान्त और बरार के वर्तमान सदस्यों के नामः—

नं०	नाम और निर्वाचन क्षेत्र की श्रेणी	सदस्य	दल
१	मध्यप्रदेश (साधारण)	माननीय मि० व्ही० व्ही० कालीकर	नागपुर
२	बरार (साधारण)	,, मि० ब्रजलाल नन्दलाल बियानी	अकोला

सन् १९१९ ई० के सुधार ऐक्ट के अनुसार भारतीय धारा-सभा के मध्यप्रान्त और बरार के वर्तमान सदस्यों के नामः—

१	नागपुर डिवीज़न (गैर-मुसलमान)	मि० जी. व्ही. देशमुख बार-एट-ला	नागपुर
२	मध्यप्रदेश (हिन्दी डिवीज़न) ,,	सेठ गोविन्ददास	जबलपुर
३	,, ,,	मि० शम्भूदयाल मिश्र वकील	होशंगाबाद
४	मध्यप्रदेश-बरार (मुसलमान) ..	खान बहादुर सिद्दीक अलीखाँ	नागपुर
५	मध्यप्रदेश-बरार के जमींदार ...	सेठ शिवदास डागा	रायपुर
६	बरार (गैर मुसलमान) ..	मि० एम. एस. अणे वकील	यवतमाल

मध्यप्रान्त और बरार के गवर्नर और लेजिस्लेटिव असेम्बली के सदस्यों की नामावली सन् १९३५ ई०

H. E. Sir Francis Verner Wylie, K. C. S. I., C. I. E., I C. S. (28-5-38)

माननीय मि० घनश्यामसिंह गुप्त, स्पीकर ।

श्रीमती अनसूयाबाई काले, डिप्टी--स्पीकर ।

———❀———

❀नोट—पूर्वी--बरार मुसलिम शहरी निर्वाचक-संघ के सदस्य खान साहिब सैयद मुजफ्फर हुसैन की मृत्यु अभी हाल मे हुई है और उनकी जगह का चुनाव १ अगस्त १९३८ ई० के पूर्व तक हो जायगा ।

साधारण-निर्वाचक-संघ नगर

(Generl Constituency Urban)

नं०	नाम और निर्वाचन चेत्र की श्रेणी	सदस्य	दल
१	नागपुर शहर ...	डा० नारायण भास्कर खरे, B. A. M. D.	कांग्रेस
२	नागपुर शहर ...	मि० हेमचन्द्रराव खाँडेकर (रक्षित स्थान)	मजदूर
३	नागपुर, भंडारा ...	मि० चतुर्भुजभाई जसानी	कांग्रेस
४	चांदा, वर्धा ...	मि० खुशालचन्द्र घासीराम खजांची	"
५	जबलपुर शहर ..	मि० नर्मदाप्रसाद मिश्र	"
६	जबलपुर, सागर, - सिवनी ...	मि० केशवराव रामचन्द्रराव खांडेकर	"
७	होशंगाबाद-निमाड़-छिंदवाड़ा	डा० जगन्नाथ गनपतराव महोदय	"
८	रायपुर-बिलासपुर-दुर्ग	मि० ठाकुर प्यारेलालसिंह	"
९	पूर्वी-बरार	मान० मि० एस. व्ही. गोखले शिक्षा मंत्री	"
१०	पश्चिमी-बरार ...	मि० पी. बी. गोले। ऐडवोकेट	"

साधारण-देहात-निर्वाचक-संघ
(General Constituency Rural)

नं०	नाम और निर्वाचन चेत्र की श्रेणी	सदस्यों के नाम	दल
११	नागपुर, उमरेड़ ...	मि० बजरंग ठेकेदार	कांग्रेस
१२	नागपुर, उमरेड़ ...	मि० सीताराम लक्ष्मण पाटिल	स्वतंत्र
१३	काटोल, सावनेर ...	मि० भीकूलाल लक्ष्मीचंद चांदक	कांग्रेस
१४	रामटेक ...	मि० ए० एन० ऊधोजी	"
१५	आर्वी ...	मि० टी. जे. केदार	"
१६	हींगनघाट, वर्धा ...	मि० पुखराज कोचर	"
१७	हींगनघाट, वर्धा ...	मि० दशरथ लक्ष्मण पाटिल (रक्षित)	"
१८	चाँदा-ब्रह्मपुरी ...	मि० आर. एस. दुबे एडवोकेट	"
१९	चाँदा-ब्रह्मपुरी ...	मि० डी. बी. खोबरघाड़े	स्वतंत्र
२०	वरोरा ...	मि० नीलकंठ यादवराव देवताले	कांग्रेस
२१	सिरोंची-गिरसिरोली ...	मि० धरमराव भुजगराव	स्वतंत्र

२२	बैतूल, भैंसदेही	.. सेठ दीपचंद लक्ष्मीचंद गोथी	कांग्रेस
२३	मुलताई	.. मि० बिहारीलाल देवराव पटेल	"
२४	छिंदवाडा, सौंसर	... मि० गुलाबचंद चौधरी बार-एट-ला,	गैर ब्राह्मण
२५	छिंदवाडा, सौसर	.. मि० जी. आर. जम्भोलकर (रक्षित)	कांग्रेस
२६	सिवनी	... मि० प्रभाकर डी. जटार ऐडवोकेट	"
२७	अमरवाड़ा, लखनादौन	... मान० मि० दुर्गाशंकर मेहता मंत्री	"
२८	जबलपुर, पाटन	... मान० पं० द्वारिकाप्रसाद मिश्र मंत्री	"
२९	जबलपुर, पाटन	... मि० मतुआ चेतू मेहरा (रक्षित)	"
३०	सीहोरा	... पं० काशीप्रसाद पाँडे	"
३१	मुड़वारा	... मि० एन. हनुमन्तराव	"
३२	सागर--खुरई	.. मि० जी के. लोकरस वकील	"
३३	सागर--खुरई	... मि० जालमसिंह मोती	"
३४	रहली, बंडा	.. मि० वासुदेवराव वेंकटराव सूबेदार	"
३५	दमोह, हटा	... मि० प्रेमशंकर लक्ष्मीशंकर धगट	"
३६	दमोह, हटा	... मि० भागीरथ रावन चौदरी (रक्षित)	"
३७	मंडला	... मि० महेन्द्रलाल चौधरी	हिन्दुमहासभा

नं०	नाम और निर्वाचन क्षेत्र की श्रेणी	सदस्यों के नाम	दल
३८	निवास–डिंडोरी ..	मि० लाल चूड़ामनशाह	स्वतंत्र
३९	होशङ्गाबाद, सुहागपुर ...	लाला अर्जुनसिंह	कांग्रेस
४०	हरदा–सिवनी–मालवा ...	दलागे भीकाजी नायक	,,
४१	नरसिंहपुर, गाडरवाड़ा ...	मि० शंकरलाल चौधरी वकील	,,
४२	नरसिंहपुर, गाडरवाड़ा ..	मि० रामेश्वर अग्निभोज (रक्षित)	,,
४३	खंडवा ...	मि० भगवन्तराव अन्नाभाऊ वकील	,,
४४	बुरहानपुर–हरसूद ...	मि० एम. आर. मजूमदार वकील	,,
४५	रायपुर ...	मि० अनन्तराम	,,
४६	रायपुर ...	महन्त पूरनदास (रक्षित)	,,
४७	धमतरी ...	महन्त लक्ष्मीनारायणदास	,,
४८	बलोदा बाजार ...	मान० पं० रविशंकर शुक्ल **प्रधान मंत्री**	,,
४९	बलोदाबाजार ..	महन्त नयनदास	,,
५०	महासमुन्द ...	मि० जमनालाल तेजमल चोपदा	,,
५१	बिलासपुर ...	डा० ई० राघवेन्द्रराव बार-एट-ला,	स्वतंत्र

५२	बिलासपुर ...	महन्त मुक्तदास (रक्षित)	कांग्रेस
५३	मुंगेली ..	रामगोपाल तिवारी वकील (रिक्त० रक्षित)	,,
५४	मुंगेली ...	मि० श्रागमदास गुरु गोसाईं (रक्षित)	,,
५५	कटघोरा ...	सरदार श्रमरसिंह सहगल	,,
५६	जांजगिर ...	ठाकुर छेदीलाल बार-एट-ला	,,
५७	जांजगिर ..	मि० बहोरिकलाल सूर्यवंशी (रक्षित)	स्वतंत्र
५८	दुर्ग ...	मि० एम. एल. वाकलीवाल	कांग्रेस
५९	दुर्ग ...	महन्त पोसुदास (रक्षित)	,,
६०	बेमेतरा ..	मि० विश्वनाथ यादवराव तामरकर	,,
६१	संजारी ...	मि० घनश्यामसिंह गुप्त स्पीकर	,,
६२	बालाघाट–बैहर ...	मि० कन्हैयालाल ऐडवोकेट	,,
६३	बारा–सिवनी ...	सेठ बद्रीनारायण अग्रवाल	,,
६४	भंडारा, साकोली ...	मि० गनपतराव पांडे	स्वतंत्र
६५	भंडारा, साकोली ...	मि० राघोवा गम्भीरा घोटीवारे (रक्षित)	स्वतंत्र मजदूर
६६	गौंदिया ...	मि० व्ही. एम. जकटदार ऐडवोकेट	कांग्रेस
६७	चाँदूर ...	मि० सगनचंद चुन्नीलाल	,,

नं०	नाम और निर्वाचन क्षेत्र की श्रेणी	सदस्यों के नाम	दल
६८	मोरसी ...	मि० आर. ए. देशमुख	कांग्रेस
६९	अमरावती ...	मि० गनेशराव रामचन्द्र देशमुख	,,
७०	इलिचपुर–दरियापुर–मेलघाट ...	मि० लक्ष्मण नारायणनाथे	,,
७१	इलिचपुर–दरियापुर–मेलघाट ...	मि० गनेश आकाजी गवई (रक्षित)	स्वतंत्र
७२	अकोला–बालापुर ...	मि० भीमसिंह गोविन्दसिंह	कांग्रेस
७३	अकोला–बालापुर ...	मि० केशव जनूजी (रक्षित)	स्वतंत्र
७४	आकोट ...	मि० उमेधसिंह नारायणसिंह ठाकुर	कांग्रेस
७५	मुर्तिजापुर–मंगरूलपीर ...	मि० बिट्ठलराव नारायणराव जामदार	,,
७६	बासिम ...	रावसाहिब दिनकरधरराव राजुरकर	गैर ब्राह्मण
७७	यवतमाल–दारवा ..	मि० भीमराव हनमन्तराव जसकर वकील	कांग्रेस
७८	यवतमाल–दारवा ...	मि० दौलत किसनभगत (रक्षित)	स्वतंत्र मजदूर
७९	पुसद ..	मि० नारायन बालाजी बोबदे	गैर ब्राह्मण
८०	केलापुर–बुन ..	मि० एम. पी. कोल्हे	,,
८१	चिखली–मेहकर ...	मि० पंधारी सीताराम पाटिल	कांग्रेस

नं०	नाम और निर्वाचन क्षेत्र की श्रेणी	सदस्यों के नाम	दल
८२	चिखली--मेहकर ...	मि० लक्ष्मण श्रावण भाटकर (रक्षित)	कांग्रेस
८३	मलकापुर	मि० तुकाराम शंकर पाटिल बार-एट-ला	,,
८४	खांमगाँव--जलगाँव ..	मि० कृष्णराव गनपतराव देशमुख	,,

मुसलमानी नगर निर्वाचक-संघ
(Muhammdan Constituencies Urban)

नं०	नाम और निर्वाचन क्षेत्र की श्रेणी	सदस्यों के नाम	दल
८५	पूर्वी--बरार ..	*खान साहिब सैयद मुजफ़्फर हुसैन ऐडवो०	मुसलिमलीग
८६	पश्चिमी--बरार ..	मि० मुहम्मद मोहीबुलहक वकील	,,

मुसलमानी देहात निर्वाचक-संघ
(Muhammdan Constituencies Rural)

नं०	नाम और निर्वाचन क्षेत्र की श्रेणी	सदस्यों के नाम	दल
८७	नागपुर ...	मि० मुहम्मद युसुफ शरीफ बार-एल-ला,	कांग्रेस
८८	वर्धा-चांदा ...	खान साहिब सैय्यद यासीन वकील	मुसलिमलीग
८९	होशंगाबाद-छिंदवाड़ा-बैतूल ...	मि० अब्दुल रज्ज़ाक खान ऐडवोकेट	स्वतंत्र

नं०	नाम और निर्वाचन क्षेत्र की श्रेणी	सदस्यों के नाम	दल
९०	जबलपुर-मंडला .	मि० इफ़्तिख़ारअली वकील	मुसलिमलीग
९१	सागर-नरसिंहपुर ..	मि० वलीमुहम्मद	,,
९२	निमाड़ ...	खान बहादुर सैयद हिफाजतअली ऐडवोकेट	कांग्रेस
९३	रायपुर-बिलासपुर-दुर्ग ..	मि० एस. डब्लू. ए. रिजवी ऐडवोकेट	मुसलिमलीग
९४	भंडारा-बालाघाट--सिवनी ..	मि० मुहीउद्दीनखां जमींदार	,,
९५	अमरावती ..	मि० हियादतअली वकील	,,
९६	अकोला ...	खान बहादुर मिरजा रहमानबेग	,,
९७	यवतमाल ...	मि० सैय्यद अब्दुल रउफशाह	,,
९८	बुलढाना ..	खान साहिब अब्दुलरहमानखाँ	,,

स्त्री निर्वाचक-संघ (शहर साधारण)
Women's Constituencies (Urban-General)

९९	नागपुर शहर ...	श्रीमती अनसूयाबाई काले डिप्टी--स्पीकर	कांग्रेस
१००	जबलपुर ...	श्रीमती सुभद्राकुमारी चौहान	,,
१०१	अमरावती--अकोला ...	श्रीमती दुर्गाबाई जोशी	,,

एँग्लोइण्डियन निर्वाचक-संघ
Ango- Indian Constituency

१०२	एँग्लो--इण्डियन ...	रेवरेंड जी. सी. राजर्स	

यूरोपियन निर्वाचक-संघ
European Constituency

१०३	यूरोपियन ..	मि० एल. एच. बार्टलेट O. B. E.	

व्यावसाय निर्वाचक-संघ
Commerce Coustituency

१०४	मध्यप्रान्तीय--व्यवसाय ..	माननीय मि० छगनलाल भारूका मंत्री	कांग्रेस
१०५	बरार--व्यवसाय ...	सेठ गोपालदास बुलाखीदास मोहता	स्वतंत्र

पिछड़े हुएँ क्षेत्र और समुदाय निर्वाचक-संघ
Backward Areas and Tribes Constituency

१०६	पिछड़ी हुई जातियाँ ...	मि० उदयभानुशाह	स्वतंत्र

जमींदार निर्वाचक-संघ
Londholders Constituencies

नं०	नाम और निर्वाचन क्षेत्र की श्रेणी	सदस्यों के नाम	दल
१०७	उत्तर--मध्यप्रान्तीय--जमींदार ...	मि० राजेन्द्रसिंह	कांग्रेस
१०८	दक्षिण-मध्यप्रान्तीय-जमींदार ...	मि० माधव गंगाधर चिटनवीस	स्वतंत्र
१०९	बरार- जमींदार ...	मि० आर. एम. देशमुख	,,

मजदूर निर्वाचक-संघ
Labour Constituencies

११०	व्यापार--संघ मजदूर ..	मि० गनपत सदाशिव पागे	स्वतंत्र
१११	मिल मजदूर ...	मि० व्ही. आर. कलप्पा	कांग्रेस

विश्वविद्यालय निर्वाचक-संघ
University Constiiuency

११२	विश्व--विद्यालय ...	मि० बी. जी. खापर्डे ऐडवोकेट	स्वतंत्र

कुछ जानने योग्य बातें ।

नई प्रान्तिक लेजिस्लेटिव असेम्बलियों की सदस्य संख्या और पुरानी (सन् १९१९ ई०) प्रान्तिक लेजिस्लेटिव कौंसिलों के सदस्यों की संख्या की तुलनाः—

नं०	प्रान्त का नाम	नई असेम्वली के सदस्य (सन् १९३५)	पुरानी कौंसिल के सद० (सन् १९१९ई.)
१.	मद्रास	२१५	१३३
२.	वम्बई	१७५	१०८
३.	वंगाल	२५०	१४४
४.	संयुक्तप्रान्त	२२८	१२६
५.	पंजाव	१७५	९५
६.	सीमाप्रान्त	५०	४१
७.	मध्यप्रान्त	११२	७०
८.	आसाम	१०८	४६
९.	विहार	१५२	१०८

सन् १९३५ ई० के ऐक्ट के अनुसार बर्मा हिन्दुस्तान से अलग कर दिया गया और सिन्ध और उड़ीसा को गवर्नरों का प्रान्त वना दिया गया। एडन बम्बई से अलग कर दिया गया। पन्थ-पिप्लौदा नाम की एक नई चीफ-कमिश्नरी बनाई गई है। यह मध्यभारत में है। सन् १९३६ के २४ अक्टू० की सन्धि के अनुसार निजाम हैदहाबाद का प्रभुत्व बरार पर स्वीकार कर लिया गया और ब्रिटिश सरकार निजाम-हैदराबाद को प्रति वर्ष २५ लाख रुपया देती है।

ग्रामीणों का ऋण

सन् १९३० ई० में प्रान्तीय बैंकिंग इन्क्वायरी कमेटियों ने अपने २ प्रान्त के ग्रामीण ऋण का जो अनुमान लगाया उसके अनुसार ब्रिटिश भारत का ग्रामीण-ऋण लगभग ९०० करोड़ रुपये होते हैं। इसका व्यौरा इस प्रकार है:—

	प्रान्त		ऋण रुपयों में
(१)	आसाम	... ...	२२ करोड़
(२)	बंगाल	... ...	१०० करोड़
(३)	विहार-उड़ीसा	... ...	१५५ करोड़
(४)	बम्बई	... ...	८१ करोड़
(५)	बर्मा	...	५० से ६० करोड़ के लगभग
(६)	केन्द्रीय सरकार द्वारा शासित प्रदेश		१८ करोड़
(७)	मध्यप्रान्त	... ...	३६ करोड़
(८)	कुर्ग	...	३५ से ५५ लाख रु० के करीब
(९)	मद्रास	... ...	१५० करोड़
(१०)	पंजाब	... ...	१३५ करोड़
(११)	संयुक्तप्रान्त	... ...	१२४ करोड़
			८८१ करोड़

आजकल प्रायः प्रत्येक कांग्रेसी प्रान्तों में (बम्बई, मद्रास, उड़ीसा, विहार, यू. पी. प. प्रान्त और सी. पी. में) किसानों की दशा सुधारने के लिये नये नये कानून बनाये जारहे हैं।

एकाकी हस्तान्तरित मताधिकार (Single Transferable Vote:—"इस प्रणाली में मतदाता को एक ही मत देने का अधिकार रहता है, पर वह यह सूचित कर सकता है कि सर्व प्रथम उसके मत का उपयोग किस उम्मेदवार के लिये हो, और यदि उस उम्मेदवार को उसके मत की आवश्यकता न हो (वह उम्मेदवार अन्य मतदाताओं के मतों से ही चुना जाय) तो उस मत का उपयोग किसी दूसरे उम्मेदवार के लिये हो, और यदि दूसरे उम्मेदवार को भी उस मत की आवश्यकता न हो तो किसी तीसरे और चौथे उम्मेदवार के लिये उसका उपयोग किया जाय। मतदाता अपने मत-पत्र पर उम्मेदवारों के नाम के सामने १, २, ३, आदि अंक लिखकर यह सूचित करता है कि उसके चुनाव या पसन्द का क्रम क्या है, वह किस उम्मेदवार को सर्व प्रथम स्थान देता है, किसे दूसरा और किसे तीसरा, आदि।

उम्मेदवारों की सफलता का हिसाब लगाने के लिये पहले यह देखा जाता है कि किस उम्मेदवार को कम से कम कितने मतों की आवश्यकता है। यह संख्या सब प्राप्त मतों को, निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या में, एक जोड़कर उससे भाग देने से, तथा भजनफल में एक जोड़ देने से मालूम हो जाती हैं। इसे 'कोटा' पर्याप्त संख्या या अनुपातिक भाग कहते हैं। उदाहरणार्थ यदि पांच सदस्य निर्वाचित होने वाले हैं और सोलह उम्मेदवार हैं जिनके लिये कुल मिलाकर ५४ मत प्राप्त हुए हैं तो 'कोटा' = ५४ -(५+१)+१=१०; जो उम्मेदवार प्रथम पसन्द के इतने मत प्राप्त कर लेता है, जो 'कोटा' अर्थात पर्याप्त संख्या के समान या उससे अधिक हों, वह निर्वाचित घोषित किया जाता है। यदि

उसके प्राप्त मत 'कोटा' से अधिक हों, तो उसमें से 'कोटा' निकाल देने पर जो शेष बचते हैं उनके सम्बन्ध में यह विचार किया जाता है कि दूसरी पसन्द में इनमें से कितने मत किस उम्मेदवार के लिये हैं। अगर यह (दूसरी पसन्द वाला) उम्मेदवार स्वयं अपने लिये प्राप्त मतों के ही आधार पर निर्वाचित घोषित हो गया हो, तो उक्त शेष मतों का उपयोग तीसरी पसन्द के व्यक्ति के लिये किया जाता है। इसी प्रकार आगे होता रहता है। यदि ऐसा करने पर आवश्यकतानुसार उम्मेदवार निर्वाचित नहीं होते तो जिन उम्मेदवारों के मत अनुपातिक भाग से कम होते हैं, उनमें से जिसके सबसे कम हों उसे असफल घोषित करके उसके लिये प्राप्त मतों का उपयोग उन उम्मेदवारों के लिये किया जाता है, जिनके लिये वे मत दूसरी पसन्द में रखे गये हों। इसके बाद फिर जो उम्मेदार शेष रहेंगे, उनमें से जिसके लिये मत सबसे कम होंगे, उसके लिये प्राप्त मतों का भी इसी प्रकार उपयोग किया जायगा; इस प्रकार यह क्रिया उस समय तक होती रहेगी, जब तक कि जितने सदस्यों को निर्वाचित करना हो, उतने निर्वाचित न हो जायें"।

(भारतीय--शासन से)

विशेष जानकारी के लिये "The Law of Single Transferable Vote" by B. P. Agarwal, M. A. LL., B. नामक पुस्तक पढ़नी चाहिये।

सी. पी. सरकार के साम्प्रदायिकता को रोकने के उपायः—

सी० पी० सरकार ने जिला मजिस्ट्रेटों को यह अधिकार दे दिया है कि जो पत्र घृणा और दुश्मनी का प्रचार करता देखा जाय उससे प्रेस ऐक्ट के मातहत जमानत मांग ली जाय और जो पत्र प्रान्त के बाहर के हों उनपर भी निगरानी रक्खी जाय। दंगे को रोकने के लिये मध्यप्रान्तिक सरकार ने कुछ और भी उपाय किये हैं। उनमें मुख्य ये हैं। जहां कहीं साम्प्रदायिक नारों या ऐसे ही अन्य कारणों से दंगे का वातावरण पैदा हो गया हो, वहाँ तुरन्त दफा १४४ लगा दी जाय और जो उसे भंग करें उनके विरुद्ध तुरन्त कार्यवाही की जाय। उत्सवों तथा त्योहारों पर यह ध्यान रखा जाय कि मन्दिरों या मस्जिदों में ईंट पत्थर या लाठी आदि हथियार गुन्डों ने जमा न कर दिये हों। अगर ऐसा हो जाय तो उनके मालिकों को उचित चेतावनी दी जाय। त्योहारों से पूर्व गुन्डों को बुला कर सावधान कर दिया जाय। यदि किसी गुन्डे से शान्ति को ज्यादा खतरा हो तो उसे बिना वारंट के गिरफ्तार कर लिया जाय। सरकार ने अधिकारियों को भी चेतावनी दी है कि वे पक्षपात छोड़ कर साम्प्रदायिक स्थिति का निवारण करें—यदि उन्होंने सरकार की हिदायतों के पालन में ढील की तो उन्हें तुरन्त बर्खास्त कर दिया जाय। देश में शान्ति कायम रखने के लिये ऐसा करना पड़ा है। यू. पी. में भी ऐसे उपाय काम में लाये गये हैं, क्योंकि सब प्रकार की उन्नति शान्ति पर ही अवलम्बित रहती है।

कुछ ज्ञातव्य बातें।

	क्षेत्रफल वर्ग मील	आबादी
समस्त भारत	१५,७५,१८७	३३,८१,९०,६३२
देशी रियासतें	७,१२,५०८	८,१३,१०,८४५
ब्रिटिश भारत	८, ६२,६७६	२५,६८,७६७८७
सीधे भारत सरकार द्वारा शासित दिल्ली आदि प्रान्त	६२,२४८	१८,५२,८३६
नवीन शासन विधान के अनुसार शासित प्रान्त	८,००,४३१	२५,५०,२६,६५१
कांग्रेस-विरोधी मन्त्रियों द्वारा शासित प्रान्त	१७६,७२१	७,३६,९४,८५४
कांग्रेसी या कांग्रेस-पक्षपाती मन्त्रियों द्वारा शासित प्रान्त	६.२३.७१०	१८,१३,३२,०९७

कांग्रेसी प्रान्त

आसाम	५५,०१४	६२.४७,८५७
बिहार } उड़ीसा }	८३,०५४	५,२०,००,००० ८५,००,०००
बम्बई } सिन्ध } (कांग्रेस-पक्षपाती)	१,२३,६७९	२,६३,६८,६६७ ३८,८७,०७०
मध्यप्रान्त	६६,६२०	१५५,०७,७२३
मद्रास	१,४२,२७७	४,६७,४०,१०७
सीमाप्रान्त	१३,५१८	२४,२५,०७६
संयुक्तप्रान्त	१,०६,२४८	४,८४,०८,७६३

कांग्रेसी प्रान्तों के प्रधान मन्त्रियों के नामः—

१	श्री गोविन्दबल्लभ पन्त	सयुक्तप्रान्त
२	बा० श्रीकृष्णसिंह	बिहार
३	श्री गोपीनाथ बारदोलाई	आसाम
४	श्री बिश्वनाथदास	उड़ीसा
५	श्री राजगोपालाचार्य	मद्रास
६	श्री रविशंकर शुक्ल	मध्यप्रान्त
७	श्री बा० गं० खेर	बम्बई
८	डा० खानसाहब	सीमाप्रान्त

ग़ैर कांग्रेसी प्रान्तों के प्रधान मन्त्रियों के नामः—

९	खान बहादुर अल्लाबख्श (कांग्रेस पक्षपाती)	सिन्धप्रान्त
१०	सर सिकन्दर हैयातखां	पंजाब
११	सर फज़लहक	बंगाल

कुछ नई नियुक्तियाँ

(१) सर एम. वेंकट सुब्बाराव। आप नागपुर में हैदराबाद सरकार के राजदूत नियुक्त हुये हैं।

(२) सी. पी. सरकार ने नागपुर के अँग्रेजी पत्र 'हितवाद' के भू० पू० सम्पादक श्री एम० डो० सहाने को अपना प्रकाशन अफसर नियुक्त किया है।

(३) मि० डब्लू. आर. पुरानिक बी. ए., एल. एल. बी., मध्यप्रान्त के ऐडवोकेट जेनरल नियुक्त हुए हैं।

तानाशाही (Dictatorship):— आजकल संसार में दो विचार धाराओं में संघर्ष हो रहा हैं। उनमें से एक तानाशाही और दूसरी प्रजातन्त्री राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व करती है। तानाशाही राष्ट्रों में व्यक्तिगत स्वाधीनता का कोई स्थान नहीं। व्यक्ति समाज-मशीन का पुर्जा समझा जाता है। रूस, जर्मनी, इटली और जापान और स्पेन इसी कोटि के राष्ट्र हैं। इसमें व्यक्ति को कोई सत्ता नहीं। हिन्सा उनका हथियार है। हिन्सा के भी कई रूप हो जाते हैं। खुफिया पुलिस नियुक्त की जाती है। विरोधियों तथा अनुशासन भंग का प्रतिकार केवल मृत्यु द्वारा किया जाता है। तानाशाही राष्ट्रों में खुफिया पुलिस, तलवार और जल्लादों से ताकत आती है। जो हुक्म नहीं मानता उसे मौत के सिवाय और कोई सजा नहीं दी जाती।

प्रजातन्त्र (Democracy):—प्रजातन्त्री राष्ट्रों में व्यक्ति की उन्नति और उसकी खुशहाली को चरम उद्देश्य समझा जाता है। सरकार को इस उद्देश्य की पूर्ति का साधन-मात्र समझा जाता है। व्यक्तियों के कुछेक अधिकार निश्चित हैं, जिनकी हर समय रक्षा की जाती है। लाचार होकर ही नैतिकबल का इस्तैमाल किया जाता है। इंग्लैण्ड, फ्रांस और अमेरिका इसी प्रकार के राष्ट्र हैं।

प्रजातन्त्र की सफलता के लिये संगठन (organization) अत्यन्त आवश्यक चीज है। शक्तिशाली प्रजातन्त्र के लिये पार्टी-सिस्टम के अनुसार आत्म-अनुशासन की अत्याधिक आवश्यकता रहा करती है। इंग्लैण्ड एक प्रजातन्त्र राष्ट्र है और वह किसी भी तानाशाही राष्ट्रों के समान संगठित है। पार्टी-सिस्टम से प्रजातन्त्र शक्तिशाली हो जाता है

पार्टी का निर्माण स्वेच्छा से किया जाता है। आज एक पार्टी में हैं उसकी इच्छा हो तो वह छोड़ भी सकता है। मगर एकवार किसी पार्टी में शामिल हो जाने पर व्यक्ति के तमाम कार्य पार्टी के आधीन होजाते हैं। इसमें कोई भी व्यक्ति दलील बाजी कर सकता है, लड़-झगड़ सकता है, और समझा बुझा सकता है, लेकिन उसे रहना अपनी पार्टी में ही होगा। प्रजातन्त्र की सफलता तथा प्रकार के लिये प्रथम भाग का १८६ सफा पढ़ना चाहिये।

—:सी० पी० गजट से प्राप्त:—

मराठी गवर्नमेंट हाईस्कूल अमरावती १९ जून १६३६ से रेसीडेन्शल हाईस्कूल कर दिया गया है। क्लास आठवीं में सिर्फ एक वर्ग रहेगा, क्लास नवीं में २ वर्ग, १० वीं में २ वर्ग, और ११ वीं कक्षा में ४ वर्ग रहेंगे। पांचवीं, छटवीं, और सातवीं कक्षाएँ अब इस हाईस्कूल में नहीं रहेंगी। इसकी सफलता पर और भी स्कूल्स निकट भविष्य में पब्लिक स्कूल बना दिये जावेंगे।

नागपुर हॉईस्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा

१९३७.

सिविक्स (प्रथम पत्र)

भाग (अ)

१. समाज की उत्पत्ति और विकास का वर्णन संक्षेप में करो। सामाजिक इकाई (Socil unit) की दृष्टि से कुटुम्ब का महत्व दर्शाओ।

२. राज्य और सरकार में जो अन्तर है उसे स्पष्ट करो। सरकार के कौन कौन से अंग हैं? प्रत्येक अंग के कार्यों का वर्णन करो।

३. स्वतंत्रता और कानून को समझाओ। सिद्ध करो कि "कानून द्वारा लगाये गये प्रतिबन्धों से ही लोगों को स्वतंत्रता की प्राप्ति और पुष्टि होती है।"

४. नागरिक शब्द से तुम क्या समझते हो? नागरिकों के मुख्य कर्तव्य (१) अपने कुटुम्ब और (२) अपने राज्य के प्रति क्या हैं?

५. नीचे के वाक्यों में जो खाली स्थान हैं उनमें उचित शब्द, वाक्यांश या वाक्य लिखकर उन्हें पूर्ण करो:-

(अ) कुछ महत्वपूर्ण अधिकार जो वर्तमान समय में उन्नत राज्यों के नागरिकों को प्राप्त हैं। वे इस प्रकार हैं:—(१)———, (२)———, (३)———, (४)———, (५)———, और (६)———,

(ब) निम्न लिखित व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त नहीं हैं:—(१)———, (२)———, (३)———, (४)———, (५)———, और (६)———.

(स) नागरिकों के कुछ दोष जो उन्हें अच्छे नागरिक बनने में रुकावट डालते हैं:—(१) ———, (२)———, (३) ———, (४) ———,

भाग (ब)

६. अपने प्रान्त के म्युनिसिपैलिटी के संगठन और कार्यों का वर्णन करो।

७. जिला क्या है? डिप्टी कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज और सुपरिन्टेन्डेण्ट आफ पुलिस के क्या क्या कार्य हैं।

८. प्रान्तीय सरकारों के (१) रक्षित और (२) हस्तान्तरित विषयों से तुम क्या समझते हो? यह विभाजन कब और क्यों किया गया?

९. (अ) निम्न लिखित व्यक्तियों के विषयों में एक एक वाक्य में नागरिक की हैसियत से जो कुछ जानते हो लिखो:—(१) लार्ड लिनलिथगो (२) सर एच. सी. गोवन, (३) पंडित जवाहिरलाल नेहरू, (४) सर एम. बी. दादाभाई, (५) डा० राघवेन्द्रराव, और (६) स्वर्गीय मि० एम. व्ही. अभ्यंकर।

(ब) संक्षिप्त टिप्पणी लिखो:—(१) भारत सचिव, (२) गवर्नर-जनरल की कार्य कारिणी सभा।

१९३८.

सिविक्स (प्रथम पत्र)

खंड (अ)

१. कुछ उदाहरण देकर समझाओ कि सहकारिता (Co-operation) और श्रमविभाजन (Division of Labour)

ने समाज की उन्नति में मुख्य भाग लिया है।

२. एक जन समुदाय को राष्ट्र (Nation) कहना किन किन दशाओं में ठीक होगा। क्या भारतवर्ष एक राष्ट्र है?

३. नागरिक (Citizen) और परदेशी (Alien) में भेद बताओ। उन नियमों में से कुछ लिखो जिनका पालन करने से 'परदेशी' 'नागरिक' बन सकता है।

४. आधुनिक राज्य (Modern States) में व्यवस्थापक मंडलों (Legislative Bodies) के कार्य और अधिकार क्या हैं?

(i) 'पूर्ण प्रजातंत्र में,' (ii) 'भारतवर्ष में' व्यवस्था-संबंधी विभाग (Legislatures) के सदस्य किनसे चुने जाते हैं?

खंड (ब)

५. गवर्नर-जनरल की प्रबंधकारिणी सभा (Executive Council) का संगठन (Constitution) संक्षेप में लिखो। सन् १९३५ के एक्ट से इसमें क्या परिवर्तन हो जायगा?

६. सरकार के किस किस विभाग का प्रबंध भारत-सरकार द्वारा और किस किस विभाग का प्रबंध प्रान्तीय सरकार द्वारा किया जाता है?

७. भारतवर्ष के प्रान्तीय सरकारों के रक्षित विभाग और हस्तान्तरित विभाग से तुम क्या समझते हो? भारतवर्ष के नये शासन-विभाग के अनुसार यह अंतर कायम है या नहीं?

८. देहात के मुख्य अधिकारी कौन होते हैं ? उनके कर्तव्य क्या हैं ? तुम्हारे प्रान्त के ग्राम्यपंचायत के क्या क्या कार्य हैं ?

९. (अ) निम्नलिखित प्रख्यात व्यक्तियों पर संक्षेप में टिप्पणियाँ लिखो। किसी टिप्पणी में पचास से अधिक शब्द न हों:—

(i) महात्मा गांधी, (ii) सर हरीसिंह गौड़, (iii) श्रीमान अणे।

(ब) अपने प्रान्त के वर्तमान मंत्रियों (Ministers) के नाम लिखो। जिस जिस दल से उनका संबंध है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है।

१९३९.

(सिविक्स प्रथम पत्र)

भाग (अ)

१. 'समाज' (Society) और 'राज्य' (State) में अंतर बतलाओ। दोनों में परस्पर क्या संबंध है ?

२. कानून (Law) किसे कहते हैं ? लोगों को उसका पालन क्यों करना चाहिये ? किसी प्रतिनिधि लोकतंत्र (Representative democracy) में कानून बनाने की प्रणाली का संक्षिप वर्णन करो।

३. 'अधिकार' (Right) शब्द की व्याख्या करो; तथा 'नागरिक अधिकार' (Civil rights) और 'राजनैतिक अधिकार' (Political rights) में भेद बतलाओ। 'अधिकार और कर्त्तव्य एकही वस्तु हैं, जो केवल भिन्न भिन्न

दृष्टि कोणों से देखी जाती हैं' (Rights and duties are same facts looked at from opposite points of view.) इस वाक्य के भाव को समझाओ।

४. (अ) एक आधुनिक लोकतंत्रात्मक राज्य में किसी मतदाता (Voter) में प्रायः कौन कौनसी योग्यताएँ होनी चाहिये ?

(ब) 'चिट्ठी द्वारा वोट' (Vote by ballot) वाक्यांश का तुम क्या अर्थ समझते हो ? वह क्यों आवश्यक है।

५. (अ) (१) किन परिस्थितियों में किसी नागरिक को नीचे लिखे अधिकार नहीं दिये जाते ?

तथा, (२) इनमें से किन अधिकारों का एक स्थानीय निवासी विदेशी साधारणतः अधिकारी है ?

जीवनाधिकार, भाषण-स्वातंत्र्याधिकार, मताधिकार तथा स्थायी-निवासाधिकार (Right to permanent residence) ?

(ब) (१) एक नागरिक, तथा (२) एक स्थानीय-निवासी विदेशी (Resident alien) पर निम्नलिखित कर्त्तव्यों में से कौन कौन से लागू हैं ?

(क) कानून पालन करने का कर्त्तव्य,

(ख) टैक्स देने का कर्त्तव्य,

(ग) ऑनरेरी मजिस्ट्रेट बनकर कार्य करने का कर्त्तव्य,

और (घ) सैनिक-सेवा (Military service) करने का कर्त्तव्य।

भाग (ब)

६. मध्यप्रदेश और बरार की किसी डिस्ट्रिक्ट कौंसिल के संगठन, कार्यवाही, तथा सालाना आमदनी के द्वारों का संक्षेप में वर्णन करो।

७. सन् १९३५ के भारतीय शासन-विधान के कारण तुम्हारे प्रान्त के शासन के कार्यकारी (Executive) तथा व्यावस्थापक-मंडल (Legislature) में कौन कौन से मुख्य परिवर्तन हुए ?

८. सन् १९१९ के भारतीय शासन-विधान के अनुसार गवर्नर-जनरल के अधिकार गिनकर लिखो।

९. (अ) जिन प्रान्तों का शासन चीफ़ कमिश्नरों द्वारा होता है उनके नाम लिखो, और यह भी बतलाओ कि उनके शासन तथा गवर्नरों के प्रान्तों के शासन में क्या भेद है ?

(ब) नाम लिखो:—

(१) उन प्रान्तों के, जिनमें कांग्रेस के मंत्रीमंडल कार्य करते हैं,

(२) उन प्रान्तों के, जिनमें मुसलमान बहुत संख्या [में हैं; बंगाल, आसाम, पंजाब, सिन्ध प्रान्त, सीमाप्रान्त]

(३) भारत की सर्वप्रथम महिला मंत्री का;

और (४) अपने प्रान्त की व्यवस्थापक सभा के वर्तमान अध्यक्ष (Speaker) का।

१९३७

सिविक्स (दूसरा पत्र)

भाग (अ)

१. केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारों की आयके मुख्य मुख्य साधन कौन कौन से हैं ?

२. भारतवर्ष के सार्वजनिक स्वास्थ्य के अत्यन्त खराब होने के कुछ हानिकारक आदतों को वतलाओ। हिन्दुस्तान के सार्वजनिक स्वास्थ्य की उन्नति के लिये सरकार कौन कौनसे कार्य कर सकती है ?

३. हिन्दुस्तान में किसानों की सहायता के लिये सरकार कौन कौनसे कार्य कर सकती है ?

४. व्यापार और वाणिज्य की उन्नति के लिये जनता और सरकार को क्या क्या करना चाहिये ?

५. सहायक साख समितियों के वारे में तुम क्या जानते हो। वे किसानों की सहायता किस प्रकार करती हैं ?

६. निम्नलिखित विषयों पर टिप्पणी लिखो:—
(१) तकावी, (२) अकाल निवारण, (३) वाणिज्य की रक्षा, (४) आयकर और नमक कर, (५) पोस्टल सेविंग्जवैंक।

भाग (व)

७. धारा-सभा क्या है ? धारा-सभा के सदस्यों का जनता द्वारा चुना जाना क्यों आवश्यक है ?

८. पुलिस और जनता में सहयोग की आवश्यकता क्यों है ? सहयोग की कमी हिन्दुस्तान में कहां तक है ?

९. लोकतंत्र शासित देशों के लिये शिक्षा बड़े महत्व की चीज क्यों समझी जाती है ?

१९३८

१. मध्यप्रान्त तथा बरार के न्यायविभाग का संगठन (Judicial organization) संक्षेप में वर्णन करो और इस सम्बन्ध में इस प्रान्त के सबसे बड़े न्यायालय (Court) का संगठन (Composition) भी दर्शित करो ।

२. कर (Tax) क्या है ? लोगों को कर क्यों देना चाहिये ? भारतवर्ष के कर लेने वाले भिन्न भिन्न अधिकारीवर्गों (Authorities) के नाम बताओ । और एक नक़शे द्वारा वे मुख्य कर बताओ जो उपरोक्त अधिकारी-वर्गों में से प्रत्येक को जाते हैं ।

३. औद्योगिक शिक्षा (Vocational education) से तुम क्या समझते हो ? इसकी आवश्यकता दर्शाओ । तुम्हारे प्रान्त में ऐसी शिक्षा के लिये जो सुविधायें हों उनको संक्षेप में लिखो ।

४. घरेलू धन्धा या व्यवसाय (Cottage industry) किसे कहते हैं ? मध्यप्रान्त में जो मुख्य मुख्य घरेलू व्यवसाय पहिले ही से हों या जो सफलतापूर्वक कराये जा सकते हों उनमें से कुछ के नाम लिखो ।

५. आबपाशी या सिंचाई (Irrigation) के विस्तार और रीतियों का संक्षेप में उल्लेख करो और भारतवर्ष में इसकी आवश्यकता पर अपने विचार दर्शित करो । सिंचाई के सरकारी कार्य इस देश में किस प्रकार विभाजित हैं ?

६. "भारतीय रय्यत (प्रजा) की निर्धनता तथा कर्जदारी का हल 'सहकारिता' में—महाजन और मध्यजन (Middlem) को निकाल डालने में—है" । इसे समझाओ ।

७. रेलमार्ग और जलमार्ग की संबंधित आवश्यकता को दर्शाओ। इन दो के अतिरिक्त भारतवर्ष में आने जाने के दूसरे क्या जरिये हैं? आनेजाने के जरियों से लोगों को किस प्रकार लाभ पहुँचता है?

८. निम्नलिखित पर संक्षेप में टिप्पणीयाँ लिखो:—

(अ) सी. आई. डी. (The C. I. D.)

(ब) यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर (The University Training Corps) ।

(स) कर्जा समझौता बोर्ड (Debt Conciliation Boards) ।

और (द) विद्यामंदिर योजना (The 'Vidya-Mandir' Scheme) ।

९. (अ) नीचे के वाक्यों में जो खाली जगह हैं उनमें उचित शब्द या वाक्यांश लिखकर उन्हें पूर्ण करो:—

(1) भारतवर्ष के अधिक साधारण संक्रामक रोगों में से कुछ (i) ——— (ii) ——— (iii) ——— (iv) ——— हैं।

(2) सहकारिता के मौलिक नियम (i) ——— (ii) ——— (iii) ——— हैं।

(ब) निम्नलिखित में से प्रत्येक के विषय में एक एक वाक्य लिखो जिसमें वह कार्य दर्शाओ जो उसे सौंपा गया है:—

(i) डायरेक्टर-ऑफ-पब्लिक-इन्सट्रक्शन ।

(ii) इन्सपेक्टर-जनरल-ऑफ-सिविल-हॉसपिटल्स ।

(iii) रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसायटीज़। और

(iv) डारेक्टर-ऑफ-इन्डस्ट्रीज़ ।

१९३९

१. (अ) प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों (Direct and Indirect taxes) में क्या भेद है ? प्रत्येक के दो उदाहरण दो ।

(ब) क्या इस रीति से कर लगाये जाने चाहिये कि सभी नागरिकों को न्यूनाधिक बराबर रकम देनी पड़े ?

२. मध्यप्रदेश और बरार के पुलिस-विभाग के संगठन (Organization) की एक रूपरेखा दो ।

३. हमारे देश में प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिये सरकार को भरसक प्रयत्न करना चाहिये; इस बात को सिद्ध करने के लिये प्रमाण दो । 'अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा' का तुम क्या मतलब समझते हो ?

४. नीचे लिखी बीमारियों के फैलने पर सरकार, स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं, और नागरिकों को क्या करना चाहिये ?

(१) हैजा (कॉलरा), (२) ताऊन (प्लेग), और (३) मलेरिया ।

५. इन पर टिप्पणियाँ लिखो:—

(अ) शहर में पार्कों (Parks) और खेल के मैदानों (Playgrounds) से लाभ; और

(ब) गाँवों और शहरों के बीच की सड़कों का महत्व ।

६. भारतीय खेती में जो दोष तुम्हें दिखाई देते हों, उनमें से मुख्य चार का उल्लेख करो, और यह भी बताओ कि उन दोषों को दूर कैसे किया जाय ?

७. संक्षेप में वर्णन करो कि किस प्रकार कोई सरकार,

(अ) विदेशी प्रतिद्वंदियों से स्वाजातीय उद्योगों की रक्षा करती है, और

(ब) कारखानों के मालिकों से मजदूरों की रक्षा करती है ?

८. किसी नमूना-स्वरूप (Typical) भारतीय ग्राम के (१) गलियारों या गलियों, (२) मकानों, (३) पानी मिलने के द्वारों (Water-supply). (४) पानी निकलने की नलियों (Drainage). (५) शिक्षा और (६) उद्योग धंधों की दशाओं का संक्षेप में वर्णन करो ।

९. इन पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखो:—

(अ) यूनिवर्सिटी ट्रेनिङ्ग कोर, (ब) भारतीय सेना और (स) आबकारी-लगान ।